



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की कार्यप्रणाली पर  
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन  
वर्ष 2024 -25

## विषय सूची

स.क.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
i	प्राक्कथन	1
ii	मुख्य अंश	3
iii	भाग-1 : कोषालयों की संरचना/संगठन तथा कार्यप्रणाली एवं प्रबन्धन में सुधार हेतु किये गये प्रयास।	5 - 9
iv	भाग-2 : कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां/त्रुटियां तथा अन्य अनियमितताएं।	10 - 15
v	भाग-3 : कोषालयों एवं उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं/कमियाँ।	16 - 40
vi	भाग-4 : कोषालयों के निरीक्षण के दौरान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में आई.टी. नियंत्रण एवं आई.टी.सुरक्षा जांच बिन्दु संबंधी जानकारी	41 - 54
vii	परिशिष्ट	55 - 153

## प्राक्कथन

राज्य सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन तथा शासकीय लेन-देनों के लेखांकन के सम्बन्ध में कोषालय अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोषालय अपने दायित्वों का उचित निर्वहन कर सकें, इस हेतु शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। कोषालयों द्वारा इन नियमों तथा प्रक्रियाओं से विचलन के कारण वित्तीय प्रबन्धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 के अनुसार कोषालयों की कार्य प्रणाली पर आधारित वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 तैयार किया गया है। यह वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित चार भागों में है:-

**भाग-एक:-** कोषालयों की संरचना/संगठन तथा कार्यप्रणाली एवं प्रबन्धन में सुधार हेतु किये गये प्रयास।

**भाग-दो:-** कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ /त्रुटियाँ तथा अन्य अनियमितताएं।

**भाग-तीन:-** कोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं/कमियाँ।

**भाग-चार:-** कोषालयों की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में आई टी. नियंत्रण एवं आई.टी. सुरक्षा जांच बिन्दु संबंधी जानकारी।

राज्य सरकार द्वारा सभी कोषालय कम्प्यूटरीकृत किये गये हैं। माह मई 2018 से कोषालयीन लेखे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार कर राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन कोषालयों के परिचालन में होने वाली अनियमितताओं तथा कमियों को दूर करने में सहायक होगा।

प्रतिवेदन को और अधिक उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में सुझाव आमन्त्रित हैं।

महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर



## मुख्य अंश

### मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2024-25 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2024-25 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नानुसार हैं :-

1. वर्ष 2024-25 के अंत तक अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही0डी0एम0एस0  
(कंडिका 2.10)
2. व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष का पाया जाना ।  
(कंडिका 2.12)
3. सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयवधि में भुगतान न किया जाना ।  
(कंडिका 3.4)
4. तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना ।  
(कंडिका 3.6.1)
5. तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी पी.डी./ई.डी. खातों की राशि, नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित नहीं किया जाना ।  
(कंडिका 3.6.3)
6. वन मण्डल द्वारा प्राप्त वन राजस्व आय को राज्य शासन की संचित निधि में जमा न करते हुये व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखा जाना ।  
(कंडिका 3.6.4)
7. मुद्रांको का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण ।  
(कंडिका 3.8.1)
8. ठेकेदारों को किये गये भुगतान देयकों से आयकर एवं जी.एस.टी. की नियमानुसार कटौती नहीं किया जाना ।  
(कंडिका 3.9.12)
9. कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के साफ्टवेयर में पाई गई कमियां ।  
(कंडिका 4.3)



## भाग—एक

कोषालयों की संरचना / संगठन तथा कार्यप्रणाली  
एवं प्रबंधन में गुणात्मक सुधार हेतु किये गये

प्रयास




# कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024–25

## भाग—1

### 1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोषालय आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ग्वालियर को प्रेषित करते हैं।

### 1.2 संरचना/संगठन



मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2024–25 में कुल 54 कोषालय कार्यरत रहे। सभी कोषालय बैंकिंग कोषालय के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2024–25 में 35 कोषालयों का निरीक्षण किया गया। (परिशिष्ट संख्या 1)

## कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	लेखा कार्य		कम्प्यूटर कार्य	
			प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2024-25	1182	807	369	438	612	195

आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल समीक्षा कर सकता है कि वर्तमान स्टाफ स्थिति और कोषालयों में उनका वितरण पर्याप्त है ।

### 1.3 शासनादेश:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 10 के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है कि राज्य के लेखों का संकलन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की जिम्मेदारी होगी। यह संकलन उन प्रारंभिक एवं सहायक लेखों पर आधारित होता है जो कोषालयों अथवा विभागों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन लेखा कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं, तथा जिनका लेखा संधारण इन इकाइयों की जिम्मेदारी होती है।

वर्तमान में यह कार्यालय 54 कोषालयों, RES (Rural Engineering Services) मंडलों एवं लोक निर्माण विभाग से प्राप्त लेखों के आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक संकलन का कार्य संपादित कर रहा है। मासिक सिविल लेखों का संकलन कोषालयों से प्राप्त लेखों के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत के रिज़र्व बैंक से संबंधित लेनदेन *Clearance Memo* के माध्यम से तथा अन्य लेखांकन कार्यालयों से प्राप्त विवरणों के आधार पर सम्मिलित किए जाते हैं। इन संकलित लेखों को तत्पश्चात् राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

### 1.4 कोषालयों के लिए 'One IA&AD One System' (OIOS) का कार्यान्वयन :-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशानुसार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा कोषालय निरीक्षण संबंधी समस्त कार्य 'One IA&AD One System' (OIOS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है।

यह कार्यालय अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान OIOS प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोषालय निरीक्षण कार्य का सतत रूप से संचालन कर रहा है। मार्च 2025 तक कुल 17 कोषालयों का सफलतापूर्वक निरीक्षण संपन्न किया जा चुका है।

कोषालय निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण दलों ने OIOS मोबाइल ऐप की सहायता से आवश्यक मुख्य दस्तावेजों को संलग्न करते हुए *Record Requisition*, *Audit Enquiry*, तथा *Audit Observation* जैसे प्रावधान OIOS प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्गत किए। निरीक्षण पूर्ण होने के उपरांत, निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस कार्यालय का कोषालय निरीक्षण कक्ष वर्तमान में पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से, '*One IA&AD One System*' (OIOS) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कोषालय निरीक्षण कार्य संपादित कर रहा है।

### 1.5 कोषालय निरीक्षण में गुणात्मक सुधार

मुख्यालय कार्यालय (नई दिल्ली) के निर्देशानुसार कोषालय निरीक्षण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों को जोखिम आधारित नमूना निरीक्षण (Risk based sample inspection) के आधार पर विभाजित किया गया। विभाजन का आधार निम्नानुसार है :-

1. कोषालय का वार्षिक लेन-देन,
2. मासिक लेखा विलम्ब से प्राप्त होना,
3. निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलंब से प्राप्त होना,
4. निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकायें,
5. पूर्व में प्रकाशित प्रारूप कंडिकाओं में कोषालयों का शामिल होना,
6. कोषालय के सुरक्षा में लापरवाही के कारण, चोरी की वारदात से शासन को हानि,

उक्त माप दण्डों जिसमें विशेषकर कोषालयों के वार्षिक लेन देन के आधार पर कोषालयों को **परिशिष्ट संख्या-2** के अनुसार उच्च जोखिम (High Risk) तथा मध्यम जोखिम (Medium Risk) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



## भाग-दो

कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं / अभिलेखों के  
संकलन एवं सत्यापन के दौरान  
पाई गई कमियाँ / त्रुटियां तथा अन्य अनियमिततायें

## भाग-2

### लेखे के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ / विसंगतियाँ

**2.1** कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ इलैक्ट्रॉनिक डाटा (Text File) कभी-कभी अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण भेजा जाता है, जिसके कारण व्ही एल.सी. सिस्टम में डाटा दर्ज करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

**2.2** मासिक सिविल लेखे की इलैक्ट्रॉनिक डाटा (Text File) में कभी-कभी बिना इस कार्यालय को पूर्व सूचित किये परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से व्ही.एल.सी. सिस्टम में डाटा दर्ज करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं अनावश्यक लेखा संकलन कार्य में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है ।

**2.3** वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोषालयों द्वारा पूर्व माहों में रोकड़ लेखे (CASH ACCOUNT) एवं अदायगी सूची (LOP) प्रेषित एवं बंद किये जाने के उपरांत भी लेखों में संशोधन होना पाया गया है, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है ।

रोकड़ लेखा एवं अदायगी सूची में निरन्तर संशोधन लेखांकन प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न करता है, जिसका आवश्यक रूप से निराकरण किया जाना चाहिये, जिससे बार-बार किये जाने वाले अनावश्यक संशोधन कार्यवाही से बचा जा सके एवं आंकड़ों को अंतिम लेखे में सही प्रदर्शित किया जा सके ।

**2.4** आई.एफ.एम.आई.एस. सिस्टम से प्राप्त पेंशन प्रमाणकों में दृष्टिगत हुआ है कि मुख्य शीर्ष 2071 अन्य सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित प्रमाणकों पर प्रभार का विभाजन एकीकृत मध्य प्रदेश व विभाजित मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य नहीं किया जा रहा है । अतः कर्मचारी/अधिकारी द्वारा संबंधित राज्य के अधीन रही सेवा के अनुपात के आधार पर राशियों का वास्तविक प्रभाजन संबंधित प्रमाणकों पर दर्शाया जाना आवश्यक है ।

**2.5** मुख्य शीर्ष 8793 से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अन्य राज्य के पेंशनरों को किये गये भुगतान की वसूली संबंधित राज्य से किये जाने हेतु साक्ष्य अभिलेख के रूप में संकलित बैंक स्कॉल भोपाल कोषालय से इस कार्यालय में लेखा माह 03/2020 (द्वितीय सूची) से अप्राप्त है । जिसके कारण जिला कोषालय भोपाल से दूरभाष संपर्क के माध्यम से राज्यवार Covering प्राप्त कर संकलन करना पड़ रहा है ।

**2.6** प्रमाणकों की जांच के दौरान पाया गया कि कुछ प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा नवीन पेंशन योजना में शासकीय अंशदान भारित मद में गलत वर्गीकृत किया गया है । जो त्रुटिपूर्ण है तथा शासकीय अंशदान दत्तमत में वर्गीकृत किया जाना चाहिये एवं आई.एफ.एम.आई.एस. सिस्टम द्वारा भारित मद में प्रमाणक स्वीकार कर भुगतान किया जाना बजट प्रावधान के अधीन व्यय संबंधी प्रारंभिक चैक की खामी को दर्शाता है ।

**2.7** विभागीय आय व्यय के आंकड़ों के शत-प्रतिशत अंकमिलान एवं वार्षिक लेखों में उनकी सटीक एवं प्रामाणिक प्रस्तुति पर आधारित होती है । अतः लेखा प्रणाली की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन को चाहिये कि आय-व्यय संबंधी समस्त आंकड़ों का समयबद्ध एवं पूर्ण अंकमिलान सुनिश्चित करने पर अत्यंत महत्व प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश एवं निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ करें ।

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के पत्र क्रमांक/861/2022/डी.टी.ए./सं.को.ले./अं.मि.शा./2022 भोपाल दिनांक 08.06.2022 द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह के मासिक लेखा के आंकड़े कार्यालय महालेखाकार से निर्धारित समयावधि में प्राप्त किये जाते रहे हैं ।

किन्तु, वर्ष 2024-25 के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों का अपेक्षित पालन नहीं किया गया । मासिक लेखों के आंकड़ों का अंकमिलान निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया, जबकि इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर पत्राचार कर आवश्यक अनुकरण हेतु आग्रह किया गया था जो कि चिंताजनक है ।

**2.8** कोषालय विन्ध्याचल भवन द्वारा मासिक लेखे भेजे जाने के पश्चात भी संशोधित किया जा रहा है । कोषालय द्वारा मासिक लेखे को बन्द करने के पश्चात लेखे को फ्रीज नहीं करने से महालेखाकार कार्यालय को लेखे भेजे जाने के उपरांत डाटा में परिवर्तन के कारण गड़बड़ी की संभावना पैदा हो सकती है साथ ही महालेखाकार तथा राज्य सरकार के बीच आंकड़ों के मिलान में भिन्नता उत्पन्न होती है ।

अतः महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात फ्रीज किया जाना आवश्यक है तथा इस कार्यालय की अनुमति के बिना लेखा अनफ्रीज न किया जाए जिससे आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से प्राप्त ई-डाटा की विश्वसनीयता बनी रहे ।

**2.9** कुछ कोषालयों द्वारा 8658-112 Income Tax TDS की डेबिट साइड में डाटा दर्ज किया जा रहा है, जो कि त्रुटिपूर्ण है ।

**2.10** वर्ष 2024-25 के अन्त तक अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस.

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सत्यापित मासिक तिथिवार व्यय पत्रक (व्ही.डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद, बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर, दो प्रतियाँ कार्यालय महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक, प्रेषित किया जाना चाहिये ।

ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं, जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है। वर्ष 2019-20, 2020-21, 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार व्यय पत्रकों (व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण **परिशिष्ट संख्या – 3(i) से 3(v)** में दर्शाया गया है ।

**2.11** कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी. राशि तथा आर.बी.डी. पत्रक में दर्शित राशि में अंतर ।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि के अनुसार ही आर.बी.डी. पत्रक संलग्न कर मासिक लेखे के साथ भेजे जाने चाहिए। दोनों के मध्य यदि कोई अन्तर हो तो, अन्तर का निराकरण कर लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष 2024-25 में **परिशिष्ट संख्या-4(अ)** एवं **4(ब)** में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न कोषालयों द्वारा प्रस्तुत लेखे में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि तथा संबंधित आर.बी.डी. पत्रक अनुसार राशि में अंतर पाया गया ।

**2.12** व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 355 के प्रावधानों के तहत, कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा शेष राशि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिये। प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से अंकमिलान कर सुधार किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 में **परिशिष्ट संख्या-5** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 38 कोषालयों में संधारित

कुल 114 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष परिलक्षित हुआ है, जिनके निराकरण हेतु कोषालयों द्वारा अंकमिलान नहीं किया जाना है।

### **2.13 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के अवशेषों का अंकमिलान किया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 359के प्रावधानों के तहत, कोषालय में संधारित प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेप खाताधारक के खाते में शेष राशि का मिलान कार्यालय महालेखाकार के अभिलेख से प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये तथा अंतर यदि कोई हो, का अविलम्ब निराकरण किया जाना चाहिये।

वर्ष 2024-25 के लेखांकन के दौरान मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में 61 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के शेषों का अंकमिलान किया गया है।

### **2.14 व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 359 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर, कार्यालय प्रधान महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये, साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार अन्त शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये।

समीक्षा वर्ष 2024-25 में पाया गया कि 34 कोषालयों (दतिया, मण्डला, भिण्ड, आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, धार, डिण्डोरी, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, वल्लभ भवन, विदिशा, विन्ध्याचल भवन) से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जबकि 20 कोषालयों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे।

### **2.15 विभिन्न निक्षेप के धन ऋण पत्रक प्राप्त न होना**

वर्तमान में सभी निक्षेप के धन ऋण पत्रक आई.एफ.एम.आई.एस. पर अपलोड किये जा रहे हैं।

## भाग–तीन

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई  
विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें / कमियां

### भाग-3

## वर्ष 2024-25 में कोषालयों के निरीक्षण एवं व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य अनियमिततायें

### 3.1 वर्ष 2024-25 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालयों का विवरण

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है, जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2024-25 के दौरान **परिशिष्ट संख्या-1** में दर्शाये गये 35 कोषालयों का निरीक्षण योजनानुसार किया गया।

### 3.2 वर्ष 2024-25 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है -

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	167	527
वर्ष के दौरान वृद्धि	35	288
<b>योग</b>	<b>202</b>	<b>815</b>
वर्ष के दौरान निराकरण	97	309
दिनांक 31.3.2025 को अंतशेष	105	506

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु सचिव वित्त विभाग, आयुक्त, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के उपरांत समीक्षा वर्ष 2024-25 में 97 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं 309 कंडिकाओं का निराकरण किया गया। दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 105 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 506 कंडिकायें लंबित हैं।

### 3.2.1 कोषालय द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलम्ब से प्राप्त होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 43 एवं 44 के अनुसार प्रधान महालेखाकार कार्यालय के कोषालय निरीक्षण दल द्वारा कोषालय के निरीक्षण के पश्चात पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में जारी कर उसका प्रथम पालन प्रतिवेदन जारी

होने के दिनांक से पांच सप्ताह के अंदर महालेखाकार कार्यालय को भेजने हेतु लेख किया जाता है । संचालनालय तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण की निगरानी रखी जानी चाहिए ।

समस्त कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां आयुक्त कोष एवं लेखा, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन तथा संबंधित कोषालयों को पांच सप्ताह में पालन प्रतिवेदन भिजवाने हेतु पालनार्थ भेजे जाते हैं, परंतु समीक्षा वर्ष 2024–25 में पाया गया कि, **परिशिष्ट संख्या-6** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 35 कोषालयों में से 19 कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम पालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुये तथा 16 कोषालयों के पालन प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त हुये ।

### 3.2.2 कोषालयों का विभागीय निरीक्षण निर्धारित अवधि में न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 31(1) (2) एवं 32 के अनुसार कोषालयों का विभागीय निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्न अवधि अनुसार किया जाना चाहिये ।

स.क	निरीक्षण अधिकारी का पदनाम	निर्धारित अवधि
		<b>कोषालय</b>
1	आयुक्त/संचालक कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल	3 वर्ष में एक बार
2	संभागीय आयुक्त (राजस्व)	वर्ष में एक बार
3	क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन	वर्ष में एक बार
4	जिला कलेक्टर	वर्ष में दो बार
5	नामित उपजिलाध्यक्ष	प्रतिमाह
6	कोषालय अधिकारी	—
7	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	—

सभी कोषालयों में उक्त प्रक्रिया का केवल आंशिक पालन किया गया जबकि सभी निरीक्षण निर्धारित अवधियों पर पूर्ण किये जाने चाहिए ।

### 3.3 पेंशन से संबंधित प्रकरण

#### 3.3.1 राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमिततायें

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र०एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 25.9.06 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2008/नियम/चार दिनांक 01.10.2009 में दिये गये निर्देश अनुसार राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन बिल से प्रतिमाह अंशदान की राशि की कटौती की जावेगी तथा उसके समतुल्य राशि राज्य शासन की तरफ से निर्धारित शीर्षों में जमा की जावेगी ।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-7** में दर्शाये गये कोषालयों में कर्मचारियों के वेतन बिल से कटौती द्वारा प्राप्त अंशदान (पेंशन योजना) राशि ₹ 1148.34 करोड़ के विरुद्ध शासन के समतुल्य राशि ₹ 1158.29 करोड़ जमा की गई है तथा ₹ 179.55 करोड़ जमा किया जाना लंबित पाया गया ।

#### 3.3.2 राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) अंतर्गत 14 प्रतिशत की दर से शासकीय अंशदान का कम आहरण पाया जाना।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ:9-4/-/2021/नियम/चार, दिनांक 25 मई 2021 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार भारत की अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 के अनुसार नियोक्ता अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 25.09.2006 के बिन्दु 8 में समतुल्य शासकीय अंशदान के स्थान पर संशोधन करते हुए शासकीय अंशदान वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत किया गया है। उक्त प्रावधान दिनांक 01.04.2021 से लागू किया गया है।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-8** में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा उक्त आदेश का पालन निर्धारित अवधि से नहीं किया जाना पाया गया है ।

### 3.4 सामान्य भविष्य निधि

#### सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्रों का निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-5/4/2005/नि./चार दिनांक 29.6.2005 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के सा.भ.नि. अंतिम भुगतान के

प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तथा आहरण अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हैं । इस कारण अनावश्यक श्रम एवं समय लगता है तथा शासन पर कई मामलों में वित्तीय भार भी आता है। इसके अलावा विलम्ब से उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ब्याज की राशि की हानि भी उठानी पड़ती है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या –9** में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी कुल 22 प्राधिकार पत्रों पर राशि ₹ 2.48 करोड़ का भुगतान आहरण अधिकारियों से समन्वय करके जारी होने के दिनांक से छःमाह की (वैधता) अवधि में नहीं किया गया तथा पुनर्वैधीकरण की कार्यवाही भी लंबित पाई गयी ।

### **3.5 बिल एवं लेखा से संबंधित क्षेत्र**

#### **3.5.1 विभागीय प्राप्ति एवं भुगतानों का सत्यापन कोषालयीन अभिलेख से न किया जाना**

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार वित्त विभाग क्रमांक 2570/3359/2000/सी/चार, दिनांक 12.12.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-10** में दर्शाये गये 35 कोषालयों में से 11 कोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

#### **3.5.2 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना**

भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़ों के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. के परिपत्र संख्या डी.जी.बी.ए.जी.ए. डी./1377/31.4.008/2002-03/02.2.03 एव पत्र क्र.सं.बैं.ले.नि.जी.ए.डी.एच.698/31.4.008/2002-03/17.6.03 के द्वारा दो पासबुक क्रमशः कोषालय एवं एजेंसी बैंक स्तर पर राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़े प्रतिदिन सतत रूप से दर्ज करने तथा परस्पर सत्यापन के उद्देश्य से संधारित करने के निर्देश हैं । प्रत्येक माह पासबुक के 'ए' साइड पर बैंक स्तर व

‘बी’ साइड पर कोषालयीन अभिलेख से आय व्यय के आंकड़े दर्ज करने हेतु, निर्धारित किये गये हैं जिसका परस्पर सत्यापन भी किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2024–25 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या–11** में दर्शाये गये कोषालयों ने भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया ।

### **3.5.3 निर्माण तथा वन प्रेषणों का प्रमाणीकरण न किया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 के सहायक नियम 289 तथा 294 के प्रावधान अनुसार क्रमशः निर्माण तथा वन विभागों के, माह के दौरान प्रेषणों एवं प्राप्तियों के आकड़ों का मिलान संबंधित कोषालयों के अभिलेख से किया जाना चाहिये जिससे माह के दौरान प्रेषण एवं जमा राशि के आकड़ों की पुष्टि की जा सकें। कोषालय द्वारा आंकड़ों के मिलान बावत् नियमानुसार निम्न आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये –

माह के दौरान वन प्रेषणों की प्राप्ति एवं उनके द्वारा जमा की, प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 58 में एक समेकित कोषालय पावती कोषालय अधिकारी द्वारा कोषालय से लेन देन कर रहे प्रत्येक वन अधिकारी को अगले माह की 5 तारीख तक भेजी जानी चाहिये। जैसे ही कोषालय से समेकित कोषालय पावती प्राप्त होती है, उसकी तुलना रोकड़ पुस्तक में की गई प्रविष्टियों के साथ की जावेगी तथा संभागीय वन अधिकारी को भेजी जावेगी।

इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये प्रेषणों की एक समेकित कोषालय पावती प्रत्येक माह के अन्त में कोषालय अधिकारी द्वारा एम.पी.टी.सी. प्रपत्र 56 में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार समेकित कोषालय पावती पर अपने अभिलेख से मिलान उपरान्त हस्ताक्षर कर पावती वापस की जानी चाहिये।

वर्ष 2024–25 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या–12** में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा वन तथा निर्माण प्रेषणों एवं जमा राशियों का मिलान कराने बावत्, आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई ।

### **3.6 जमा खातों की अभिरक्षा**

#### **3.6.1 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 334 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये ₹ 10000.00 से अनाधिक की जमा राशियों को, वित्त वर्ष में अंशतः वापस भुगतान की गई जमा राशि के पश्चात शेष बची दस हजार रूपये से अनधिक

की जमा राशियाँ, तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों तक अवशिष्ट समस्त अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में लेखा शीर्ष 0075 में व्यपगत किया जावेगा । इस तरह व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-13** में दिये गये विवरण अनुसार 33 कोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि ₹ 404.49 करोड़ को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना पाया गया था ।

### **3.6.2 व्यक्तिगत जमा लेखे में त्रुटिपूर्ण/गलत संचालन का प्रकरण**

#### **वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खाता खोलना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 311 के नीचे अंकित मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1/2003/नियम/4 दि. 7.6.2003 के अनुसार कोषालय में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोले जाने के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है । शासन के किसी भी विभाग अथवा प्राधिकारी को अपने स्तर पर कोषालय में पी.डी. खाता खोलने के आदेश देने का अधिकार नहीं है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-14** में दर्शाये गये 22 कोषालयों में आहरण अधिकारियों के एक से अधिक पी.डी. खाते वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना संधारित हैं ।

### **3.6.3 तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी पी.डी./ई.डी. खातों की राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना**

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 319(2) के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है, तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे । यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल रहता है अथवा कोषालय अधिकारी व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है, तो कोषालय अधिकारी महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर, संबंधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0075 में अंतरित कर खाता बन्द करेगा ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या 15** में दर्शाये गये 22 कोषालयों में 87 व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी, खातों में शेष राशि रु. 130.30 करोड़ को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

### **3.6.4 वन मण्डल द्वारा प्राप्त वन राजस्व आय को राज्य शासन की संचित निधि में जमा न करते हुये व्यक्तिगत निक्षेप खातों में रखा जाना**

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-2 के स.नि. 39(5) अनुसार –“शासकीय धनराशि के बैंक में चालान से जमा किये जाने पर कार्यालय प्रमुख को चाहिए कि वह चालान का मिलान एवं सत्यापन संचालनालय, कोष एवं लेखा की वेबसाइट से करे तथा अभिप्रमाणित करने के पूर्व स्वयं संतोष करे कि रकम वास्तव में शासन के पक्ष में सही मद में जमा की जा चुकी है।”

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-2 के स.नि. 314 (1) अनुसार – “जब तक कि ऐसा किसी वैधानिक प्रावधान के कारण अपेक्षित न हो या राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुक्त, कोष एवं लेखा या राज्य शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेशों से अथवा राज्य शासन की अभिरक्षा में रखने को अधिकृत न किया गया हो, लोक लेखा में निक्षेप हेतु धनराशि प्राप्त नहीं की जावेगी।”

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 250 (1) अनुसार – “ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शासकीय खाते में राशि जमा करना चाहता है, वह सायबर कोषालय पर सीधे या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेगा। केवल विशेष प्रकरणों में आयुक्त, कोष एवं लेखा की सामान्य या विशेष स्वीकृति से बैंक में भौतिक चालान द्वारा राशि जमा की जायेगी।”

संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/डी.टी.ए./साय.टे./53 दिनांक 13.02.2017 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि काष्ठ डिपो की नीलामी से प्राप्त ऐसी राजस्व आय जिसे सायबर कोषालय के माध्यम से जमा करने में असुविधा हो, को पी.डी. खाते में जमा करने के निर्देश सहित वन विभागों से संबंधित राजस्व जमाकर्ताओं से सीधे सायबर कोषालय के माध्यम से विभाग के प्राप्ति शीर्ष में प्राप्त की जाये।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-16** में दर्शाये गये कोषालयों में पाया गया कि वन मण्डल कार्यालयों द्वारा प्राप्त वन प्राप्तियों व जी.एस.टी. की राशि ₹ 7.04

करोड़ को कमशः विभागीय लेखा शीर्ष 0406 व 8658-139 में न लेते हुए पी.डी. खातों में रखा जा रहा है ।

### **3.6.5 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख, कोषालयीन अभिलेख एवं धनऋण पत्रक में अंतर**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 353 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा। कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी. टी.सी.75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये शेष के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा । यदि कोई भिन्नता हो, तो कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-17** में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयीन तथा न्यायालयीन अभिलेख में दर्ज राशियों में पाये गये अन्तर राशि तथा कोषालय अभिलेख एवं धनऋणपत्रक अनुसार राशियों में अंतर निराकरण किये बिना ही लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया ।

### **3.6.6 महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी./ई.डी. खातों के शेषों में अंतर पाया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 331 में दिये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों से संबंधित धन ऋण पत्रक तैयार कर प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, जिसके आधार पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषालयवार पी.डी./ई.डी. खाता संधारित किया जाता है ।

वर्ष 2024-25 में निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-18** में दिये गये विवरण अनुसार कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत/शैक्षणिक निक्षेप खातों में महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख एवं कोषालय के अभिलेख अनुसार शेषों में अंतर पाया गया ।

### **3.6.7 वन विभाग द्वारा मालिक मकबूजा से संबंधित काष्ठ क्रय की राशि को पी.डी. खाते से भुगतान किया जाना**

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के अध्याय 2 के नियम 6 के अनुसार “Unless otherwise expressly authorised by any law or rule order having the force of law, money may not be removed

from the Consolidated Fund and Public Account for investment or deposit elsewhere without the consent of the Finance Department.”

मध्य प्रदेश शासन के बजट वर्ष 2024-25 में मांग संख्या 10 के अंतर्गत मालिक मकबूजा से संबंधित योजना शीर्ष 7781 (मालिक मकबूजा लकड़ी का क्रय) के अंतर्गत राशि ₹ 38,00,00,000/- (रूपये अड़तीस करोड़) का प्रावधान किया गया है।

मालिक मकबूजा (स्वयं की भूमि) से प्राप्त काष्ठ के मूल्य का भुगतान भूमि स्वामी को वन विभाग द्वारा निर्धारित समय में किया जाता है। भूमि स्वामी को अपनी भूमि से संबंधित काष्ठ विक्रय हेतु दो विकल्प हैं:-

विकल्प 1: वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय तथा

विकल्प 2: पृथक लॉट बनवाकर विक्रय।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-19** में दर्शाये गये कोषालयों में पाया गया कि वन विभाग (उत्पादन) द्वारा मालिक मकबूजा से संबंधित काष्ठ क्रय की राशि को वन विभाग द्वारा संचालित पी.डी. खाते (8443-00-106-00) से संबंधित भूस्वामी को भुगतान किया जा रहा था जबकि उक्त भुगतान हेतु मध्य प्रदेश शासन के बजट के अंतर्गत योजना शीर्ष 7781 में बजट का प्रावधान किया गया था।

### **3.7 कोषालयों में सुरक्षा**

#### **3.7.1 (i) दृढ़ कक्ष से संबंधित सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 60(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये। निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोषालय में उपलब्ध रखें।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **कोषालय देवास** द्वारा दृढ़ कक्ष से संबंधित वर्ष 2024-25 का सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

#### **(ii) कोषालय के सुदृढ़ कक्ष में बीट चार्ट न लगाया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 60 (3) के अनुसार सुदृढ़ कक्ष के पहरे के दौरान संतरियों की स्थिति को दर्शाने वाला बीट चार्ट जिला आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त कर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये।

**कोषालय देवास** में उक्त नियम के अनुसार बीट चार्ट प्राप्त कर प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया।

**(iii) खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति की राशि को जमा न कराया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 10 के तहत कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है । कलेक्टर का यह देखने का कर्तव्य है कि खजांची ने शासन को हानि से बचाने हेतु यथोचित मात्रा में जमानत प्रस्तुत की है । प्रतिभूति की राशि खजांची के सामान्य प्रभार में रहने वाले औसत मुद्रांक के बराबर होनी चाहिये, जो राशि ₹ 10000/- हो अथवा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक न हो ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-20** में दर्शाये गये 06 कोषालय द्वारा खजांची तथा भण्डार लिपिक से उक्त नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गई थी ।

**(iv) कोषालय के सुदृढ़ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना**

कोषालय के सुदृढ़ कक्ष की अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में यथा स्थान पर स्थापित होना चाहिये । परंतु वर्ष 2024-25 में निरीक्षण के दौरान देवास कोषालय के सुदृढ़ कक्ष में रखे अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में नहीं पाया गया ।

**3.7.2 बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस न लिया जाना**

**(i)** मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 28(1) के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबन्द लिफाफा, जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापिस लिया जाना चाहिये । इसके पश्चात यदि जमाकर्ता तिजोरी/सीलबन्द लिफाफे को कोषालय में पुनः जमा करना उचित समझता है तो, उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-21'अ'** में दर्शाये गये कुल 30 कोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे 8013 मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरांत भी जमाकर्ता द्वारा वापिस नहीं लिये गये थे ।

**(ii)** मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 28(2) के नीचे टिप्पणी (2) के अनुसार ₹ 50000.00 से कम कीमत के बहुमूल्य सीलबंद पैकेट्स इत्यादि न्यायालयों द्वारा कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में नहीं रखा जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-21'ब'** में दर्शाये गये कुल 19 कोषालयों में उक्त नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया ।

### **3.7.3 दृढ़ कक्ष की दोहरी चाबियों की अभिरक्षा नियमानुसार न किया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 61 (1)(च) के अनुसार कोषालय के दृढ़ कक्ष की मूल एवं दोहरी चाबियों को प्रत्येक दो वर्षों में बदलकर उपयोग में लेना चाहिये। कोषालय दृढ़कक्ष से संबंधित जो चाबी कोषालय के उपयोग में नहीं आ रही है, सीलबन्द पैकेट में सुरक्षित रखना चाहिये तथा इस प्रकार सीलबन्द किये गये पैकेट्स स्वयं कलेक्टर के द्वारा बैंक की पास की शाखा को प्रबंधक के नाम से बीमायुक्त एवं गोपनीय पार्सल के रूप में पंजीकृत भेजना चाहिये। दो वर्षों में एक बार अप्रैल माह में पैकेट्स को वापस प्राप्त कर उपयोग में आ रही चाबियों को पुनः उक्त प्रक्रिया अनुसार बैंक में रखना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-22** द्वारा पैड-लॉक की चाबियों को उक्त नियमानुसार बदलना नहीं पाया गया।

### **3.8 मुद्रांक लेखे का संधारण**

#### **3.8.1 मुद्राकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण**

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक 2922/स्टाम्प/2003 दिनांक 21.10.2003 के अनुसार ज्यूडिशियल एवं नान ज्यूडिशियल मुद्राकों के कोषालयों में भण्डारण की सीमा निर्धारित की गई है जिससे मुद्राकों की छपाई, भाड़ा तथा सुरक्षा पर अनावश्यक व्यय न हो।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-23** में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा राशि ₹ 1417.17 करोड़ मूल्य के मुद्राकों का आवश्यकता/निर्धारित सीमा से अधिक अनावश्यक भण्डारण रखा गया।

#### **3.8.2 अप्रचलित मुद्राकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण**

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 27/स्टाम्प/2008 भोपाल दिनांक 03.1.2008 के साथ प्राप्त मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. (40) बी 4-13-07-02-पांच दिनांक 15.11.2007 के निर्देशानुसार विभाग ने ऐसे नान ज्यूडिशियल स्टाम्प जिन पर शब्द **मध्य प्रदेश व क्रमांक मुद्रित न हो**, का प्रदाय प्रतिबंधित किया गया था।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-24** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 16 कोषालयों द्वारा राशि ₹ 101.48 करोड़ के अप्रचलित नान ज्यूडिशियल स्टाम्प तथा अन्य स्टाम्पों का दृढ़

कक्ष में अनावश्यक भण्डारण रखा जाना तथा इन मुद्रांकों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया ।

**3.8.3 मुद्रांकों एवं अन्य मूल्यवान सम्पत्ति की रिपोर्ट महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया जाना**  
मध्यप्रदेश कोष संहिता 2020 के भाग-2 के सहायक नियम 5 के अनुसार प्रभार ग्रहण करते समय या भारमूक्त होते समय कलेक्टर/कोषालय अधिकारी कोषालय में मुद्रांकों एवं अन्य मूल्यवान सम्पत्ति आदि का पूर्ण सत्यापन करेगा और अपेक्षित फार्म जिसमें मुद्रांकों एवं अन्य मूल्यवान सम्पत्तियों कोषालय शेष दर्शाया गया हो, उसी दिन चार्ज रिपोर्ट के साथ महालेखाकार एवं आयुक्त, कोष एवं लेखा को प्रेषित करेगा ।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या 25** में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा उक्त सहायक नियम का अनुपालन नहीं किया गया ।

### **3.9 व्यय लेखा परीक्षा संबंधी तथा अन्य विसंगतियां**

#### **3.9.1 पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 13 के अनुसार भाग दो के परिशिष्ट 5 में उल्लेखित कोषालयीन अभिलेखों की सूची में उनके समक्ष दर्शाई अवधि तक सुरक्षित रखा जावेगा। निर्धारित अवधि उपरांत रिकार्ड कीपर विनष्टीकरण योग्य अभिलेखों की सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा तथा अनुमोदन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-26** में दर्शाये गये 24 कोषालयों द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात भी अभिलेखों के विनष्टीकरण की कार्यवाही नहीं की गई ।

#### **3.9.2 मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना**

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 128(4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में भंडार का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिये तथा पंजी का संधारण प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 9 में किया जाकर प्रतिवर्ष पंजी का सत्यापन भंडार प्रभारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी से कराया जाना चाहिये ।

कोषालय नर्मदापुरम, अनूपपुर एवं विदिशा में संधारित मृत स्कंध पंजी का उपरोक्तानुसार सत्यापन नहीं कराया गया था ।

### **3.9.3 प्राप्ति शीर्ष 0039 के कोषालयीन व विभागीय प्राप्ति आंकड़ों में भिन्नता पाया जाना।**

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियम 9 (9) अनुसार राशियां जो किसी प्राधिकारी के पक्ष में जमा की गई हैं, की मासिक सूची कोषालय अथा कोषालय साफ्टवेयर पर ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट से डाउनलोड कर प्राप्त की जाना चाहिए एवं उसका सत्यापन कर अगले माह की 10 तारीख तक कोषालय को उपलब्ध कराई जाना चाहिए। राशियों के सत्यापन के लिए जिम्मेदारी प्राधिकारी का वेतन तभी आहरित किया जाएगा, जब सत्यापित सूची कोषालय को प्राप्त हो जाए। सूची में ऑनलाइन, ऑफ लाइन सभी प्रकार की जमा राशि सम्मिलित होगी। कोषालय साफ्टवेयर से प्राप्त सूची और विभाग की प्राप्तियों में अंतर होने पर विभागीय अधिकारी द्वारा अंतर का निराकरण बिना समय गंवाए त्वरित रूप से करना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया **परिशिष्ट संख्या-27** में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा आबकारी विभाग व कोषालय दोनों के अभिलेखों अनुसार प्राप्तियों में अंतर परिलक्षित हो रहा था।

### **3.9.4 महालेखाकार को लेखा प्रेषण उपरांत IFMIS पर कोषालयीन लेखा के भुगतान /प्राप्ति/RBD आंकड़ों में परिवर्तन पाया जाना।**

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता-2020 भाग-2 के स.नि. 27(2) के अनुसार “यदि महालेखाकार को लेखा भेजने के पश्चात् वर्गीकरण में अथवा विभागीय तौजियों के मिलान करते समय त्रुटि पायी जाती है तो केवल ऐसे प्रकरणों में, जिनमें त्रुटियां कोषालय स्तर पर प्रविष्टि करते समय हुई है, तुरंत एक टीप इस संबंध में प्रभावित बिंदु के समक्ष दी जाएगी। कोषालय अधिकारी को किसी तरह से अंको, लेखा शीर्षों में या अन्य कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत ही प्रारूप एम.पी.टी.सी. 78-ए पर उचित अंतरण हेतु एक प्रार्थना-पत्र महालेखाकार को भेजे। महालेखाकार समायोजन करने की सूचना कोषालय अधिकारी को भेजेगा तथा अंतरण किये गए इस तथ्य की टिप्पणी कोषालय पंजी में महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर दी जाएगी।”

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-28** में दर्शाये गये कोषालयों के विवरण अनुसार कोषालयीन लेखा के आंकड़ों में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा था।

### **3.9.5 आबकारी विभाग के निविदाकारों द्वारा जमा निविदा राशि का त्रुटिपूर्ण जमा एवं वापिसी किया जाना**

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 324 के अनुसार—“इच्छुक निविदाकारों द्वारा जमा की जाने वाली बयाना राशियों के संबंध में, जो राजस्व निक्षेपों के समान

जमा की जाने योग्य हैं, विभागीय अधिकारी के पूर्व प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जमाकर्ता को चाहिये कि वह जिसके हित में जमा कर रहा है, उस शासकीय सेवक का पदनाम बताये तथा वही पदनाम कोषालय द्वारा दी गई पावती पर बताया जाना चाहिये।”

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 325 (2) अनुसार— “सिविल विभागों की बयाना निक्षेप राशि राजस्व निक्षेपों के समान समझा जावेगा।”

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-29** में दर्शाये गये कोषालयों में नमूना जांच दौरान त्रुटिपूर्ण बयाना निक्षेप राशि जमा किया जाना पाया गया।

### **3.9.6 भौतिक प्रमाणकों की जांच**

**(i) डी0डी0ओ0 के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच में दर्शित विसंगतियां**

**(ii) कोषालयीन भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच में दर्शित विसंगतियां**

मध्यप्रदेश बजट मैनुअल खण्ड-1 के चैप्टर-8 के पैरा क्रमांक 8.3 के बिन्दु 5 एवं 8.5 के प्रावधानानुसार:-

8.3 (5) “Budget Control: This would require BCOs to ensure that:

- (i) Expenditure does not exceed the budget allocation.
- (ii) Expenditure is incurred for the purposed for which funds have been provided.”

8.5 DDOs are authorised to draw money from the Treasury on behalf of BCOs/Administrative Department for disbursement. As such, responsibility mentioned above for BCO, in principle, attach equally to DDOs. In addition, DDOs must ensure that:

2. Probability of any excess expenditure over amounts allotted are foreseen and intimation of the likely excess, along with reasons for this, is sent to the BCO concerned in sufficient time to enable the latter to arrange additional provision of funds.

म.प्र. शासन, वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ3/2010/नियम/चार दि 14.12.2012 द्वारा विविध प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारी निर्धारित किये गये हैं। जिसके एपेंडिक्स तीन के बिन्दु 9 अनुसार Furniture in own and subordinate offices के क्रय हेतु सिर्फ विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-30** एवं **परिशिष्ट संख्या-31** में दर्शाये गये कोषालयों के भौतिक प्रमाणकों की जांच में दर्शित विसंगतियां पायी गयीं।

### **3.9.7 विद्युत प्रभारों का विलम्ब भुगतान होने से विलम्ब भुगतान अधिभार पाया जाना**

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के चैप्टर-2, अनुभाग-2 के नियम 15 अनुसार “It is an important financial principle that money indisputably payable should not, as for as possible, be left unpaid and that money paid should under no circumstances be kept out of accounts a day

longer than is absolutely necessary even through the payment is not covered by proper sanction. It is no economy to postpone inevitable payments even for the purpose of avoiding an excess over a grant or appropriation and it is very important to ascertain, liquidate and record the payment of all actual obligations at the earliest possible date. It must be borne in mind that if an inevitable payment is required to be made in the absence of funds the error lies not so much in the payment as in the entering into of the relevant liability.”

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-32** में दर्शाये गये प्रमाणकों की नमूना जांच में विद्युत प्रभार देयकों में विलम्ब भुगतान अधिभार राशि ₹ 16.54 लाख किया जाना पाया गया।

### **3.9.8 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जी.एस.टी. शीर्ष 8658-00-139 की प्राप्ति एवं आर.बी.आई जमा में अंतर**

वित्तीय लेखों के नियमानुसार जी.एस.टी. कटौती की राशि वित्तीय वर्ष में महीने वार शीर्ष 8658-00-139 में प्राप्ति की जाती है तथा आगामी माह की तारीख 10 तक विगत माह के जी.एस.टी की राशि भारतीय रिजर्व बैंक को अनिवार्य रूप से हस्तान्तरित की जानी चाहिये तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जी.एस.टी शीर्ष 8658-00-139 के प्राप्ति एवं आर.बी.आई. जमा में अंतर निरंक हो जाना चाहिये।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-33** में दर्शाये गये कोषालयों में वर्ष की समाप्ति पर जी.एस.टी शीर्ष 8658-00-139 के प्राप्ति एवं आर.बी.आई. जमा में अन्तर परिलक्षित होना पाया गया था।

### **3.9.9 शीर्ष 8658-00-101 P.A.O. सस्पेंस में अनाधिकृत प्रविष्टियां**

1. वित्तीय लेखों के नियमानुसार PAO Suspense शीर्ष 8658-00-101 केन्द्रसरकार के लिए उत्पन्न होने वाले अन्तसरकारी लेनदेन के प्रारम्भिक रिकार्ड के लिए अभिप्रेत है तथा इसे केन्द्रसरकार द्वारा केन्द्रशासित प्रदेश से अलग केंद्रीय CPAO की बुक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय लेनदेन के निपटान हेतु प्रयोग किया जाता है।

2. पूर्व में GST की राशि की प्राप्ति एवं भुगतान हेतु उक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु प्रावधान किया गया था। वर्तमान में GST एक्ट में संशोधन उपरांत GST की राशि की प्राप्ति एवं भुगतान मुख्य शीर्ष 8658-139 में वर्गीकरण किया जाना है।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-34 एवं 35** में दर्शाये गये कोषालयों में शीर्ष 8658-00-101 के अर्न्तगत विभिन्न लेनदेन/वर्गीकरण परिलक्षित होना पाया गया।

### **3.9.10 बिना विभागाध्यक्ष स्वीकृति के Office supplies & equipment का क्रय किया जाना**

म.प्र. शासन, वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ3/2010/नियम/चार दि 14.12.2012 द्वारा विविध प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारी निर्धारित किये गये हैं। जिसके Section-5 Purchase of Goods & Services के बिन्दु क्रमांक 5.2 में Purchase of Office Supplies & Equipment's मद में व्यय किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख को 01 लाख प्रतिवर्ष तक व्यय करने का प्राधिकार प्राप्त है व इससे अधिक के व्यय हेतु विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग सक्षम प्राधिकारी हैं।

म.प्र. वित्तीय संहिता खण्ड-1 चैप्टर 7 के नियम 15 अनुसार "Purchase orders should not be split up to avoid the necessity for obtaining the sanction of higher authority required with reference to the total amount of the orders."

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-36** में दर्शाये गये कोषालयों में एक ही वित्त वर्ष में Office Supplies & Equipment's का क्रय बिना विभागाध्यक्ष स्वीकृति के कार्यालय प्रमुख (वरिष्ठ कोषालय अधिकारी) की स्वीकृति पर ही किया जाना पाया गया।

### **3.9.11 आकस्मिक प्रभारों के भुगतान हेतु अनियमित पद्धति अपनाये जाकर Paid by me आधार पर व बिना कोई राशि सीमा रखे किसी भी कर्मचारी को भुगतान किया जाना**

म0प्र0 कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 150 अनुसार शासकीय अधिकारी जिन्हें कोषालय पर देयक प्रस्तुत कर राशि आहरित करने के पूर्व आकस्मिक व्यय का भुगतान करना होता है ऐसा भुगतान वे स्थायी अग्रिम से कर सकते हैं, जिसे रखने हेतु उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत कर पूर्ति करते रहने की शर्त पर अनुज्ञापित किया गया है। स्थायी अग्रिम रखने वाला, उसे सौंपी गई राशि की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है, उसे कभी भी कुल राशि को नगदी में या प्रमाणकों के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार रहना चाहिए। ₹ 5,000/- तक के ऐसे समस्त दावे स्थायी अग्रिम या रोकड़ से वितरित किये जा सकते हैं।

म0प्र0 कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 151 (1) अनुसार स्थायी अग्रिमों की समस्त स्वीकृतियां एवं आयुक्त, कोष एवं लेखा को भेजी जायेगी। यह राशि कोषालय के प्रारूप एम.पी.टी.सी.-76 में साधारण पावती प्रपत्र में अग्रिम स्वीकृति के आदेश की प्रति संलग्न कर निकाली जा सकेगी एवं सहा0 नियम 151(2) अनुसार स्थायी अग्रिम की प्रतिपूर्ति संबंधित विभागीय मद के अंतर्गत की जायेगी।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-37** में दर्शाये गये कोषालयों में विविध आकस्मिक प्रभारों के भुगतान हेतु नियमानुसार स्थायी अग्रिम राशि व पद्धति को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था एवं किसी भी कर्मचारी द्वारा उक्त व्यय स्वयं भुगतान किये जाकर क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि प्राप्त की जा रही थी साथ ही विविध प्रकरणों में उक्त प्रकार के दावे/राशि ₹ 5,000/- से अधिक भी होना पाया गया ।

### **3.9.12 ठेकेदारों को किये गये भुगतान देयकों से आयकर एवं जी.एस.टी. की नियमानुसार कटौती नहीं किया जाना**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-C (1) (ii) अनुसार-ठेकेदार को वित्तीय वर्ष के दौरान राशि ₹ 1,00,000/- से अधिक भुगतान या क्रेडिट पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाना चाहिए एवं जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 अनुसार ठेकेदार को वित्तीय वर्ष के दौरान Contract Value (Excluding GST & Taxes) की राशि ₹ 2,50,000/- से अधिक होने की स्थिति में 2 प्रतिशत जीएसटी (1% CGST, 1% SGST or 2% IGST) कटौती (Deduct) किया जाना चाहिए।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-38** में दर्शाये गये कोषालयों के प्रमाणकों की नमूना जांच में निम्नानुसार कम/निरंक कटौती किया जाकर ठेकेदार को अधिक भुगतान किया जाना परिलक्षित होना पाया गया ।

### **3.9.13 जी.एस.टी. की राशि का नियमानुसार समय पर जमा न किया जाना**

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 50/2018-सेंट्रल टैक्स दिनांक 13.09.2018 के अनुसार विभिन्न कॉन्ट्रेक्टर/सप्लायर्स को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी गई जीएसटी टीडीएस की राशि को सीजीएसटी एक्ट-2017 के धारा-51 के अनुसार अगले माह की 10 तारीख तक सरकार के खातों में जमा करवाया जाकर जीएसटीआर-7 रिटर्न फाइल किया जाना है।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-39** में दर्शाये गये कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विभिन्न कॉन्ट्रेक्टर/सप्लायर्स को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी गई जीएसटी की राशि को नियमानुसार जमा नहीं किया जाना पाया गया ।

### **3.9.14 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर कोषालय आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं पाया जाना**

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के भाग दो के सहायक नियम 85 के अंतर्गत प्रत्येक ऐसा शासकीय अधिकारी जो कोषालय पर भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलो पर हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत है, अपने आदर्श नमूना हस्ताक्षर किसी वरिष्ठ अथवा अन्य अधिकारी जिसके आदर्श नमूना हस्ताक्षर पहले से ही कोषालय अधिकारी के मार्फत कोषालय अधिकारी को भेजेगा। जब ऐसा कोई अधिकारी अपने कार्यालय का प्रभार अन्य को सौंपता है, वे उसी प्रकार कार्य मुक्त होने वाले अधिकारी से आदर्श नमूना हस्ताक्षर संबंधित कोषालय अधिकारी को भेजेगा। कोषालय अधिकारी इसे कोषालय साफ्टवेयर में अपलोड करेगा।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-40** में कोषालय साफ्टवेयर/IFMIS साफ्टवेयर में नमूना हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होना पाया गया।

### **3.9.15 सायबर कोषालय के तहत जमा राशियों का सत्यापन न किया जाना**

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-एक के नियम 9 (9) अनुसार राशियां जो किसी प्राधिकारी के पक्ष में जमा की गई हैं, की मासिक सूची कोषालय अथवा कोषालय साफ्टवेयर पर ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट से डाउनलोड कर प्राप्त की जाना चाहिए एवं उसका सत्यापन कर अगले माह की 10 तारीख तक कोषालय को उपलब्ध कराई जाना चाहिए। राशियों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी का वेतन तभी आहरित किया जाएगा, जब सत्यापित सूची कोषालय को प्राप्त हो जाए। सूची में ऑनलाइन, ऑफ लाइन सभी प्रकार की जमा राशि सम्मिलित होगी। कोषालय सॉफ्टवेयर से प्राप्त सूची और विभाग की प्राप्तियों में अंतर होने पर विभागीय अधिकारी द्वारा अंतर का निराकरण बिना समय गंवाए त्वरित रूप से करना चाहिए।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-41** में दर्शाये गये कोषालयों में विभिन्न डी.डी.ओ. द्वारा मासिकी रूप से सायबर चालान प्राप्ति होने के उपरांत भी सत्यापित सूची कोषालय को प्रेषित नहीं की जा रही थी।

### **3.9.16 असफल ई-भुगतान के पुर्नभुगतान से संबंधित विसंगतियां**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग दो के सहायक नियम 323 के अनुसार समस्त निक्षेपो को यथासंभव ऑनलाइन, पुस्तक अंतरण या साइबर कोषालय के माध्यम से जमा किया जायेगा।

निक्षेप प्राप्तियों की पंजी एम.पी.टी.सी. 64 में जमा की प्रविष्टि हेतु आवश्यक सभी विवरण दिया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग दो के सहायक नियम 326(2) के अनुसार कोषालय अधिकारी प्राप्ति की पंजी में दर्ज राशि का भुगतान राशि से मिलान करेगा तथा शेष पर्याप्त है, व पाने वाले की पॉवती लेगा, भुगतान करेगा तथा तुरंत प्रारूप एम.पी.टी.सी. 65 में संधारित की गई वापसी की पंजी में अभिलेखित करेगा तथा उसमें प्राप्ति की तारीख तथा वापसी की राशि भी लिखेगा।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-42** में दर्शाये गये कोषालयों में असफल ई-भुगतान के पुर्नभुगतान से संबंधित विसंगतिया परिलक्षित हुई ।

### **3.9.17 जी.एस.टी. की राशि की पार्किंग गलत मुख्य शीर्ष में कर भुगतान किया जाना**

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 50/2018-सेंट्रल टैक्स दिनांक 13.09.2018 के अनुसार विभिन्न कॉन्ट्रेक्टर/सप्लायर्स को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी गई जीएसटी टीडीएस की राशि को सीजीएसटी एक्ट-2017 के धारा-51 के अनुसार अगले माह की 10 तारीख तक सरकार के खातों में जमा करवाया जाकर जीएसटीआर-7 रिटर्न फाइल किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के द्वारा मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में शीर्ष 8658-139 का प्रावधान किया गया है। जिसमें जीएसटी की राशि की कटौती एवं भुगतान किया जाना है।

वर्ष 2024-25 में **परिशिष्ट संख्या-43** में दर्शाये गये कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न कॉन्ट्रेक्टर/सप्लायर्स के द्वारा जमा राशि अथवा क्रय- विक्रय की राशियों को उनके व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा किया जा रहा था अर्थात जी.एस.टी की राशि की पार्किंग पी.डी. खातों में किया जा रहा था। तदोपरांत उसका भुगतान जीएसटी मद में किया जा रहा था।

### **3.9.18 प्रमाणकों में शामिल राजस्व प्राप्ति की कटौतियों का संबंधित राजस्व शीर्ष में शामिल न होना**

वर्ष 2024-25 में **परिशिष्ट संख्या 44** में दर्शाये गये कोषालयों के प्रमाणकों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रमाणकों में राजस्व शीर्ष 0070 के अधीन दर्ज कटौतियां ऋणात्मक डेबिट (अधिक भुगतान वसूली की स्थिति में)/कोषालयीन कटौतियों (प्राप्ति की स्थिति में) के स्थान पर त्रुटिवश

महालेखाकार कटौतियों (AGBT) में शामिल किये जाने के कारण राज्य शासन के संबंधित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में/ऋणात्मक डेबिट के रूप में शामिल नहीं हो पाई हैं। अतः परिणामस्वरूप राज्य शासन की संबंधित प्राप्ति शीर्ष (मुख्य शीर्ष 0070) के कम आंकड़े दर्शित हो रहे थे।

### **3.9.19 राजस्व जमा के प्रारंभिक शेष व अंतिम शेष में अंतर**

वर्ष 2024-25 में परिशिष्ट संख्या 45 में दर्शाये गये कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि IFMIS प्रणाली द्वारा सिस्टम जनरेटेड प्रतिवेदन में संबंधित राजस्व जमा राशियों के प्रारंभिक शेष एवं विगत वर्ष की अंतिम शेष में अंतर परिलक्षित हो रहा था।

### **3.9.20 शून्य बजट के अधीन त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण में आहरण पाया जाना**

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के परिशिष्ट-3 (दो) में कोषालयों हेतु इलेक्ट्रॉनिक देयक तैयार, उत्सादित, प्रस्तुत एवं पारित करने की प्रक्रिया अंतर्गत बिन्दु 12 अनुसार- आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित देयक, कोषालय के क्रियेटर की कार्यसूची में उपलब्ध होगा, जिसका परीक्षण कर यह जांच की जायेगी कि देयक विहित प्रारूप में है, उसमें आवश्यक संलग्न हैं, लेखा शीर्ष सही है एवं सभी आवश्यक विवरण प्रविष्ट किये गये हैं व सक्षम स्वीकृतियां देयक के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में देयक के साथ संलग्न की गई हैं।" एवं बिन्दु 13 अनुसार- देयक की जांच के पश्चात् क्रियेटर अपनी टिप्पणी/आपत्ति सहित वेरिफायर (यदि कोई हो) को ऑनलाइन अग्रेषित करेगा। वेरिफायर, स्वीकृति की वैधता, बजट उपलब्धता दावे से संबंधित नियमों एवं वित्त विभाग के तत्समय प्रचलित निर्देशों के प्रकाश में परीक्षण करेगा तथा अपनी टिप्पणी सहित उसे कोषालय अधिकारी को अग्रेषित करेगा। बिन्दु 14 अनुसार-कोषालय अधिकारी भुगतान के लिए देयक पारित करेगा या नियमानुकूल न होने पर उसमें आपत्ति लगाकर उसे लौटा देगा।

कोषालय दतिया के निरीक्षण के दौरान निम्न प्रमाणकों में बजट उपलब्धता न होते हुए भी आहरण पाया गया:-

स. कं.	माह/वर्ष	प्रमाणक कमांक	लेखा शीर्ष वर्गीकरण (प्रमाणक अनुसार)	देयक की राशि ₹
01.	03/2024	9	07-2030-01-102-4611-31-008- V	240/-
02.	03/2024	16	07-2030-01-102-4611-31-008- V	250/-
03.	03/2024	17	07-2030-01-102-4611-31-008- V	250/-
04.	03/2024	29	07-2030-01-102-4611-31-008- V	250/-
05.	03/2024	33	07-2030-01-102-4611-31-008- V	250/-
06.	03/2024	53	07-2030-01-102-4611-31-008- V	5000/-
07.	03/2024	67	07-2030-01-102-4611-31-008- V	1250/-
08.	03/2024	68	07-2030-01-102-4611-31-008- V	250/-

### **3.9.21 विभाग/कार्यालय द्वारा निविदा हेतु अनियमित टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुये वाहन किराये पर लिया जाना**

म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कं. एफ-11-16/2012/नियम/चार, दिनांक 06.10.2012, दिनांक 24.12.2013 एवं दिनांक 28.12.2017 द्वारा मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शासकीय धन के उचित उपयोग एवं एकरूपता की दृष्टि से विभिन्न विभागों/कार्यालयों को मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु दिशानिर्देश प्रसारित किये गये हैं जिसके अनुसार—

वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति पूर्वानुसार वित्तविभाग द्वारा दी जावेगी। वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा की जा सकेगी।

वाहन किराये पर लेने हेतु मासिक दरें नियमानुसार, सेवाकर (Service Tax) हेतु पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं से, निविदा आमंत्रित कर निर्धारित की जानी चाहिए। सेवा कर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना, प्रचलित नियमों में अनुमत्य है। किराये पर लिये जाने वाले वाहनों हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर निविदा के माध्यम से ही ऑफर्स प्राप्त किये जाने चाहिए। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिये जायें।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-46** में दर्शाये गये कोषालयों में अनियमित टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुये वाहन किराये पर लिया गया ।

### **3.9.22 मुख्य शीर्ष 8658-123 (All India Service Officers-GIS) में अन्य विभाग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण राशि जमा किया जाना**

मुख्य शीर्ष CGA द्वारा जारी “List of Major and Minor Heads” अनुसार All India Service से संबंधित अधिकारियों (IAS, IPS, IFS) के वेतन से की गई समूह बीमा योजना की राशि के कटौत एवं जमा हेतु निर्धारित की गई है।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-47** अनुसार मुख्य शीर्ष 8658-123 (All India Service Officers'-Group Insurance Scheme) में DDOs द्वारा अन्य विभाग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समूह बीमा की राशि का त्रुटिपूर्ण जमा किया जाना पाया गया।

**3.9.23 (i) मुख्य शीर्ष 2075(Miscellaneous General Service) से Refund of Revenue के माध्यम से विभिन्न फर्म/लाभार्थी को की जाने वाली भुगतान संबंधी विसंगतियां**

**(ii) Refund of Revenue के माध्यम से विभिन्न फर्म/लाभार्थी को की जाने वाली भुगतान संबंधी विसंगतियां**

म.प्र कोषालय संहिता के सहायक नियम 223 के अनुसार राजस्व की वापसियां उचित प्राधिकार प्रस्तुत करने और उचित पावती देकर हीं आहरित की जा सकती है। ऐसे मामलों में जिनमे शासन के राजस्व के लिए देय राशि विभागीय अधिकारी द्वारा प्राप्त की गयी थी तथा शासन के खातों में जमा की गई थी और भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना विभागीय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुई है तो उनमें विभागीय अधिकारी को चाहिए कि वह राशि आहरित कर संबंधित व्यक्ति को भुगतान करे। तथापि, ऐसी राशि आहरित की जाकर उनकी मांग की जाने तक किसी जमा खाते में नहीं रखी जा सकती है।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या 48 एवं 49 में दर्शाये अनुसार Refund of Revenue के माध्यम से विभिन्न फर्म/लाभार्थी को की जाने वाली भुगतान संबंधी विसंगतियां प्रतीत हुई ।

**3.9.24 सरकारी कर्मचारियों के वेतन से आयकर की राशि का कटौत्रा नियमानुसार न किया जाना**

आय कर अधिनियम 1961 के सेक्शन 208 के अनुसार यदि आय कर की राशि किसी एक वित्तीय वर्ष मे रु. 10000/- या इससे अधिक हो तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन से आय कर की राशि का कटौत्रा Advance Tax के रूप मे किया जाना है, इस प्रकार प्रत्येक टैक्सपेयर को हर वित्तीय वर्ष मे तिमाही अग्रिम आयकर की किस्तों का भुगतान करना होगा।

यदि कोई करदाता अग्रिम कर की किस्तों का समय पर भुगतान नहीं करता है तो Income Tax की धारा 234C के अंतर्गत बकाया अग्रिम कर की राशि पर 1% प्रतिमाह ब्याज दर से दंड अधिरोपित किया जाता है। आय कर की अग्रिम राशि का भुगतान निम्नानुसार समय पर किया जाना है :-

अवधि	15 जून तक	15 सितंबर तक	15 दिसंबर तक	15 मार्च तक
अग्रिम कर की राशि का प्रतिशत	15% तक का अग्रिम कर	45% तक का अग्रिम कर	75% तक का अग्रिम कर	100% तक का अग्रिम कर

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या 50 में दर्शाये अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 मे आयकर अग्रिम की राशि का कटौत्रा उपरोक्तानुसार न किया जाकर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व केवल फरवरी/मार्च मे किया गया था।

### 3.9.25 व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाताधारकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक देयक तैयार, उत्सादित, प्रस्तुत एवं पारित करने की प्रक्रिया में विसंगतियां

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के परिशिष्ट 3 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक देयक तैयार, उत्सादित, प्रस्तुत एवं पारित करने की प्रक्रिया को निम्नानुसार ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय में देयक तैयार करने के लिये जिम्मेदार कर्मचारी (क्रिएटर) द्वारा कोषालय साफ्टवेयर में अपने पासवर्ड से लागिन कर इलेक्ट्रॉनिक देयक विहित प्रारूप में, समस्त सुसंगत विवरण सहित, तैयार किया जाएगा। देयक के साथ समस्त अभिलेख/विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में संलग्न किये जाएँगे। उप-प्रमाणक/अभिलेख, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध नहीं है वे स्कैन किये जाएँगे और उनकी स्कैन प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक देयक के साथ संलग्न की जाएंगी। देयक तैयार कर वेरिफायर (यदि कोई है) अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अप्रूवल) को अग्रेषित किया जाएगा।
2. क्रिएटर/वेरिफायर द्वारा अग्रेषित देयक का आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कोषालय साफ्टवेयर में अपने पासवर्ड का उपयोग कर, देयक का सुसंगत नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा एवं भुगतान से संबंधित सभी विवरण यथा प्राप्तकर्ता/दावेदार का नाम, बैंक खाता विवरण, दावे की राशि की गणना एवं देय राशि, सक्षम स्वीकृति, आवश्यक संलग्नक अभिलेख की सत्यता की जांच करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो सुधार किया जावेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी का समाधान हो जाने पर भुगतान हेतु देयक अनुमोदित करेगा। कोषालय साफ्टवेयर में एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक देयक भेजने के लिये हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगे।

वर्ष 2024-25 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या 51 में दर्शाये अनुसार जिला कोषालय सतना निरीक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत/शैक्षणिक खातों की नमूना जाँच के दौरान निम्नलिखित प्रशासकों द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण कोषालय स्तर पर देयकों की जाँच सही तरीके से नहीं हो पा रही थी ।

### 3.9.25 विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण एवं अनुरक्षण कार्यों का भुगतान सीधे निर्माण एजेंसी को न कर अधीक्षक छात्रावास के माध्यम से किया जाना

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक.F 2-1/2022/नियम/चार भोपाल, दिनांक 03.06.2022 के अनुसार विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण/सामान्य मरम्मत एवं विशेष मरम्मत के कार्यों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । साथ ही उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु भवन प्रभारी राशि रु.5 लाख तक के कार्यों को कराने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर नियमानुसार सीमित निविदा (कोटेशन) प्राप्त कर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली एजेंसी का चयन कर, कार्य संपादित करा सकेंगे। उपरोक्त कार्य प्रमाणीकरण के आधार पर कार्य के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी ।

वित्तीय संहिता भाग 1 के अध्याय 2 के नियम 6 के अनुसार “Unless otherwise expressly authorised by any law or rule or order having the force of law, moneys may not be removed from the Consolidated Fund and Public Account for investment or deposit elsewhere without the consent of the Finance Department.”

वर्ष 2024–25 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या 52 में दर्शाये अनुसार जनजातीय कार्य विभाग, द्वारा अनुसूचित जनजाति के 20 छात्रावास/आश्रमों में परिसंपत्तियों के संधारण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु विभागीय संस्थाओं (अधीक्षक छात्रावास) के खातों में कुल राशि रु.56,52,000/- का भुगतान किया गया था, जबकि उक्त भुगतान नियमानुसार निर्माण एजेंसी को किया जाना चाहिए था।

## भाग–चार

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में आई.टी. नियंत्रण एवं आई.टी. सुरक्षा जांच बिन्दु संबंधी जानकारी

#### 4.1 मध्य प्रदेश में कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण

मध्य प्रदेश में कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण मैनुअल प्रणाली की कमियों को दूर करने एवं बेहतर बजटीय नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया गया है । कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं संचालन की प्रभावशीलता के आंकलन हेतु कोषालयों का सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षण किया जाता है जिसके कुछ मुख्य बिन्दु निम्न हैं :-

- System requirements specification (SRS), User requirements specification (URS) आदि का निरीक्षण
- सामान्य नियंत्रण (General Control) का निरीक्षण
- अनुप्रयोग नियंत्रण (Application Control) का निरीक्षण

कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य शासन के मानवीय भूल की घटनाओं को कम करने, बेहतर बजटीय नियंत्रण स्थापित करने, लेखा की स्वच्छ एवं पठनीय प्रतियां तैयार करने तथा उपलब्ध निधि के प्रयोग की स्थिति एवं धन के व्यय से संबंधित वास्तविक समय की स्थिति प्राप्त करने के लिये कोषालयों को कम्प्यूटीकृत किया गया है ।

#### सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षण का उद्देश्य

कोषालय कार्यालयों का सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षण, कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की कार्यक्षमता, मितव्ययता एवं प्रभावशीलता के आंकलन के उद्देश्य से किया जाता है जिसे निम्न उद्देश्यों में विभाजित किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या:-

- प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन प्रभावशील था ।
- साफ्टवेयर की नियंत्रण की सुविधायें पर्याप्त थी ।
- आपदा प्रबंधन योजना/व्यापार निरंतरता योजना प्रभावशील थी ।
- विभिन्न स्तर पर बजटीय नियंत्रण प्रभावशील था ।
- सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में व्यापार नियमों का अनुपालन किया गया ।
- निधि के आवंटन के अंतर्गत ही बिलों को पास किया गया ।
- आवश्यकता पड़ने पर आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति की निगरानी हो सके ।
- कोषालय में प्राप्त बिलों एवं दावों का त्वरित निपटान हो ।

## 4.2 कोषालयों के सूचना सुरक्षा/भौतिक सुरक्षा के दौरान पायी गयी विसंगतियां

वर्ष 2024-25 में सभी कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों में कार्य के त्वरित क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर प्रणाली लागू तो की गई है परंतु प्रणाली के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु व्यापक उपाय नहीं किये गये । इस संबंध में कम्प्यूटर की भौतिक सुरक्षा एवं डाटा प्रणाली में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई :-

- (i) कम्प्यूटर कक्ष तथा इसमें स्थापित कम्प्यूटर वस्तुओं, सर्वर आदि को आग से बचाने के लिए अग्निशामन यंत्र कम्प्यूटर कक्ष में पर्याप्त मात्रा में स्थापित नहीं किये गये और न ही धूल जो कि कम्प्यूटर की बोर्ड एवं अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर का मुख्य अवरोध है, से बचाने के लिये कोई पर्याप्त उपाय किये गये थे ।
- (ii) कम्प्यूटर सिस्टम में विद्युत व्यवस्था बाधित न होने की दृष्टि से यू.पी.एस. एवं बैटरियों को अलग स्विच रूम में स्थापित नहीं किया गया था ।
- (iii) डिजास्टर अथवा डाटा बेस क्लैश होने की स्थिति में डाटा प्राप्त करने के लिये डिजास्टर रिकवरी प्लान तैयार नहीं किया गया और न ही दैनिक डाटा को रिट्रीव करने संबंधी कोई उपाय किये गये थे ।
- (iv) मूल साफ्टवेयर, नवीनतम संस्करण तथा बैकअप आदि को अग्नि, अन्य क्षतिकारक यंत्रों एवं जोखिमों से बचाने के लिये अग्नि-रक्षित कैबिनेटों में रखने हेतु कोई सुविधा नहीं है और न ही अग्नि पहचान यंत्रों, श्रव्य संकेतो की व्यवस्था कोषालयों में रखी गई थी ।
- (v) कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कक्ष एवं सुरक्षा मैनेजर की स्थापना नहीं की गई थी ।
- (vi) बैकअप की उपलब्धता को जांचने के लिये डाटा को नियमित अंतराल पर जांच किये जाने संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था ।

## 4.3 कोषालयों के सूचना तकनीकी के निरीक्षण में पाई गई विभिन्न कमियां

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली का नेटवर्क आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है। अतः साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कमी को कोषालयों के निरीक्षण के समय पाये जाने पर कोषालय अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया है

कि साफ्टवेयर में आवश्यक सुधार आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय द्वारा किया जाना है । वर्ष 2024-25 में निरीक्षण के दौरान सभी कोषालयों अर्थात् 35 कोषालय (परिशिष्ट संख्या-1 में दिये गये विवरण अनुसार) के साफ्टवेयर में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई:-

- (1) कम्प्यूटर के उपयोग में आने से मुद्रांक विक्रेताओं को कम्प्यूटर के माध्यम से मुद्रांक जारी किये जाते हैं परंतु प्रणाली में मुद्रांकों के जारी किये जाने में कमीशन की राशि को मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि से घटाया नहीं जा रहा है, जिससे प्राप्त बजट के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । अतः प्रणाली में उक्त बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है ।
- (2) कम्प्यूटर प्रणाली में सिंगल लॉक पंजियां संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 94 एवं 95 (अ,ब) अनुसार आवश्यक है ।
- (3) म0प्र0 शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ-15/24/2003 /ई-4/दिनांक 11.11.2003 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार फ्रंट डेस्क काउन्टर्स पर लगे कम्प्यूटर्स पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के स्कैन किये हुए प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर तथा अधिकृत देयक वाहकों के पहचान स्वरूप उनके स्कैन किये गये फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर रखे जाने चाहिए जो निरीक्षण के दौरान नहीं पाये गये हैं ।
- (4) नॉन बजटेड राशियों जैसे सा.भ.नि. अग्रिम, समूह वीमा योजना आदि से संबंधित स्वीकृतियाँ बिल पारित होने के पश्चात भी लम्बित/अदावा स्वीकृतियों की सूची में लम्बित रहती है ।
- (5) संचालक कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक मुद्रांक पंजी 2010/248 भोपाल दिनांक 4-12-2010 में दर्शित परिशिष्ट एक एवं दो में दिए बिन्दु अनुसार स्टाम्प जारी करने के फील्ड में डिनोमिनेशन वार मुद्रांक दर्ज करने का फील्ड नहीं है ।
- (6) कर्मचारी का स्थानान्तरण एक कोषालय से दूसरे कोषालय में होने पर उसे कार्यमुक्त करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसका यूजर लॉगिन निष्क्रिय कर दिया गया है अन्यथा उसका दुरुपयोग सम्भव है ।

- (7) महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त लेखा अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों को प्रणाली में स्कैन करने का फॉर्मेट नहीं है जिससे सा.भ.नि.अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र का भुगतान करते समय हस्ताक्षरों का मिलान नहीं किया जा सकता है ।
- (8) प्रणाली में व्हीकल मास्टर में प्रविष्टि अनिवार्य रखी जानी चाहिये ।
- (9) कोषालय में सी.सी.टी.वी. एवं इमरजेन्सी सायरन जैसी व्यवस्था नहीं की गई है । तथा भवन की विद्युत व्यवस्था का प्रमाणीकरण लोक निर्माण विभाग के ई एण्ड एम डिवीजन से प्राप्त नहीं किया गया है ।
- (10) कम्प्यूटर के पेंशन फॉर्मेट पी0पी0ओ0 मोडीफाई आफ्टर एप्रूवल फॉर्मेट में किसी पेंशनर के एक से अधिक बार एक कोषालय से दूसरे कोषालय में स्थानान्तरण होने पर स्थानान्तरण की प्रविष्टि दर्ज नहीं होती है। इसी प्रकार दूसरे कोषालय के उपरोक्त फॉर्मेट में भी यह प्रविष्टि कि पेंशनर किस कोषालय से आया है, दर्ज नहीं होती है। इस हेतु पी0पी0ओ0 विस्तार फॉर्मेट में ही स्थानान्तरण की प्रविष्टि दर्ज होती है। अतः पी0पी0ओ0 मोडीफाई आफ्टर एप्रूवल फॉर्मेट में संशोधन की आवश्यकता है।

#### **4.4 सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार की आवश्यकता:—**

वर्तमान समय में प्रत्येक कोषालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होने के कारण इसके प्रभावी नियंत्रण एवं सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए । कोषालयों के निरीक्षण उपरांत सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण एवं सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं पर टिप्पणी निम्नानुसार है—

#### **IT controls and IT Security**

Sl.No.	Area	Points	Remarks
1.)	<b>Information Security</b>	<p>1. The Treasury Inspection team needs to check for the Information Security (IS) Policy Manual in which the procedures to govern and guide the treasuries' IS practices would have been stated.</p> <p>2. The Treasury Inspection team should verify whether the IS policy was as per applicable standard and subjected to review by a 3rd party auditor (TPA).</p> <p>3 Whether the government department is adhering to the IS Policy Manual throughout the transactions.</p>	Information Security control needs to be improved and IS policy should be reviewed by 3 <sup>rd</sup> party auditor.

2.)	<b>Physical Security</b>	<p>1. The Treasury Inspection team should check whether physical security measures for the systems dedicated to perform the transactions are in place for Treasuries &amp; Sub-Treasuries.</p> <p>2. The Treasury Inspection team should check whether all IT assets of the Treasuries &amp; Sub-Treasuries forming part of the IT system or connected to it, are governed and managed by physical access control policies.</p> <p>3. Perform checks to ensure whether these policies prohibit unauthenticated and unauthorized access to the IT system or any of its components.</p>	<p>Inspection team found lack of physical security measures for the system dedicated to perform the transactions.</p>
3.)	<b>Application Security</b>	<p>1. Whether login credentials/biometric authentication or digital certificate are a compulsory requirement for the Internal Users (Users / Operators) to login to the application.</p> <p>2. Whether for biometric login, password etc. are captured and stored under a 500 dpi resolution.</p> <p>3. Whether the application has the inbuilt capability to enforce required password policy (minimum password length, complexity requirements, password age, etc.).</p> <p>4. Whether the application locks out user Id after a configurable number of unsuccessful attempts.</p> <p>5. Whether the application user authentication &amp; authorization related transactions are encrypted.</p> <p>6. Whether the application restricts the user authentication whose password has expired until the user changes the expired password.</p> <p>7. Whether the application displays an appropriate message upon successful login/or a warning after failed login attempt.</p> <p>8. Whether the application supports role based access control to enforce segregation of duties.</p> <p>9. Whether the application enables the creation of different user groups and the assignment of different privileges to each group.</p>	<p>Biometric login, password, should be stored. There should be alert/warning message after failed login attempts.</p>

		<p>10. Whether the application displays the last login status (successful/ unsuccessful, time).</p> <p>11. Whether the system performs due authentication when accessed by other systems / web services / interfaces.</p> <p>12. Whether any direct access to the database is provided to any external agency. If so, whether such access was authorised and approved by the competent authority.</p> <p>13. What internal controls viz., data totalling / control totalling / checksums are deployed to ensure that the data transfer is complete and accurate while uploading data (e.g. upload of a XML file / Excel file / ASCII file) or data transfer.</p> <p>14. Whether the system is capable of secure File Transfer Protocol (FTP) ports.</p> <p>15. Whether data transfer to and from the application / web server is encrypted using SSL 3.1 128-bit encryption / AES or later encryption algorithm. If so, whether the encryption process ensures point to point encryption from the client to the application/web server.</p> <p>16. Whether the data generated by the system such as MIS or any other information is time stamped and digitally signed so as to ensure non-repudiation.</p> <p>17. Whether the uploaded file to the application system is scanned thoroughly before allowing it to reach application system for storage.</p> <p>18. Whether the control of Maker-Checker concept is implemented so that a user who creates a record or request is not be able to approve or update the record or request.</p>	
4.)	<b>Computing Environment</b>	<p>The Treasury Inspection team has to check the following as to whether</p> <p>1. All workstation hardware and associated peripheral equipment are marked with a unique asset identification code. The asset identification code to follow a defined naming convention that would uniquely and</p>	<p>There should be latest version of anti-virus be installed on all workstations, laptops and servers. USB ports should be deactivated in all</p>

		<p>appropriately identify the asset.</p> <p>2. USB ports are deactivated in all desktops / laptops, used by the treasury personnel, so as to prevent use of pen drives, external disk drives, etc.</p> <p>3. To check whether no CD-R drives are being used except with the prior approval of the TO.</p> <p>4. Any unauthorized connections (without prior permission) to the Internet are available by using external or inbuilt modems, broadband connections data card etc.</p> <p>5. Inbuilt modems in desktops / laptops are disabled.</p> <p><b>General guidelines on computer virus control</b></p> <p>1. To ensure that the latest version of anti-virus be installed on all workstations, laptops and servers.</p> <p>2. To ensure that the anti-virus software is run on network file servers on a regular basis, preferably daily.</p> <p>3. To ensure that all servers and desktops be automatically updated with the virus definitions from centralized server on daily basis.</p> <p>4. To ensure that the Antivirus solution is with automatic support and manual program and definition update.</p>	<p>desktops/laptops, use by the treasury personnel to prevent use of external data devices.</p>
5.)	<b>Backup and Recovery</b>	<p>1. Whether the backup and restoration policy has been framed and provided to the treasuries/sub treasuries as a deliverable.</p> <p>2. Whether the role and responsibility for taking backup of all data that is stored within the new system in accordance with the backup policy has been assigned.</p> <p>3. Whether the required backup solution for regular / scheduled backups is implemented.</p> <p>4. Whether any planning for offsite storage of the backup media is implemented and the offsite location identified and logistics planned for transportation of backup media.</p> <p>5. Whether asymmetric encryption of data backup files using private key of sender and decryption with public key of the sender is in vogue.</p>	<p>Periodical test of the backed up data by restoring the data to a media device should be carried out in order to check its consistency. A plan for offsite storage of the back up media should be identified alongwith logistics for transporting of back up media.</p>

		6. Whether periodical test of the backed up data by restoring the data, to a media device, in order to check its consistency is being carried out.	
6.)	<b>System Security</b>	<p><b><i>General guidelines on logical access control</i></b></p> <p>1. Whether access control procedures have been framed and followed.</p> <p>2. Whether, while framing access control procedures, the requirement to secure the entire IFMS system physically and logically has been considered.</p> <p>3. Whether the access control procedures cover all stages in the life-cycle of user access, from the initial registration of new users to the final de-registration of users who no longer require access to information systems and services.</p> <p>5. Whether any special needs which allow users to override system controls had been initiated as per the requirement; if so, what is the control mechanism in place to check the allocation of privileged access rights.</p> <p>6. Whether the external users (user outside the treasuries/sub treasuries) are given access to the system; if so, whether they are routed through the DMZ only.</p> <p>7. Whether the access for internal users are secure through Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and appropriate authentication services.</p> <p>8. Whether every component of the IFMS system, including the computers, printers, users, application and any other peripheral equipment have been identified within the directory server and whether the access is governed by policies.</p> <p>9. Whether access to users was restricted according to their requirement to read, write or execute data or software on the basis of the desired role. If so, whether it allowed controlling actions and access to resources of all users including privileged accounts such as root / administrator.</p> <p>10. Whether care had been taken to ensure that there was no mechanism available to delete data or information and all activities of deletion lead</p>	All these given points must be followed for system security pruposes.

		<p>the data to be moved to a secondary place earmarked for storing deleted data.</p> <p>11. Whether a single sign on into the entire IFMS system is implemented, wherein one identity is being used to login into a PC and the same identity can be used for working within the application, database and other software and hardware part of the IFMS system.</p> <p>12. Whether the entire IT system is governed by a single user management policy which should be defined &amp; deployed centrally using a centralized administration panel. If so, a one-to-one relationship between user Ids and individuals is incorporated.</p> <p>13. Whether System Administrator (SA) role has been identified to define the user policies which would enable the following list of indicative activities.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perform password management functions including controlled password expirations,</li> <li>b. forced password change with optional grace logins,</li> <li>c. minimum password lengths (eight characters),</li> <li>d. alphanumeric password standards,</li> <li>e. password history logging,</li> <li>f. user lockout from failed login attempts, etc.</li> </ol> <p>14. Whether all desktops / laptops, which are to be used for accessing information, are protected with a combination of user Id / password.</p> <p>15. Whether the mechanism exists to revoke the system access rights prior to or as soon as possible, when a Department employee or third party contract employee resigns/ retires.</p> <p>16. Whether any time period is specified for reconciliation of all active user ID's to ensure removal of redundant / unauthorized user IDs.</p> <p>17. Whether provisions have been incorporated to log and report all access violation attempts (user and resource authentication).</p> <p><b>General guidelines on Internet access and mail security</b></p> <p>18. Whether access to mailing service is strictly controlled using an access control policy within the IFMS system.</p>	
--	--	--	--

		<p>19. Whether access to chat services is strictly prohibited within the IFMS system.</p> <p>20. Whether the access to Internet content is controlled using access control &amp; content filtering policies and procedures.</p> <p><b>General guidelines on patch management</b></p> <p>21. Whether a centralized patch management solution is deployed for the desktops and servers.</p> <p>22. Whether each desktop at Treasuries / Sub-treasuries/Disaster Recovery/Business Continuity Pan is configured for automatic updation of patch from the centralized patch management server.</p>	
7.)	<b>Audit Trails &amp; Logs</b>	<p>Event logging is extremely helpful in documenting user activity and creates an accurate record of user activity so as to know which users accessed which system, as well as the respective websites they visited when and for how long. The system audit should invariably check for inbuilt control of logging all types of events especially those related to security and transactions.</p> <p>The IFMS should be checked for the following log collection methods:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Windows Management Instrumentation (WMI) for remote collection from the Windows Event Log.</li> <li>b. Syslog.</li> <li>c. Open Database Connectivity (ODBC).</li> <li>d. Text Log (flat file).</li> <li>e. Open Platform for Security (OPSEC).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Whether any methodology is adopted by the treasuries/sub treasuries on a timeframe for which old audit logs will be maintained for ready reference in the system. If so, after what time the old records are to be archived.</li> <li>2. Whether the application logs all application transaction details including time stamp, operator, approver IDs, update/modifications trail etc.</li> <li>3. Whether any methodology has been adopted and controls built in the application</li> </ol>	<p>Audit Trails &amp; logs should be enabled for all sensitive data to prevent loss, modification, or misuse of user data.</p>

		<p>to protect the logs/ audit trails from unauthorized deletion, modification, or disclosure.</p> <p>4. Whether the system has inbuilt audit trails for tracking creation, updation/modification and deletion for critical application areas.</p> <p>5. Whether any critical log information requiring urgent attention, viz., issues which can lead to downtime are captured and an appropriate alert is generated and sent to the technical team of the government departments.</p>	
8.)	<b>Data Protection</b>	<p>1. Whether the passwords/ other key data content is stored in encrypted form.</p> <p>2. Whether there is any control mechanism to ensure that data in any form is not copied on to any external media without authorization.</p> <p>3. Whether encryption of the backup of database using an asymmetric algorithm similar to the key for decrypting lies with one single individual and is traceable.</p> <p>4. Whether complete end point data protection is inbuilt so as to prohibit any type of data pilferage using unauthorized copying, storing and emailing.</p> <p>5. Whether any data copied or moved out of the IFMS system is encrypted with public key encryption.</p>	Adequate mechanism for data protection should be inbuilt for unauthorized access.

उक्त दर्शाए गए बिन्दुओं पर सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। साथ ही नियंत्रण को प्रभावी बनाये रखने के लिए सुरक्षा नीति बनाई जानी चाहिए एवं सामान्य नियंत्रण को भी प्रभावी ढंग से मजबूत बनाया जाना चाहिए।

#### 4.5 कोषालय संचनालय भोपाल के E-inspection के दौरान पायी गयी विसंगतियाँ

##### 4.5.1 विभागीय लेखे (Form 80) एवं कोषालयीन लेखे (Cash Account & LOP) में पायी गयी विसंगतियाँ बावत् ।

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग 2 के सहायक नियम 269 से 294 के अनुरूप विभागीय लेखों का संधारण किया जाता है।

जिसका लेखा विभाग द्वारा Form 80 में महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। विभागीय लेखों में दर्शाया गया व्यय जिसका भुगतान बैंक अथवा E-payment के माध्यम से विभागीय अधिकारी (Divisional Officer) द्वारा किया जाता है वह राशि Form 80 में 8782-102 शीर्ष में प्राप्त (Receipt Side ) प्रदर्शित होगी, E-payment सफल होने की स्थिति में उतनी ही राशि कोषालयीन लेखे के List of Payment (LOP) में शीर्ष 8782-102 में प्रदर्शित होगी, इसी प्रकार विभागीय अधिकारी (Divisional Officer) के द्वारा की गयी राजस्व प्राप्त Form 80 में 8782-102 शीर्ष में व्यय (Expenditure Side ) प्रदर्शित होगी एवं कोषालयीन लेखे के Cash Account में 8782-102 शीर्ष में प्रदर्शित होनी चाहिए ।

संचनालय कोष एवं लेखा कार्यालय के निरीक्षण के दौरान नमूना जांच माह जनवरी 2025 में दतिया कोषालय से संबंधित समस्त Form 80 एवं Cash Account & List of Payment (LOP) में निम्नलिखित अंतर पाया गया।

(In. Rs.)

			Receipt Side Of Form 80	Lop of Datia Treasury	Expenditure Side In Form 80	Cash Account Of Datia Treasury
SL No.	DDO NAME	DDO CODE	8782-102	8782-102	8782-102	8782-102
1	EE RES DATIA	0905803001	0	120151539	500000	500000
2	EE M LIGHT MECH TUB WELL GATES DATIA	0903102036	1495655			
3	EE PHE DATIA	0903402001	1165722			
4	EE RAJGHAT DISTRIBUTARY DN 9	0903102010	560976			
5	EE PWD DATIA	0901902002	89419911		1285000	
6	EE BHANDER	0903102040	742867			
7	EE BUILDING DATIA	0901903001	22843760			
<b>TOTAL</b>			<b>116228891</b>	<b>120151539</b>	<b>1785000</b>	<b>500000</b>

DIFFERENCE IN LOP AND RECEIPT SIDE OF DIVISION'S FORM 80-: 3922648/-

DIFFERENCE IN CASH ACCOUNT AND EXPENDITURE SIDE OF DIVISION'S FORM 80-: (-) 1285000/-

#### 4.5.2 SNA SPARSH प्रणाली में केंद्रान्श से सम्बंधित विसंगति वावत प्रमाणक एम.पी.टी.सी. प्रारूप में प्रदर्शित न होना ।

म.प्र. शासन के वित्त विभाग के पत्र क्रं 878/आर-2190396/ब-1/चार भोपाल दिनांक 29/07/2024 में दर्शित भारत सरकार के SNA SPARSH/ JUST-IN-TIME से संबधित दिशा निर्देश जारी किये गए हैं पूर्व में SNA की CSS स्कीम हेतु सम्बंधित भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा RBI को जारी ADVICE के द्वारा राज्य सरकार को जारी किया जाता था जिसका लेखा RBI Nagpur की Clearance Memo report द्वारा लेखांकन शीर्ष 1601-“केंद्र सरकार से प्राप्त लेखा अनुदान” में किया जाता था।

SNA SPARSH/ JUST-IN-TIME प्रणाली में देयक को IFMIS में तैयार कर PFMS Integration किये जा कर केन्द्रांश की राशि का Credit Notification राज्य सरकार के SNA-लिंकड SGL Account में प्राप्त होने के तदोपरांत Central Treasury द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश का भुगतान किया जाता है। केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि के भुगतान का पूर्ण विवरण Central Treasury की LOP से महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त हो जाता है जिसका लेखांकन कर लेखा में शामिल किया जा रहा है किंतु केन्द्रांश के Credit Notification का लेखांकन नहीं हो रहा है जिस कारण केंद्र सरकार से प्राप्त लेखा अनुदान की राशि का लेखांकन शीर्ष-1601 राज्य सरकार के वित्त लेखे में नहीं हो पाता है।

परिशिष्ट संख्या – 1

(पैरा-1.2 एवं 3.1)

मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों की सूची जिनका निरीक्षण वर्ष 2024-25 में किया गया

स.क्र.	कोषालय
1	मंदसौर
2	नीमच
3	उज्जैन
4	राजगढ़
5	कटनी
6	दतिया
7	टीकमगढ़
8	बालाघाट
9	बैतूल
10	होशंगाबाद
11	बुरहानपुर
12	अनूपपुर
13	निवाड़ी
14	श्योपुर
15	जबलपुर
16	छतरपुर
17	सीधी
18	अशोकनगर
19	गुना
20	शहडोल
21	रीवा
22	भोपाल
23	इंदौर
24	शाजापुर
25	वल्लभ भवन
26	खण्डवा
27	सतना
28	विन्ध्याचल भवन
29	विदिशा
30	देवास
31	धार
32	सागर
33	छिन्दवाड़ा
34	खरगौन
35	ग्वालियर

परिशिष्ट संख्या-2

(पैरा-1.3)

कोषालयों का उच्च जोखिम (High risk) एवं मध्यम जोखिम (Medium risk) के रूप में वर्गीकरण

उच्च जोखिम (High risk) वाले कोषालय		मध्यम जोखिम (Medium risk) वाले कोषालय	
स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	विन्ध्याचल भवन	1	विदिशा
2	जबलपुर	2	छतरपुर
3	वल्लभ भवन	3	खण्डवा
4	भोपाल	4	होशंगाबाद
5	ग्वालियर	5	देवास
6	इन्दौर	6	मंदसौर
7	धार	7	सीधी
8	रीवा	8	गुना
9	सागर	9	शहडोल
10	खरगौन	10	कटनी
11	छिन्दवाड़ा	11	टीकमगढ़
12	उज्जैन	12	दतिया
13	सतना	13	शाजापुर
14	बालाघाट	14	नीमच
15	राजगढ़	15	अनूपपुर
16	बैतूल	16	अशोकनगर
		17	श्योपुर
		18	बुरहानपुर
		19	निवाड़ी

परिशिष्ट संख्या-3(i)

(पैरा-2.10)

वर्ष 2019-20 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	VINDHYACHAL BHOPAL	DENA BANK	0092	05/19,09/19

परिशिष्ट संख्या-3(ii)

(पैरा-2.10)

वर्ष 2020-21 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
01	BHOPAL	ORIENTAL BANK PENSION	0717	07/2020
02	VINDHYACHAL BHOPAL	DENA BANK T.T. NAGAR	0092	06/2020 TO 01/2021

परिशिष्ट संख्या-3(iii)

(पैरा-2.10)

वर्ष 2022-23 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
01	VINDHYACHAL BHOPAL	T.T. NAGAR BANK OF MAHARASHTRA	0753	06/2022,07/2022,02/2023
	VINDHYACHAL BHOPAL	MLA REST HOUSE S.B.I.	6159	10/2022

परिशिष्ट संख्या-3(iv)

(पैरा-2.10)

वर्ष 2023-24 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
01	VINDHYACHAL BHOPAL	T.T. NAGAR BANK OF MAHARASHTRA	0753	11/2023,12/2023,
	VINDHYACHAL BHOPAL	MLA REST HOUSE S.B.I.	6159	12/2023

**परिशिष्ट संख्या-3(v)**

(पैरा-2.10)

**वर्ष 2024-25 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण**

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
01	VINDHYACHAL BHOPAL	CANARA BANK	2075	05/2024
	VINDHYACHAL BHOPAL	MLA REST HOUSE V.C. BHOPAL	6159	03/2025
02	BHOPAL	HAMIDIYA ROAD PENSION BHOPAL	2555	12/2024
03	SHEOPUR	SHEOPUR MAIN BR.	3089	03/2025

**परिशिष्ट संख्या-4 'अ'**

(पैरा-2.11)

**कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी.राशि तथा आर.बी.डी.पत्रक में दर्शित राशि में अंतर  
(माह 03/2025 तक समायोजित)**

स.क.	कोषालय	माह	नगद लेखा अनुसार कोषालय की राशि ₹	आर.बी.डी. पत्रक अनुसार कोषालय की राशि ₹	अंतर राशि ₹	
					डेबिट	क्रेडिट
1.	CENTRAL TREASURY BHOPAL	03/25	6193750235Cr.	2397890693 Cr.	00	3795859542
2.	REWA	03/25	464431629 Cr.	4642231429 Cr.	00	200
3.	V.C. BHOPAL	03/25	21066968695Cr.	21066968795 Cr.	100	00
4.	DHAR	03/25	8596465450 Cr.	8625409907 Cr.	28944457	00
	<b>TOTAL</b>				<b>28944557</b>	<b>3795859742</b>

**परिशिष्ट संख्या - 4 'ब'**

(पैरा-2.11)

**31 मार्च 2025 की स्थिति में मुख्य शीर्ष 8675-रिजर्व बैंक डिपॉजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों  
की लंबित मदों की सूची**

**1. (दिनांक 31.10.1990 के पूर्व की लंबित मदें)**

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	सतना	सतना कोषालय	4/77	—	1062.48	Try. RBD 8386603.70 Try Cash A/c 837541.22 It is a Cash A/c & RBD difference.
2	सीहोर	एस.बी.आई. 1264 / नसरुल्लागंज	2/83	300	—	The bank figure of Rs.300 for Nasrullaganj branch was wrongly posted against kurwai in 02/83 in this office. The bank figure of kurwai 02/83 Rs. 300 was adjusted in 02/96 by RBI hence the difference of Rs. 300 (Treasury figure of Nasrullaganj is still outstanding for want of adjustment.)

3	दमोह	एस.बी.आई. 1332 / हटा	12 / 87	—	1526	Due to lack of relevant record the amount could not be adjusted by this office.
---	------	----------------------	---------	---	------	---

## 2. (दिनांक 01.4.1990 के बाद की लंबित मदें)

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	राशि ₹		अभ्युक्तियां
				क्रेडिट	डेबिट	
1	शहडोल	एस.बी.आई. 0481 / शहडोल	4 / 90	24569	00	बैंक परिशोधन
2	—	—	7 / 90	00	38068.75	—
3	—	—	10 / 90	00	21824	—
4	रतलाम	एस.बी.आई. 6983 (0466 पुराना) / रतलाम	7 / 90	00	64265	—
5	विदिशा	स्टेट बैंक इंदौर 3075 / विदिशा	7 / 90	00	26780	—
6	इंदौरसिटी	एस.बी.आई. 0387 / मुख्य शाखा	7 / 90	33005.30	00	—
7	—	—	4 / 91	790166	00	—
8	—	—	5 / 92	00	191105	—
9	—	—	6 / 92	00	216233	—
10	—	—	7 / 92	00	63000	—
11	—	—	2 / 93	00	76524	—
12	सीधी	एस.बी.आई. 1262 / सीधी	8 / 90	00	43771	—
13	—	—	5 / 91	28048	00	—
14	रायसेन	एस.बी.आई. 0462 / रायसेन	12 / 90	00	24129	—
15	जिला भोपाल	एस.बी.आई. 0332 / सुल्तानियां रोड	3 / 91	00	931065	—
16	होशंगाबाद	एस.बी.आई. 0383 / होशंगाबाद	3 / 91	00	133893	—
17	सतना	एस.बी.आई. 0474 / सतना	6 / 91	134404	00	—
		<b>योग</b>		<b>1010192.30</b>	<b>1830657.75</b>	

**परिशिष्ट-5**

**(पैरा-2.12)**

**व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना**

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	प्रशासक का नाम	राशि ₹ (-)
1	ALI	1	MINI ITI ALIRAJPUR ALI	-47250
2	ASH	2	COLLECTOR & CHIF JANGADNA OFFICER ASHOKNAGAR COLL. & CHIF JANGANDNA OFF. ASH	-829992
3	BET	3	DIV. FOREST OFFICER (SOUTH) BETUL	-89680
	BET	4	COLLECTOR CENSUS BETUL BETUL	-282
	BET	5	DY. DIR. FARMAR WEL. & AGRI. DEV. BETUL	-16744230
	BET	6	A . S. C. O. BHAINSADEHI	-38100
4	BHI	7	ADDL. COLL., LAND AQU. OFF. BHIND BHIND	-361809
5	CHA	8	DIVISIONAL FOREST OFFICER (GEN.)CHA. CHHATARPUR	-16732295
	CHA	9	LAO CHHATARPUR CHHATARPUR	-253737627
	CHA	10	COLLECTOR AND SUPDT DIST. JAIL CHHATARPUR CHATTARPUR	-280017
	CHA	11	KRASHI PRASHIKCHHAN SANSTHAN NAOGAON CHHATARPUR	-372788
	CHA	12	COLLECTOR CENSUS 2011CHHATARPUR COLLECTOR CENSUS 2011 CHA.	-24875310
	CHA	13	DISTT. FOOD. OFFICER CHHATARPUR	-221835
	CHA	14	COLLECTOR ELECTION CHHATARPUR CHHATARPUR	-4569
	CHA	15	ASSTT DIRECTOR FISHERIES TRAINING INSTITUTE CHA CHHATARPUR	-1097326
	CHA	16	PRINCIPAL HSS LUGASI CHHATARPUR	-1272
6	CHI	17	ASSTT. LAND CONSERVATION OFFICER CHHINDWARA ASSTT. LAND CONSERVATION OFFICER CHHINDWARA	-5004383
7	DEW	18	DFO PRODUCTION CD DEWAS DFO PRODUCTION	-2240392
	DEW	19	COLLECTOR RENT CONTROL DEWAS	-23394000
	DEW	20	TRIBAL OFFICER DEWAS TRIBAL OFFICER DEWAS	-118208
	DEW	21	ASSTT. SOIL CONSERVATION DEWAS ASSTT. SOIL CONSERVATION DEWAS	-39800
8	DHA	22	LAO (REHABILITATION)MANAWAR DHAR	-931537
	DHA	23	DIV FOREST OFFICER DHAR DHAR	-7394289
	DHA	24	COLLECTOR L,A,O,D,M,I,C PROJECT DHAR	-727788700
9	DIN	25	EE PWD DINDORI DINDORI	-100
	DIN	26	DY DISTRICT ELECTION OFFICER DIN DINDORI	-23755
10	GWL	27	RASHTRIYA PRI. SCHOOL GWALIOR	-489745

11	HAR	28	SADHNA HSS HARDA HARDA	-164687
	HAR	29	ADARSH BAL MANDIR HARDA	-17593
	HAR	30	ASSTT.SOIL CONSERVATION OFF. SUB. DIV. HARDA ASSTT. SOIL CONSERVATION OFF. SUB. DIV. HARDA	-833976
	HAR	31	JANGANA 2010-2011 HARDA JANGANA 2010-2011 HARDA	-270846
	HAR	32	COLLECTOR FOOD BRANCH HARDA	-139733
	HAR	33	DY. DIR. FARMER WEL. & AGRI.DEV. HARDA	-172930
	HAR	34	D.F.O.PRODUCTION HARDA HARDA	-197328307
12	INC	35	M.P. BLIND ASSOCIATION INDORE	-13647
13	JBP	36	A. E. AGRICULTURE, ADHARTAL JABALPUR	-1825857
	JBP	37	ASSTANT SOIL CONSERVATION OFFICER SUB DN ASSTANT SOIL CONSERVATION OFFICER SUB DN	-840715
14	JHA	38	S.D.O. & L.A.O. JHABUA JHABUA	-86581973
15	KAR	39	DIV. FOREST OFFICER(GEN) KHARGONE KHARGONE	-13518218
	KAR	40	DIV. FOREST OFFICER(GEN) BADWAH KHARGONE	-130528490
	KAR	41	S.D.O. REVENUE KHARGONE KHARGONE	-55755190
	KAR	42	S.D.O. REVENUE BHIKANGAON KHARGONE	-134112649
	KAR	43	S.D.O. & LAO(REVENUE) KASRAWAD KHARGONE	-32520642
	KAR	44	DIST. SMALL SAVING OFFICER KHARGONE KHARGONE	-683341
	KAR	45	DIST. TREASURY OFFICER KHARGONE KHARGONE	-11657203
	KAR	46	L.A.O. AND REHABILITATION OFFICER APARVEDA PROJECT BHIKAN GAON	-47145285
	KAR	47	LAO MAHESHWAR JAL VIDYUT PARIYOJNA MANDLESH. KAR.	-3992777307
	KAR	48	SENIOR SUB JAIL SUPRINTENDENT SUB JAIL MAHESHWER KHARGONE	-18200
16	KAT	49	DIV. FOREST OFFICER KATNI KATNI	-2090795
	KAT	50	COLLECTOR AND DISTRICT ELECTION KATNI KATNI	-1184153
17	KHA	51	COLL. KHA KHA	-6758578
	KHA	52	L AO. INDIRA SAGAR PROJECT NO.2 KHANDWA KHANDWA	-37967980
18	MND	53	LAND ACQUISITION OFFICER MANDSAUR MANDSAUR	-30777513
	MND	54	LAND ACQUISITION OFFICER MALHARGARH MANDSAUR	-1817249
19	NAR	55	MUKHYA KARYA PALAK ADHI.GOTEGAON NARSINGHPUR	-152123
	NAR	56	COLL. SMALL SAVING N'PUR NARSINGHPUR	-1102145
	NAR	57	COLLECTOR LAND RECORD N'PUR NARSINGHPUR	-925646

	NAR	58	BAL MANDIR NARSINGHPUR NARSINGHPUR	-232128
20	NEE	59	DIV. FOREST OFFICER (GEN.DIV.)NEEMUCH NEEMUCH	-8868
21	PAN	60	DIV. FOREST OFFICER NORTH DIV. PANNA PANNA	-12567
22	RAJ	61	LAND AQUISION OFFICER RAJGARH RAJGARH	-3824188112
	RAJ	62	SUPDT.SUB.JAIL DIST.MAGISTRATE SARANGPUR RAJGARH	-586169
	RAJ	63	DY.DIR. FARMAR WEL. & AGRI. DEV. RAJGARH	-3815000
23	RAT	64	COLLECTER AND SUPTT. SUB JAIL SALANA RAT. COLLECTER AND SUPTT. SUB JAIL SALANA RAT.	-169431
24	RIS	65	COLLECTOR RAISEN RAISEN	-294258206
	RIS	66	S.D.M. BARELI RAISEN	-1747581
	RIS	67	S.D.O.GOHARGANJ RAISEN	-168438282
	RIS	68	S.D.M.BEGAMGANJ RISEN	-34456033
	RIS	69	COLLECTOR JANGANDA RAISEN COLLECTOR JANAGNDA RIS.	-3814846
	RIS	70	DFO PRODUCTION RAISEN	-31444383
25	SAG	71	PRI ITI SAGAR SAGAR	-586740
	SAG	72	COMM. WORKSMAN COMP. L.C. SAGAR SAGAR	-179816
	SAG	73	ASS. LABOUR COMM. SAGAR SAGAR	-190856
	SAG	74	DFO. TRAINING. (SOUTH) SAGAR SAGAR	-94603534
	SAG	75	COLLECTOR LAND RECORD SAGAR SAGAR	-2660643107
	SAG	76	PRI. ADERSH MUSIC COLLAGE SAGAR SAGAR	-94189
	SAG	77	SUPDT. SUB. JAIL BANDA SAGAR SUPDT. SUB. JAIL BANDA SAGAR	-26150654
	SAG	78	DISTRICT ELECTION OFFICER SAGER SAGER	-364028
26	SAJ	79	P.O. , I.C.D.S. NALKHEDA SHAJAPUR	-108010
	SAJ	80	DIVISIONAL FOREST OFFICER SHAJAPUR SHAJAPUR	-77556
27	SAT	81	COMMERCE DEGREE COLLEGE SATNA SATNA	-625075
	SAT	82	SRI JANKI SANSKRIT VIDYALAYA OLD LANKA CHITRAKOOT SATNA	-176747
	SAT	83	DIS. TREASURY OFFICER SATNA	-816769
28	SEH	84	DFO SEHORE SEHORE	-50589875
	SEH	85	SDO &LAO FOR COLLECTOR SEHORE SEHORE	-602
29	SEO	86	DFO (T)NORTH SEONI SEONI	-42897
	SEO	87	SUPDT. ITI GHANSAUR SEONI	-77945
	SEO	88	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST (ANUSHANDHAN VISTAR) SEONI	-1103941
30	SHA	89	DIS. SMALL SAVING OFFICER SHAHDOLE	-500956

	SHA	90	DISTRICT TREASURY OFFICER SHAHDOLE	-50000
	SHA	91	COLLECTOR SHAHDOL SHAHDOL	-32472268
31	SHI	92	COLL. JANGANNA OFFICER SIV SHIVPURI	-4890605
32	SID	93	DIST. SMALL. SAVING OFFICER SIDHI SIDHI	-52326
	SID	94	COLLECTOR FOOD BRANCH SIDHI	-50000
33	SNG	95	COLL AND DISTRICT ELECTION OFFICER SINGROLI SINGROLI	-536693
34	TIK	96	DIV. FOREST OFFICER TIKAMGARH TIKAMGARH	-47834
	TIK	97	COLL. & LAND AQUISION OFFICER TIK. TIKAMGARH	-878753921
	TIK	98	COLLETOR JANGANANA OFFICER TIKAMGARH COLL. JANGANANA OFF. TIK.	-756996
	TIK	99	A D FISHRIES TIK TIKAMGATH	-698059
35	UJJ	100	DFO UJJAIN UJJAIN	-224708
	UJJ	101	COLLECTOR ELECTION SECTION UJJ UJJAIN	-84123
36	UMA	102	DIV. FOREST OFFICER UMARIA UMARIA	-1333284
	UMA	103	COLLECTOR L.A.O.UMARIA UMARIA	-184692654
37	VAL	104	COMM.TRIBAL DEV.,BPL BHOPAL	-204465602
38	VIN	105	DIRECTOR TREASURY & ACCOUNTS VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	-111467
	VIN	106	DGB. (PHQ) BHOPAL VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	-75094263
	VIN	107	DIR. ARCHEOLOGY & MUSIUM VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	-20700
	VIN	108	COMM. HANDLOOM VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	-20273409
	VIN	109	COMMISSONER RESHAM VINDHYACHAL BHAVAN BHOPAL VINDHYACHAL	-19974
	VIN	110	DIR. PENSION OFFICE BHOPAL BHOPAL	-148365
	VIN	111	DY.DIR.SERICULTURE VIN VINDHYACHAL	-50000000
	VIN	112	COMMISSIONER PANCHAYAT RAJ BHOPAL VIN	-8714751046
	VIN	113	DIRECTOR HANDLOOM VINDHYACHAL	-3370627
	VIN	114	DIRECTOR GEOLOGY AND MINING VIN BHOPAL B	-25

परिशिष्ट संख्या-6

(पैरा-3.2.1)

निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलंब से प्राप्त होने का विवरण

स.क्र.	कोषालय	निरीक्षण अवधि	निरी.प्रति.जारी दिनांक	पालन प्रति. प्राप्ति दिनांक	विलम्ब/रिमार्क
1	मंदसौर	4/22 से 5/24	02.07.2024	अप्राप्त	—
2	उज्जैन	4/23 से 5/24	28.06.2024	—“—	—
3	राजगढ़	4/23 से 5/24	04.07.2024	02.12.2024	2 माह 20 दिन
4	नीमच	4/22 से 5/24	02.07.2024	अप्राप्त	—
5	कटनी	5/22 से 5/24	19.07.2024	11.12.2024	3 माह 15 दिन
6	दतिया	5/22 से 5/24	25.07.2024	अप्राप्त	—
7	टीकमगढ़	5/22 से 6/24	26.07.2024	25.02.2025	5 माह 20 दिन
8	बालाघाट	4/23 से 5/24	01.08.2024	11.12.2024	3 माह 05 दिन
9	बैतूल	5/23 से 6/24	09.08.2024	07.10.2024	25 दिन
10	नर्मदापुरम	8/22 से 6/24	20.08.2024	अप्राप्त	—
11	बुरहानपुर	8/22 से 7/24	27.08.2024	28.02.2025	4 माह 23 दिन
12	अनूपपुर	8/22 से 7/24	06.09.2024	अप्राप्त	—
13	निवाड़ी	8/22 से 7/24	13.09.2024	25.02.2025	4 माह 05 दिन
14	श्योपुर	9/22 से 7/24	20.09.2024	10.02.2025	3 माह 14 दिन
15	जबलपुर	9/23 से 8/24	27.09.2024	25.02.2025	3 माह 20 दिन
16	छतरपुर	9/22 से 8/24	04.10.2024	अप्राप्त	—
17	सीधी	10/22 से 8/24	11.10.2024	30.12.2024	1 माह 13 दिन
18	अशोकनगर	10/22 से 8/24	15.10.2024	10.02.2025	2 माह 18 दिन
19	गुना	11/22 से 9/24	29.10.2024	10.02.2025	2 माह 04 दिन
20	शहडोल	10/22 से 9/24	06.11.2024	03.03.2025	2 माह 20 दिन
21	रीवा	10/23 से 9/24	14.11.2024	03.03.2025	2 माह 13 दिन
22	भोपाल	12/23 से 10/24	25.11.2024	अप्राप्त	—
23	खण्डवा	12/22 से 11/24	27.12.2024	—“—	—
24	सतना	01/24 से 11/24	06.01.2025	03.03.2025	20 दिन
25	विन्ध्याचल	02/24 से 11/24	19.01.2025	03.03.2025	18 दिन
26	विदिशा	01/23 से 11/24	17.01.2025	अप्राप्त	—
27	देवास	01/23 से 12/24	31.01.2025	—“—	—
28	इंदौर	12/23 से 12/24	31.01.2025	—“—	—
29	धार	12/23 से 12/24	11.02.2025	—“—	—
30	शाजापुर	12/22 से 12/24	14.02.2025	—“—	—
31	सागर	02/24 से 12/24	21.02.2025	—“—	—
32	छिन्दवाड़ा	02/24 से 12/24	19.02.2025	—“—	—
33	खरगौन	02/24 से 01/25	03.03.2025	—“—	—
34	वल्लभ भवन	12/23 से 01/25	20.03.2025	—“—	—
35	ग्वालियर	02/24 से 02/25	07.04.2025	—“—	—

**परिशिष्ट संख्या-7**

(पैरा-3.3.1)

**राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.05 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमिततायें**

स.क्र.	कोषालय का नाम	कर्मचारियों के वेतन से कटौती से प्राप्त अंशदान ₹ (क)	कोषालय द्वारा जमा शासन का समतुल्य अंशदान ₹ (ख)	शासन का शेष समतुल्य अंशदान (अंतर) ₹ (क-ख)
1	उज्जैन	1572850564	1573134334	283770
2	कटनी	1737221584	1750517647	(- )13296063
3	नर्मदापुरम	1144357340	1143553216	804124
4	अनूपपुर	161960647	161279985	680662
5	छतरपुर	2253772968	1530328819	723444149
6	खण्डवा	811016767	736730502	74286265
7	विदिशा	986190147	983842975	2347172
8	सागर	1879035708	1819264059	59771649
9	वल्लभ भवन	696128976	1541698908	845569932
10	ग्वालियर	240924905	342525419	101600514
	<b>योग</b>	<b>11483459606</b>	<b>11582875864</b>	<b>1795492174</b>

**परिशिष्ट संख्या-8**

(पैरा-3.3.2)

**राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत शासकीय अंशदान की राशि का 14 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत जमा किये जाने वाले कोषालय की सूची**

स.क्र.	कोषालय	10 प्रतिशत जमा किये जाने की अवधि
1	नीमच	01.04.2022 से 31.05.2024
2	कटनी	01.07.2023 से 31.03.2024
3	दतिया	01.05.2022 से 05.04.2024
4	बालाघाट	01.01.2024 से 31.03.2024
5	बुरहानपुर	01.01.2024 से 31.03.2024
6	अनूपपुर	01.03.2024 से 31.05.2024
7	श्योंपुर	01.04.2024 से 30.04.2024
8	जबलपुर	01.06.2024 से 31.07.2024
9	गुना	01.06.2024 से 30.06.2024
10	शहडोल	01.07.2024 से 30.09.2024
11	रीवा	01.10.2023 से 30.09.2024

12	भोपाल	01.12.2023 से 31.03.2024
13	खण्डवा	01.04.2024 से 30.11.2024
14	सतना	01.05.2024 से 31.05.2024
15	विदिशा	01.04.2024 से 30.11.2024
16	देवास	01.08.2024 से 14.08.2024
17	धार	01.12.2024 से 31.12.2024
18	शाजापुर	01.01.2024 से 31.03.2024
19	छिन्दवाड़ा	01.08.2024 से 31.08.2024
20	खरगौन	01.02.2023 से 31.01.2024
21	वल्लभ भवन	01.04.2024 से 31.01.2025
22	ग्वालियर	01.02.2024 से 31.03.2024

**परिशिष्ट संख्या-9**

(पैरा- 3.4)

**सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की  
समयावधि में भुगतान न किया जाना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि ₹
1	कटनी	05	5363850
2	दतिया	03	5545405
3	टीकमगढ़	01	588403
4	बुरहानपुर	01	2076120
5	अनूपपुर	01	1227842
6	निवाड़ी	02	4646193
7	रीवा	02	376999
8	विदिशा	03	2775262
9	वल्लभ भवन	04	2243910
	<b>योग</b>	<b>22</b>	<b>24843984</b>

परिशिष्ट संख्या-10

(पैरा- 3.5.1)

विभागीय प्राप्ति एवं भुगतानों का सत्यापन कोषालयीन अभिलेख से न किया जाना

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	चालान से जमा राशि का पुष्टि न किया जाना	कोषालय से आहरित राशि का प्रमाणीकरण न किया जाना
1	दतिया	नहीं किया गया	नहीं किया गया
2	निवाड़ी	—''—	—''—
3	श्योपुर	—''—	—''—
4	सीधी	—''—	—''—
5	गुना	—''—	—''—
6	रीवा	—''—	—''—
7	खण्डवा	—''—	—''—
8	विन्ध्याचल भवन	—''—	—''—
9	धार	—''—	—''—
10	शाजापुर	—''—	—''—
11	खरगौन	—''—	—''—

परिशिष्ट -11

(पैरा-3.5.2)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	उज्जैन	3	खण्डवा
2	नर्मदापुरम	4	विन्ध्याचल भवन

परिशिष्ट संख्या-12

(पैरा-3.5.3)

वन तथा निर्माण प्रेषणों का प्रमाणीकरण न किया जाना

स.क.	कोषालय	स.क.	कोषालय
1	बुरहानपुर	4	रीवा
2	श्योपुर	5	देवास
3	शहडोल	6	खरगौन

**परिशिष्ट संख्या-13**

(पैरा-3.6.1)

**तीन वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि	स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि ₹
1	मंदसौर	5199670	18	गुना	58340433
2	उज्जैन	150225753	19	शहडोल	385143272
3	राजगढ़	28097509	20	रीवा	76822250
4	नीमच	5491970	21	भोपाल	528463974
5	कटनी	17586423	22	खण्डवा	37935698
6	दतिया	56626818	23	सतना	455259486
7	टीकमगढ़	6672821	24	विन्ध्याचल भवन	91918243
8	बालाघाट	13775486	25	विदिशा	22955315
9	बैतूल	15080620	26	देवास	325940041
10	नर्मदापुरम	37277491	27	इंदौर	243031612
11	बुरहानपुर	51899258	28	धार	646522921
12	अनूपपुर	8473222	29	शाजापुर	3765979
13	श्यापुर	47659038	30	सागर	26058761
14	जबलपुर	576049808	31	खरगौन	(- )1444104
15	छतरपुर	50214519	32	वल्लभ भवन	10321647
16	सीधी	10179794	33	ग्वालियर	21383056
17	अशोकनगर	32056607		<b>योग</b>	<b>4044985391</b>

**परिशिष्ट संख्या-14**

(पैरा- 3.6.2)

**वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खातों का खोला जाना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खाताधारकों का नाम	कुल खातों की संख्या
1	उज्जैन	कलेक्टर लैण्ड रिक्यूजीशन उज्जैन	02
2	राजगढ़	भूअर्जन अधिकारी राजगढ़	02
		अधीक्षक जिला जेल एवं कलेक्टर राजगढ़	02
		प्रिंसिपल आई.टी.आई. ब्यावरा	02
3	नीमच	कलेक्टर एल.ए.ओ. नीमच	02
4	कटनी	एल.ए.ओ. बरगी डिवीजन प्रोजेक्ट कटनी	02
		लैण्ड एक्यूजीशन ऑफीसर कटनी	02
5	बालाघाट	भूअर्जन अधिकारी बालाघाट	02
		डी.एफ.ओ. साउथ प्रोडक्शन	02
6	नर्मदापुरम	डी.एफ.ओ. जनरल होशंगाबाद	02
		कलेक्टर लैण्ड एक्यूजीशन ऑफीसर होशंगाबाद	02

7	अनूपपुर	कलेक्टर लैण्ड एक्यूजीशन ऑफीसर अनूपपुर	03
		सुपरेंडेंट आई.टी.आई. कोटमा	02
		डी.एफ.ओ. अनूपपुर	03
8	श्यापुर	सुपरेंडेंट सब जेल श्यापुर	02
9	छतरपुर	कलेक्टर एण्ड जिला सुपरेंडेंट जेल छतरपुर	02
		कलेक्टर एण्ड जिला reg. census	02
		कलेक्टर एण्ड लैण्ड एक्यूजीशन ऑफीसर छतरपुर	02
10	सीधी	भूअर्जन अधिकारी सीधी	02
		कलेक्टर एण्ड सुपरेंडेंट जिला जेल सीधी	02
		कलेक्टर लैण्ड रिकार्ड सीधी	04
11	अशोकनगर	कलेक्टर लैण्ड एक्यूजीशन ऑफीसर अशोकनगर	02
12	गुना	भूअर्जन अधिकारी गुना	04
13	रीवा	कलेक्टर एण्ड लैण्ड एक्यूजीशन ऑफीसर रीवा	02
14	भोपाल	लैण्ड एक्यूजीशन ऑफीसर फॉर कलेक्टर भोपाल	04
15	खण्डवा	डी.एफ.ओ.(जी.) खण्डवा	02
16	विदिशा	कलेक्टर एवं भूअर्जन अधिकारी विदिशा	02
		प्रिंसिपल गर्वमेंट गर्ल्स कॉलेज वासौदा	02
		प्रिंसिपल एस.जी.एस. कॉलेज वासौदा	02
17	इंदौर	भूअर्जन अधिकारी जिला इंदौर	02
		लेवर कमिश्नर इंदौर	02
		मैनेजर गर्वमेंट पॉलिट्री फार्म इंदौर	02
18	धार	सुपरेंडेंट जेल धार	02
		कलेक्टर भूअर्जन अधिकारी धार	02
		कलेक्टर भूअर्जन डी.एम.आई.सी. धार	02
		कलेक्टर इलैक्शन धार	02
19	शाजापुर	जिला भूअर्जन अधिकारी शाजापुर	02
20	सागर	कलेक्टर लैण्ड रिकार्ड सागर	03
		डी.एफ.ओ. साउथ सागर	08
		कलेक्टर एण्ड सुपरेंडेंट जेल सागर	03
		कलेक्टर लैण्ड एक्यूजीशन सागर	03
21	खरगौन	कलेक्टर खरगौन	02
		एल.ए.ओ. महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर के.	03
22	वल्लभ भवन	उपसंचालक कुक्कुट अनुसंधान भोपाल	02
		डायरेक्टर पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा	02
		चीफ कन्सरवेटर ऑफ फॉरेस्ट सी.पी.ए. वनमण्डल	02

**परिशिष्ट संख्या-15**

**(पैरा-3.6.3)**

**तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा की राशि नियमानुसार राजस्व जमा (0075) में अंतरित न करना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि ₹
1	मंदसौर	02	18612727
2	उज्जैन	01	43971965
3	राजगढ़	08	5663632
4	कटनी	04	14727675
5	दतिया	02	8688700
6	टीकमगढ़	06	6599763
7	अनूपपुर	01	27462838
8	श्योपुर	01	122678
9	छतरपुर	07	19575219
10	सीधी	04	163985290
11	शहडोल	04	5949237
12	रीवा	01	24274073
13	खण्डवा	02	3717775
14	विन्ध्याचल भवन	02	302312042
15	विदिशा	02	2851556
16	देवास	01	23582483
17	इंदौर	03	21340030
18	धार	09	42837147
19	सागर	16	455225525
20	खरगौन	04	6410816
21	वल्लभ भवन	01	32526691
22	ग्वालियर	06	72617275
	<b>योग</b>	<b>87</b>	<b>1303055137</b>

**परिशिष्ट संख्या-16**

**(पैरा-3.6.4)**

**वन मण्डल द्वारा प्राप्त वन राजस्व आय को राज्य शासन की संचित निधि में जमा न करते हुए व्यक्तिगत निक्षेप खातों में रखा जाना**

**कोषालय टीकमगढ़**

कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़ द्वारा प्राप्त वन प्राप्तियों व जी.एस.टी. की राशि को क्रमशः विभागीय लेखा शीर्ष 0406 व 8658-139 में न लेते हुए पी.डी. खातों में रखा जा रहा है व दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में राज्य शासन के खाते में बकाया राशि ₹ 603474/- वन राजस्व प्राप्ति को राज्य शासन के खाते में जमा नहीं किया गया है ।

**कोषालय जबलपुर**

**(Amount In Rs.)**

<b>Statement of forest receipt deposited in PD Accounts from 01.09.2023 to 31.08.2024</b>						
Name of Forest Divison & PD Accounts	Previous Balance	Total Forest Revenue & GST Receipt credited in PD account	GST Paid	By transfer to 0406	Payment to Vendors/ Malik Makbuja	Remaining Forest Receipt which has not been deposited in Govt. A/cs as on 31.03.23 (3+4-5-6-7)
2	3	4	5	6	7	8
DFO (T) Jabalpur	82,866,978	48,135,415	2,707,650	42402871	62,432,986	<b>23,458,886</b>
<b>Total</b>						<b>23,458,886</b>
						<b>02.34 Cr</b>

**कोषालय सीधी**

**Statement of Forest Receipts Deposit in 8443-106(PD Accounts) From 01.04.2024 to 31.08.2024**

Name of Forest Division/PD Accounts	Opening Balance In Rs.	Total Forest Revenue & GST Receipt In Rs.	GST Paid In Rs.	Refund of Deposit Money In Rs.	Remaining Forest Receipt which has not been deposit in Govt. A/cs yet In Rs.
1	2	3	4	5	(2+3-4-5)
DFO(West) Sidhi	11463602	5150939	800712	11031140	4782689

**कोषालय विदिशा**

(In. Rs. )

Sl. No.	Name of Forest Division & PD Accounts	Previous Balance	Total Forest Revenue & GST Receipt	GST Paid	By transfer to receipt Head (0406)	Remaining Forest Receipt which has not been deposited in Govt. A/cs yet (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DFO Vidisha	2,70,448.00	56,86,237.00	53,70,131.00	-	5,86,554.00
<b>TOTAL</b>						<b>5,86,554.00</b>

**कोषालय सागर**

**Statement of Forest Receipt (0406) Wrongly Deposited in PD Accounts (8443-106)**

(In. Rs.)

S. No.	Name of the Forest Division & PD Account	Previous Balance (As per physical passbook)	Total forest Revenue Receipt (including GST)	GST amount paid	By transfer to 0406	Remaining forest Receipt Which had not been deposited in Govt, Account (including GST) (3+4-5-6=7)
1	2	3	4	5	6	7
1	DFO South Sagar	3,06,99,906/-	3,97,63,960/-	8,77,507/-	2,85,29,409/-	4,10,56,950/-
<b>Total</b>						4,10,56,950/-

योग:- (टीकमगढ़+जबलपुर+सीधी+विदिशा+सागर)

(603474+23458886+4782689+586554+41056950)=70488553 / -

**परिशिष्ट संख्या-17**

(पैरा-3.6.5)

**सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख, कोषालयीन अभिलेख एवं घणत्रण पत्रक में अंतर**

स. क्र.	कोषालय का नाम	न्यायालयीन पंजी/अभिलेख के अनुसार शेष ₹	महालेखाकार के अभिलेख के अनुसार शेष ₹	कम्प्यूटर/घणत्रण पत्रक (IFMIS) अनुसार शेष ₹
1	उज्जैन	—	119425023	121979845
2	राजगढ़	—	—	8144120
3	नीमच	23867352	—	27555756
4	दतिया	—	1014050	6665988
5	टीकमगढ़	9496620	—	10983561
6	बालाघाट	6972152	61965778	60581902
7	बैतूल	—	—	5250699
8	अनूपपुर	15207940	—	6435230
9	श्योपुर	—	—	208137815
10	छतरपुर	—	7068555	33488191
11	अशोकनगर	2555948	8053168	7234843
12	गुना	16322350	—	16461150
13	धार	24924715	—	15618121
14	छिन्दवाड़ा	59366988	—	65783302
15	खरगौन	—	(-)988006	1781668

परिशिष्ट संख्या-18

(पैरा-3.6.6)

महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी./ई.डी. खातों के शेषों में अंतर पाया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	म.ले.कार्यालय अनुसार शेष ₹	(IFMIS)कोषालय अनुसार शेष ₹
1	मंदसौर	143576411	44642627
2	उज्जैन	411239856	550854319
3	राजगढ़	2177076824	3556782802
4	नीमच	204108996	254688576
5	कटनी	445254559	448416322
6	दतिया	149595148	49637173
7	टीकमगढ़	(-)701350686	349950141
8	बालाघाट	120768721	145198159
9	बैतूल	2880328660	787861691
10	नर्मदापुरम	236785106	249145303
11	बुरहानपुर	137657037	137420052
12	अनूपपुर	258411608	706238467
13	श्योपुर	123343135	118595919
14	जबलपुर	1246194481	746603732
15	छतरपुर	128211382	2550778614
16	सीधी	8349274389	8342991324
17	अशोकनगर	188870123	122703917
18	गुना	671369543	670433279
19	शहडोल	261764804	323863443
20	रीवा	54635426	48253417
21	भोपाल	1735658582	2397001465
22	खण्डवा	369638564	413617499
23	सतना	2576187536	2834143915
24	विन्ध्याचल भवन	(-)3524188313	1817796646
25	विदिशा	848038436	666034056
26	देवास	85505198	82807146
27	इंदौर	817071017	903763994
28	धार	4827634661	2096914126
29	शाजापुर	115917649	124349603
30	सागर	(-)133479255	8961129790
31	छिन्दवाड़ा	16335021	34569745
32	खरगौन	(-)2818892518	417673153
33	वल्लभ भवन	(-)202751872	56326691
34	ग्वालियर	777927698	779297987

**परिशिष्ट संख्या-19**

**(पैरा-3.6.7)**

**वन विभाग द्वारा मालिक मकबूजा से संबंधित काष्ठ क्रय की राशि को पी.डी. खाते से भुगतान किया जाना**

**कोषालय जबलपुर**

S.NO	Name of DDO	Month/Year	Vr. No.	Amount In Rs.	Classification
01	DFO (T) Division Jabalpur	07/2024	0109	4643633/-	8443-00-106-00
02		07/2024	0110	492945/-	8443-00-106-00
03		08/2024	0022	3313194/-	8443-00-106-00
04		07/2024	0002	1095574/-	8443-00-106-00
05		11/2023	0098	1684467/-	8443-00-106-00
06		09/2023	0060	122550/-	8443-00-106-00

**कोषालय शहडोल**

S.NO	Name of DDO	Month/Year	Vr. No.	Amount in Rs.	Classification
01	DFO (South) Shahdol	03/2024	0081	7,68,874/-	8443-00-106
02		03/2024	0103	5,93,949/-	8443-00-106
03		07/2024	0052	10,81,139/-	8443-00-106
04		11/2023	0054	5,34,110/-	8443-00-106
05		05/2024	0030	1,62,887/-	8443-00-106
06		11/2023	0056	1,45,895/-	8443-00-106
07		10/2023	0015	1,86,278	8443-00-106

**कोषालय देवास**

S.NO	Name of DDO	Month/Year	Vr. No.	Amount In Rs.	Classification
01	DFO Production Dewas	12/2024	0092	637980/-	8443-00-106
02		12/2024	0132	735635/-	8443-00-106
03		11/2023	0005	5066868/-	8443-00-106
04		11/2023	0060	705315/-	8443-00-106
05		12/2023	0091	265665/-	8443-00-106

परिशिष्ट संख्या-20

(पैरा- 3.7.1-iii)

खजांची / भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय का नाम
1	बुरहानपुर	4	देवास
2	निवाड़ी	5	इंदौर
3	सीधी	6	शाजापुर

परिशिष्ट संख्या-21'अ'

(पैरा- 3.7.2- i)

बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस नहीं लिया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	मंदसौर	56
2	उज्जैन	13
3	राजगढ़	131
4	कटनी	755
5	टीकमगढ़	439
6	बालाघाट	04
7	बैतूल	198
8	नर्मदापुरम	449
9	बुरहानपुर	135
10	अनूपपुर	24
11	निवाड़ी	103
12	श्यापुर	223
13	जबलपुर	289
14	छतरपुर	418
15	सीधी	97
16	अशोकनगर	05
17	गुना	337
18	शहडोल	243
19	रीवा	846
20	भोपाल	971
21	सतना	472
22	विदिशा	02
23	देवास	266

24	इंदौर	436
25	धार	135
26	शाजापुर	211
27	सागर	73
28	छिन्दवाड़ा	305
29	खरगौन	344
30	ग्वालियर	33
	<b>योग</b>	<b>8013</b>

**परिशिष्ट संख्या-21'ब'**

**(पैरा-3.7.2-ii)**

**राशि ₹ 50000/- से कम कीमत के बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को कोषालय में रखा जाना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	पैकेट
1	मंदसौर	40
2	उज्जैन	682
3	टीकमगढ़	594
4	बैतूल	193
5	बुरहानपुर	140
6	निवाड़ी	98
7	श्योपुर	225
8	जबलपुर	1515
9	सीधी	299
10	अशोकनगर	369
11	गुना	841
12	शहडोल	367
13	सतना	372
14	विदिशा	924
15	देवास	268
16	इंदौर	225
17	धार	651
18	छिन्दवाड़ा	432
19	ग्वालियर	92
	<b>योग</b>	<b>8327</b>

**परिशिष्ट संख्या-22**

(पैरा-3.7.3)

**दूढ़ कक्ष की दोहरी चाबियों का अभिरक्षण नियमानुसार न किया जाना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय का नाम
1	नीमच	5	जबलपुर
2	कटनी	6	गुना
3	दतिया	7	इंदौर
4	बालाघाट	8	धार

**परिशिष्ट संख्या-23**

(पैरा- 3.8.1)

**मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण**

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों के अधिक भण्डारण की राशि ₹		
		अदालती	गैरअदालती	योग
1	राजगढ़	3148887	00	3148887
2	कटनी	45707066	00	45707066
3	बालाघाट	103890397	310831900	414722297
4	सीधी	40058282	00	40058282
5	सतना	73800048	00	73800048
6	देवास	00	435860012	435860012
7	इंदौर	00	7315112690	7315112690
8	शाजापुर	14444032	00	14444032
9	छिन्दवाड़ा	21947455	00	21947455
10	ग्वालियर	234396916	5572537463	5806934379
		<b>537393083</b>	<b>13634342065</b>	<b>14171735148</b>

**परिशिष्ट संख्या-24**

(पैरा- 3.8.2)

**अप्रचलित मुद्रांकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण**

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों का प्रकार	अंतिम लेन देन की तिथि	राशि ₹
1	उज्जैन	नानज्यूडिशियल मुद्रांक (5000×1002)	—	5010000
2	कटनी	मनोरंजन	—	20000
		इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	1295251
		वाटरमार्क (व्हाइट)	—	500

3	नर्मदापुरम	इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	600000
4	बुरहानपुर	रेवेन्यू	—	320000
		वाटरमार्क (व्हाइट)	—	7000
5	श्यापुर	मनोरंजन (40×800)	—	359200
6	जबलपुर	ए.जी. एग्रीमेंट	—	114550
		मनोरंजन	—	3000
		हुण्डी	—	148343
7	शहडोल	वाटरमार्क (व्हाइट)	—	500
		मनोरंजन	—	132153
		हुण्डी	—	25000
8	रीवा	इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	6190200
		शेयर ट्रांसफर	—	1079065
		रेवेन्यू	—	13705180
9	भोपाल	फोरेन बिल	—	37023327
		हुण्डी	—	151185
		लाइसेंस फीस	—	411175
10	सतना	वाटरमार्क (व्हाइट)	—	8500
		मनोरंजन	—	3698
		हुण्डी	—	785
		शेयर ट्रांसफर	—	2284590
11	विदिशा	नानज्यूडिशियल मुद्रांक	—	643695
		शेयर ट्रांसफर	—	1597800
		वाटरमार्क (व्हाइट)	—	225000
12	देवास	नानज्यूडिशियल मुद्रांक (500×20000)	—	701437500
		इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	120000
		हुण्डी	—	251050
13	शाजापुर	इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	1787874
14	सागर	इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	16135600
		लाइसेंस फीस	—	57340
		रेवेन्यू	—	366840
		शेयर ट्रांसफर	—	1349938
		हुण्डी	—	1955
		वाटरमार्क (व्हाइट)	—	1000
15	खरगौन	मनोरंजन कर	—	304164
		वाटरमार्क (व्हाइट)	—	3000
		इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	5471094
16	ग्वालियर	मनोरंजन	—	643100
		इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	279335915
		शेयर ट्रांसफर	—	6747585
		हुण्डी	—	542995
	<b>योग</b>			<b>1014781950</b>

परिशिष्ट संख्या-25

(पैरा-3.8.3)

मुद्रांकों एवं अन्य मूल्यवान सम्पत्ति की रिपोर्ट महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया जाना

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	उज्जैन	8	गुना
2	दतिया	9	रीवा
3	नर्मदापुरम	10	भोपाल
4	बुरहानपुर	11	खण्डवा
5	श्यापुर	12	सतना
6	छतरपुर	13	शाजापुर
7	सीधी		

परिशिष्ट संख्या-26

(पैरा-3.9.1)

पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

स.क्र.	कोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय का नाम
1	मंदसौर	13	सीधी
2	राजगढ़	14	अशोकनगर
3	नीमच	15	गुना
4	कटनी	16	शहडोल
5	दतिया	17	भोपाल
6	बालाघाट	18	विन्ध्याचल भवन
7	बैतूल	19	विदिशा
8	नर्मदापुरम	20	धार
9	अनूपपुर	21	शाजापुर
10	निवाड़ी	22	सागर
11	श्यापुर	23	खरगौन
12	जबलपुर	24	ग्वालियर

**परिशिष्ट संख्या-27**

(पैरा-3.9.3)

**आबकारी विभाग (मु0शी0-0039) के विभागीय आय एवं कोषालयीन आय में अंतर**

कोषालय	माह	विभाग के अनुसार आय ₹	कोषालय अनुसार आय ₹
खरगौन	02/2024	295423503	315903541
	03/2024	444001904	432526619
	04/2024	378624940	379622867
	05/2024	347598918	355300738
	06/2024	279422761	282481096
	07/2024	280101628	285612766
	08/2024	235856379	242938018
	09/2024	272092228	277671421
	10/2024	286743250	286366337
	11/2024	324119474	324230121
	12/2024	334189396	335647421
<b>योग</b>		<b>3478174381</b>	<b>3518300945</b>

**परिशिष्ट संख्या-28**

(पैरा-3.9.4)

**महालेखाकार को लेखा प्रेषण उपरांत IFMIS पर कोषालयीन लेखा के भुगतान/प्राप्ति/आर.बी.डी. आंकड़ों में परिवर्तन पाया जाना**

कोषालय का नाम	माह/वर्ष	महालेखाकार को पूर्व प्रेषित लेखा अनुसार आंकड़े	IFMIS अनुसार आंकड़े
सीधी	05/2023	प्राप्ति- 1,12,64,21,931 आर.बी.डी.- 1,21,97,64,214 भुगतान- 2,34,61,86,145	प्राप्ति-1,12,63,91,649 आर.बी.डी.-1,21,97,64,214 भुगतान-2,34,61,55,863
विन्ध्याचल भवन	04/2024	प्राप्ति - 62141447277.25 भुगतान - 36925078046 RBD - 25216369231.25	प्राप्ति - 63391611336.25 भुगतान - 36925078046 RBD - 26466533290.25
	05/2024	प्राप्ति - 68623319338.65 भुगतान - 47254075684 RBD - 21369243654.65	प्राप्ति - 68765770478.65 भुगतान - 47254075684 RBD - 21511694794.65
	06/2024	प्राप्ति - 70020040764.93 भुगतान- 43084153785 RBD - 26935886979.93	प्राप्ति - 70020055856.93 भुगतान 43084153785 RBD - 26935902071.93

	07/2024	प्राप्ति - 69235047387.57 भुगतान -53387475286 RBD - 15847572101.57	प्राप्ति - 69383943388.57 भुगतान - 53387475286 RBD - 15996468102.57
	08/2024	प्राप्ति - 63072716346.67 भुगतान - 59772202618 RBD - 3300513728.67	प्राप्ति - 63286508362.67 भुगतान - 59772202618 RBD - 3514305744.67
	09/2024	प्राप्ति - 61412622855.90 भुगतान - 71805505770 RBD - 10392882914.10	प्राप्ति - 64593453204.90 भुगतान - 71805505770 RBD - 7212052565.10
	10/2024	प्राप्ति - 80616918348.45 भुगतान - 76116584715 RBD - 4500333633.45	प्राप्ति - 81077774438.45 भुगतान - 76116584715 RBD - 4961189723.45
	11/2024	प्राप्ति - 66992161058.47 भुगतान - 44680239019 RBD - 22311922039.47	प्राप्ति - 68953588027.47 भुगतान - 44680239019 RBD - 24273349008.47

**परिशिष्ट संख्या-29**

(पैरा-3.9.5)

**आबकारी विभाग के निविदाकारों द्वारा जमा निविदा राशि का त्रुटिपूर्ण जमा एवं वापिसी किया जाना**

**कोषालय शहडोल**

क्र.	माह/वर्ष/	प्रमाणक क्र.	रिफंड वर्गीकरण	जमा वर्गीकरण	राशि ₹
01	202/033	0007	0940-001-2039	-00-0039105-1005	2575000/-
02	202/033	0001	0940-001-2039	10-00-00395100-5	1271350/-
03	202/033	0002	0940-0101-2039	10-00-00395100-5	1271350/-
04	202/033	0009	0940-0101-2039	10-00-00395100-5	980000/-
05	02202/4	0001	0940-0101-2039	10-00-00395100-5	850035/-
06	04202/4	0006	0940-0101-2039	-00-0039800-0761	27610/-
कुल योग					<b>6975345/-</b>

**कोषालय देवास**

क्र.	माह/वर्ष	प्रमाणक क्र.	रिफंड वर्गीकरण	जमा वर्गीकरण	राशि ₹ में
01	03/2024	0011	2039-001-0940	0039-00-105-1005	2324300/-
02	03/2024	0006	2039-001-0940	दर्ज नहीं पाया गया	1988995/-
03	06/2024	0002	2039-0101-0940	0039-00-105-1005	3588370/-
04	04/2023	0004	2039-0101-0940	0039-00-105-1005	784680/-
05	12/2024	0009	2039-0101-0940	0039-00-800-0761	1831340/-
कुल योग					<b>10517685/-</b>

**कोषालय छिन्दवाड़ा**

क्र.	दिनांक	प्रमाणक क्र.	सी.आर.एन. क्र.	रिफंड वर्गिकरण	जमा वर्गिकरण	राशि
01	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1698	2039-001- 0940	0039-105-1005	113150/-
02	17.02.2024	0007	EXC00391702202400 0055	2039-001- 0940	0039-105-1005	1764100/-
03	17.02.2024	0007	EXC00391702202400 0045	2039-001- 0940	0039-105-1005	1785590/-
04	17.02.2024	0007	EXC00391702202400 0060	2039-001- 0940	0039-105-1005	1016600/-
05	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1388	2039-001- 0940	0039-105-1005	3622501/-
06	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1404	2039-001- 0940	0039-105-1005	4176801/-
07	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1426	2039-001- 0940	0039-105-1005	811670/-
08	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1461	2039-001- 0940	0039-105-1005	2102200/-
09	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1650	2039-001- 0940	0039-105-1005	3459200/-
10	17.02.2024	0007	EXC00391702202400 0005	2039-001- 0940	0039-105-1005	1752831/-
11	17.02.2024	0007	EXC00391702202400 0161	2039-001- 0940	0039-105-1005	3600000/-
12	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1631	2039-001- 0940	0039-105-1005	352642/-
13	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1585	2039-001- 0940	0039-105-1005	230000/-
14	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1561	2039-001- 0940	0039-105-1005	582642/-
15	17.02.2024	0007	EXC00391702202400 1224	2039-001- 0940	0039-105-1005	727370/-
16	17.02.2024	0007	EXC00391702202400 1218	2039-001- 0940	0039-105-1005	450000/-
17	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1508	2039-001- 0940	0039-105-1005	3394800/-

18	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1734	2039-001- 0940	0039-105-1005	809700/-
19	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1794	2039-001- 0940	0039-105-1005	466900/-
20	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1776	2039-001- 0940	0039-105-1005	1223600/-
21	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1763	2039-001- 0940	0039-105-1005	1828500/-
22	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1799	2039-001- 0940	0039-105-1005	1856100/-
23	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1787	2039-001- 0940	0039-105-1005	1354700/-
24	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1784	2039-001- 0940	0039-105-1005	460000/-
25	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1865	2039-001- 0940	0039-105-1005	3949535/-
26	16.02.2024	0007	EXC00391602202400 1686	2039-001- 0940	0039-105-1005	3406600/-
	<b>Total</b>					<b>45297732</b>

योग:- (शहडोल+देवास+छिन्दवाड़ा)  
(6975345+10517685+45297732)=62790762 / -

**परिशिष्ट संख्या-30**

**(पैरा-3.9.6-i)**

**डी0डी0ओ0 के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच में दर्शित विसंगतिया  
कोषालय उज्जैन**

कोषालय निरीक्षण दौरान आहरण अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी Distt. Organisator Tribal Welfare Depart. Ujjain (DDO Code-4302506001) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रमाणकों की नमूना जांच में निम्नानुसार विसंगतियाँ परिलक्षित हुई जिसका विवरण तालिका में दर्शित है।

**“तालिका”**

S.n.	Voucher No./Month	Gross amount(Rs.)	Net amount (In Rs.)	Remark
1	44/02.2024	118434/-	131593/- (कर्मचारी	1. नई पेंशन योजना में , Non Regular NPS

	102/03.2024	208131/-	अंशदान @ 10%-13159/- शासकीय अंशदान @ 10%-13159/-	दैनिक ) Employees (वेतनभोगी कर्मचारियों के दोनों अंशदान कर्मचारी और शासकीय) अंशदान एक ही ( Service Head 2225 से निकाले जा रहे हैं , जबकि महानियंत्रक लेखा द्वाराजारी संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार के शासकीय NPS अंशदान हेतु मुख्य शीर्ष 2071 )HoA( पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल - 117अभिप्रेत है।
	114/03.2024	203057/-	187318/- (कर्मचारी अंशदान @ 10%-20813/- शासकीय अंशदान @ 10%-20813/-	2. कर्मचारी और शासकीय अंशदान दोनों ही अंशदान 10 % की दर से किये जा रहे है जबकि नियमानुसार शासकीय अंशदान 14 % की दर से किया जाना चाहिए ।
2	50/02.2024 36/01.2024 35/01.2024	73186/- 20000/- 76448/-	73186/- 20000/- 76448/-	3. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-C के अनुसार <b>vendor</b> को वित्तीय वर्ष के दौरान Single payment Rs.30,000/- or Aggregate payment Rs.1,00,000/- से अधिक

				<p>भुगतान या क्रेडिट पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाना चाहिए   उक्त प्रमाणको में एक वित्तीय वर्ष में <b>वेंडर मैसर्स मालवीय इंटरप्राइजेस</b> को कुल राशि रूपए <b>142048 /-</b> (<b>73186+10530+58332</b>) का भुगतान स्टेशनरी मद <b>22 -007</b> से किया गया फिर भी नियमानुसार TDS की कटौती नहीं की गयी  </p>
3	49/05.2023	479092/-	<p>464719/- <b>Deduction:-</b> <b>(IT TDS-</b> <b>4791/- and</b> <b>GST TDS-</b> <b>9582/-)</b></p>	<p>4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-C के अनुसार <b>vendor</b> को वित्तीय वर्ष के दौरान Single payment Rs.30,000/- or Aggregate payment Rs.1,00,000/- से अधिक भुगतान या क्रेडिट पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाना चाहिए एवं जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 अनुसार <b>vendor</b> को वित्तीय वर्ष के दौरान Contract Value (Excluding GST &amp; Taxes) के राशि ₹ 2,50,000/- से अधिक होने की स्थिति में 2 प्रतिशत जीएसटी (1% CGST, 1% SGST or 2% IGST) कटौती (Deduct) किया जाना चाहिए। उक्त प्रमाणक में आरव कंस्ट्रक्शन उज्जैन को भुगतान के दौरान नियमानुसार कटौती न करते हुए IT टीडीएस</p>

				राशि रुपए 4791 /- 1 % की दर से काटा गया एवं GST टीडीएस राशि रुपए 9582 /- का कटोत्रा गलत लेखा शीर्ष HoA 8658 -00 -101 PAO Suspense में जमा किया गया जो की एक वित्तीय अनियमितता है।
4.	16/03.2024	180000/-	152308/- <b>Deduction:- (27692/-)</b>	5. उक्त प्रमाणक में आरव कंस्ट्रक्शन उज्जैन को भुगतान के दौरान नियमानुसार कटोत्रा न करते हुए राशि रुपए 27692 /- का कटोत्रा किया गया एवं गलत लेखा शीर्ष HoA 8658 -00 -101 PAO Suspense में जमा किया गया जो की एक वित्तीय अनियमितता है।

### कोषालय राजगढ़

जिला कोषालय निरीक्षण के दौरान आहरण अधिकारी 3001704001. C.M. AND H.O. RAJGARH के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान निम्न विसंगतियां परिलक्षित हुईं। तथा इसके साथ ही प्रमाणक के साथ संलग्न किसी भी उपप्रमाणक पर “Paid and cancelled” की मुहर अंकित नहीं पायी गई।

Sl no.	Voucher No./date	Amount (In Rs.)	Remarks
1	31/12.02.24	131864	DPF Voucher is misclassified as GPF
2	47/16.03.24	220121	DPF Voucher is misclassified as GPF

## कोषालय दतिया

जिला कोषालय निरीक्षण के दौरान आहरण अधिकारी क्रमांक डी.डी.ओ कोड 902003020 के माह 02/2023 एवं 03/2024 के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कुछ प्रमाणकों के साथ संलग्न स्वीकृति आदेश महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं। उनपर केवल पृष्ठांकन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रमाणक क्रमांक 177 माह 03/2024 राशि ₹ 7177049/- बिजली देयक से संबंधित में उपप्रमाणक संलग्न होना नहीं पाया गया।

## कोषालय बालाघाट

<b>DDO Code 0101704001-Chief Medical &amp; Health Officer</b>					
S.no.	Month/Year	MHCD	VOU. NO. AND DATE	NET AMOUNT	Remarks/Objections
01.	03/2024	2210	153 dated 18.03.24	171463	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid.(List enclosed)
02.	03/2024	2210	154 dated 18.03.24	37421	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid.(List enclosed)
03.	03/2024	2210	95 dated 14.03.24	52383	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid.(List enclosed)
04.	03/2024	2210	138 dated 15.03.24	33611	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid.(List enclosed)
05.	03/2024	2210	148 dated 18.03.24	106367	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid.(List enclosed)
06.	03/2024	2210	151 dated 18.03.24	187188	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid.(List enclosed)
07.	03/2024	2210	180 dated 19.03.24	35361	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid.(List enclosed)
08.	03/2024	2210	133 dated 15.03.24	2175	Voucher drawn not as per sanction order. Sanction for TA Bill is not given as per rule/Different Incorrect classifications found for same sanction TA Order (Ex: 11-001, 22-001).
09.	03/2024	2210	110 dated 15.03.24	1868	Voucher drawn not as per sanction order. Sanction for TA Bill is not given as per rule/Different Incorrect classifications found for same sanction TA Order (Ex: 11-001, 22-001).
10.	03/2024	2210	126 dated 15.03.24	1800	Voucher drawn not as per sanction order. Sanction for TA Bill is not given as per rule/Different Incorrect classifications found for same sanction TA Order (Ex: 11-001, 22-001).
11.	03/2024	2210	124 dated 15.03.24	1350	Voucher drawn not as per sanction order. Sanction for TA Bill is not given as per rule/Different Incorrect classifications found for same

					sanction TA Order <b>(Ex: 11-001, 22-001).</b>
12.	<b>03/2024</b>	<b>2210</b>	<b>135 dated 15.03.24</b>	2558	Voucher drawn not as per sanction order. Sanction for TA Bill is not given as per rule/Different Incorrect classifications found for same sanction TA Order <b>(Ex: 11-001, 22-001).</b>
13.	<b>03/2024</b>	<b>2210</b>	<b>113 dated 15.03.24</b>	2680	Voucher drawn not as per sanction order. Sanction for TA Bill is not given as per rule/Different Incorrect classifications found for same sanction TA Order <b>(Ex: 11-001, 22-001).</b>
<b><u>DDO Code 0102003043-Block Education officer</u></b>					
14.	<b>03/2024</b>	<b>2202</b>	<b>218 dated 5.03.24</b>	53293	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid. <b>(List enclosed)</b>
15.	<b>03/2024</b>	<b>2202</b>	<b>222 dated 5.03.24</b>	264527	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid. <b>(List enclosed)</b>
16.	<b>03/2024</b>	<b>2202</b>	<b>212 dated 5.03.24</b>	130675	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid. <b>(List enclosed)</b>
17.	<b>03/2024</b>	<b>2202</b>	<b>287 dated 11.03.24</b>	309002	Electricity Current Due not paid/ Old arrear including past due/Only old arrear was paid. <b>(List enclosed)</b>

### कोषालय नर्मदापुरम

जिला कोषालय निरीक्षण के दौरान आहरण अधिकारी **E.E. PWD Hoshangabad(DDO code-1601902002)** के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान निम्न विसंगतियां परिलक्षित हो रही थी:-

S.no.	Major Head	VOU NO/MONTH	AMOUNT (in Rs.)
1	3054	44/03.2024	1934990/-
2	3054	4/03.2024	Gross amount -25616/- Deduction- Employee Contribution-2247/- Government Contribution-3146/- Net amount-20223/-
3	3054	3/03.2024	Gross amount -25616/- Deduction- Employee Contribution-2247/- Government Contribution-3146/- Net amount-20223/-
4	3054	27/02.2024	Gross amount -3375357/-

			Deduction- Employee Contribution-281134/- Government Contribution-393606/- Net amount-2700617/-
--	--	--	--

**Remark/Observation: -**

सरल क्रमांक 1-उक्त प्रमाणक में विभिन्न विद्युत देयको के एवज में कुल राशि रुपए 1934990/- का भुगतान मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को किया गया जाँच में पाया गया कि विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किये जाने से Late Payment Surcharge के साथ बिलों का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

S.n.	Bill no.	Amount payable at due date (in ₹)	Late surcharge amount (in ₹)	Amount paid including late surcharge (in ₹)
1	2775001349	45383	567	45949
2	2775008897	34144	427	34571
3	2775009829	61607	770	62377
4	2775011352	59557	744	60301
5	2775018300	87971	1100	89071
6	2775021429	180085	2251	182336
7	2575025109	9102	114	9216
8	2775000408	523546	6544	530090
9	2558007896	73478	918	74396
10	2022006923	29739	372	30111
11	2022006632	48664	608	49272
12	2017019300	98357	1229	99586
13	2579000468	36101	451	36552
14	2681010480	5671	71	5742
15	2681008469	96232	1203	97435
16	2013000440	22406	280	22686
17	2013000703	136594	1707	138301
18	2013000709	145538	1819	147357
19	2013000926	30877	386	31263
20	2013001546	10031	125	10156
	<b>A</b>	<b>1735083</b>	<b>21686</b>	<b>1756768</b>
21	2013000427	9420	66214(old dues/arrear)	75634
22	2013000431	12427	90161(old dues/arrear)	102588
	<b>B</b>	<b>21847</b>	<b>156375</b>	<b>178222</b>
	<b>Grand Total(A+B)</b>	<b>1756930</b>	<b>178061</b>	<b>1934990</b>

उपरोक्त तालिकानुसार समय पर भुगतान ना किये जाने से राशि रूपए 21686/- का Late Payment Surcharge तथा रूपए 156375 /- का old dues/arrear शासन पर अधिक भारित हुए जो कि शासकीय धन की हानि को दर्शाता है |

**सरल क्रमांक 2-4:-**

उक्त समस्त प्रमाणकों के माध्यम से E.E. PWD Div. no. 1 के अंतर्गत कार्यरत Non-Regular Employees के वेतन का भुगतान किया गया जिसमे जाँच दौरान पाया गया कि कर्मचारियों की वेतन की राशि से एन पी एस हेतु कर्मचारी अंशदान (10%) तथा शासकीय अंशदान (14%) दोनों ही Service Head 3054 से किये जा रहे है जो कि वित्तीय एवं लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार सही नहीं है |

नियमानुसार मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची अनुसार शासकीय अंशदान हेतु HoA 2071 Pension and other retirement benefits -01 Civil-117 Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme अभिप्रेरित है | अतः इस प्रकार के समस्त वेतन देयकों की समीक्षा करके शासकीय अंशदान Service Head से ना करते हुए मुख्य शीर्ष 2071 से ही किया जाना सुनिश्चित करें।

**कोषालय बुरहानपुर**

S. no.	DDO	Month-Year		MHCD	VOU. NO.	NET AMOUNT ₹	Remarks/Objections
1	DFO T Burhanpur	03	2023	2406	0063	222233	The details of beneficiary as well as the objective of expenditure is not mentioned on sanctioned order. IT TDS @ 2% has not been deducted from the vendors as per section 194C of IT act 1961.
2	DFO T Burhanpur	03	2023	4406	0171	548021	The details of beneficiary is not mentioned on sanctioned order. IT TDS @ 2% has not been deducted from the vendors as per section 194C of IT act 1961, However GST-TDS of Rs. 9889/- has been deducted but net amount to the payee and GST amount has not been mentioned on the said sanction order.
3	Crop Husbandary, Burhanpur	10	2022	2401	0012	61465	The Tour Programme along with concerning sub-vouchers for Travelling Bill and the details of destination are not attached with bill on IFMIS.
4	Distt. Comndt. Home guard, Burhanpur	03	2023	2070	0010	46950	Details of beneficiary as per party details and classification are not mentioned on sanction order, only number of personnel to whom the said amount has been paid, is mentioned in the order.
5	Supt. Land records, Burhanpur	03	2023	2029	0016	30440	Payment has been made on the basis of invoice of the vendor only. <b>Sanction order not uploaded on IFMIS however the amount is more than Rs. 20000/-</b> paid to individual in addition to that IT TDS @ 2% has also not been deducted as the paid amount increases <b>Rs. 30000/-</b>

6	S P, Burhanpur	03	2023	2055	0078	296254	Complete Classification not mentioned on Sanction order. IT TDS @ 2% has not been deducted from the vendors as per section 194C of IT act 1961, only GST deduction has been made as per rule.
7	CMHO, Burhanpur	03	2023	2210	0129	115050	Wrong classification mentioned on sanction order and GST TDS has not deducted from vendor.
8	DFO T Burhanpur	03	2023	4406	0170	743990	The details of beneficiary is not mentioned on sanctioned order. IT TDS @ 2% has not been deducted from the vendors as per section 194C of IT act 1961, However GST-TDS of Rs. 12610/- has been deducted but net amount to the payee and GST amount has not been mentioned on the said sanction order.

### कोषालय श्योपुर

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डी.डी.ओ. क्र 4001003002 कुनो वन्य प्राणी वनमंडल, श्योपुर के मार्च माह में एक ही दिनांक को एक ही वैण्डर से कुल राशि ₹ 69580/- तथा ₹ 35280 की खरीदी की गई थी। नमूना विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र.	प्रमाणक संख्या	दिनांक	Invoice no & date	विक्रेता का नाम	राशि (₹)
1	08	15-03-24	63,64,65,66 – 21.02.2024	Rahul Card and Stationary, Sheopur	16660/- 17640/- 17640/- 17640/-
2	08	15-03-24	56,57- 15.02.2024	Rahul Card and Stationary, Sheopur	17640/- 17640/-

### कोषालय सीधी

कोषालय निरीक्षण दल द्वारा Director Sanjay National Park, Sidhi (DDO Code 4101003003) के माह 07/2024 एवं माह 08/2024 के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान निम्न विसंगतियां परिलक्षित हुई थी। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्रमाणक क्र माह/.	राशि ₹ में	समिति का नाम	समिति को किया गया भुगतान राशि ₹ में	2 % IT-TDS Not Deducted राशि ₹ में
1.	0087/ August 2024	635281/-	SAMITI KUDARIYA	78360/-	1567.2

			SAMITI JHAPRI	52923/-	1058.46
			SAMITI DADARI	78079/-	1561.58
			SAMITI BANDHAV TOLA	92069/-	1841.38
			VAN SURAKSHA SAMITI MEDHAKI	138653/-	2773.06
			SAMITI HARDI	65904/-	1318.08
			SAMITI UCHATOLALA	50323/-	1006.46
			SAMITI BIDAURA	45429/-	908.58
			SAMITI MATHKHANIYA	33541/-	670.82
2.	0092/ August 2024	627492/-	SAMITI JHAPRI	117198/-	2343.96
			SAMITI JHARIYA	69115/-	1382.3
			SAMITI BANDHAV TOLA	67097/-	1341.94
			VAN SURAKSHA SAMITI MEDHAKI	65699/-	1313.98
			SAMITI HARDI	65010/-	1300.2
			SAMITI UCHATOLALA	54623/-	1092.46
			SAMITI KODOTOLA	103228/-	2064.56
			SAMITI MATHKHANIYA	85522/-	1710.44
3.	0098/ August 2024	356780/-	SAMITI VENDO	166462/-	3329.24
			SAMITI BELGAV	59752/-	1195.04
			SAMITI KURCHU	130566/-	2611.32
4.	0099/ August 2024	321762/-	SAMITI VENDO	32297/-	645.94
			SAMITI BELGAV	143943/-	2878.86
			SAMITI KURCHU	145522/-	2910.44
Total IT-TDS not paid					38826

### कोषालय अशोकनगर

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर, DDO CODE- 4700204001 के माह मार्च 2024 के प्रमाणक नमूना जांच में उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था जिनका विवरण निम्नानुसार है

क्र	मुख्य शीर्ष	प्रमाणक संख्या	निवल राशि ₹	रिमांक / व्यय
1	2055	352,353 दि. 11,12 / 03 / 2024	53568	फर्नीचर क्रय

इसके अतिरिक्त अन्य खरीद सामग्री के देयकों में म.प्र. भंडार क्य नियम- 2015 का पालन नहीं किया जा रहा था । एक ही वस्तु की खरीदारी के बिल को राशि ₹ 50,000/- से कम के सब-व्हाउचर में परिवर्तित किया गया था जो कि एक ही खरीद सामग्री की श्रेणी में आते हैं तथा म.प्र. भंडार क्य नियम की अवहेलना है ।

2 भोजन मद के प्रमाणकों में स्थापना भोजन मद 34-004 के बजट का प्रयोग स्वान भोजन 34-003 मद में किया गया था। जो कि नियमानुसार नहीं था।

3 कुछ प्रमाणकों में जी.एस.टी., टी.डी.एस. नहीं काटा गया था ।

### कोषालय रीवा

DDO Dy. Commissioner EX.(Flying Scot),Rewa(3200504003) के माह 06/2024, 08/2024 एवं माह 09/2024 के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान निम्नानुसार विसंगतियां पाई गई :-

स.क्र.	प्रमाणक क्र./माह /राशि रु.	जिसको भुगतान किया गया है	विसंगतियों का विवरण
1.	10/अगस्त-24 41825/-	श्री अनूप सिंह (साईटूर्स ट्रेवल्स )	लॉग बुक के अनुसार माह मई-24 में वाहन का 2322 कि.मी. चलना परिलक्षित हो रहा है जबकि भुगतान 2500 कि. मी. का किया गया है। इस प्रकार 178 कि.मी. का ज्यादा भुगतान किया।
2.	03/सितम्बर-24 41750/-	श्री मनोज कुमार दुबे (दुबे ट्रेवल्स )	लोग बुक के अनुसार माह अप्रैल-24 में वाहन का 2424 कि.मी. चलना परिलक्षित हो रहा है जबकि भुगतान 2500 कि. मी. का किया गया है। इस प्रकार 76 कि.मी. का ज्यादा भुगतान किया ।
3.	12/अगस्त-24	एक्सपर्ट इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेस	स्टेशनरी के क्रय के भुगतान हेतु बजट आवंटन लेखा शीर्ष 22-007(लेखन सामग्री) के अंतर्गत किया जाता है किन्तु स्टेशनरी के क्रय का भुगतान लेखा शीर्ष 51-010 (अन्य प्रभार) में उपलब्ध बजट से किया गया है ।
4.	18/जून-24	साई कंप्यूटर एंड रेफ्रिज्रेसन	स्टेशनरी के क्रय के भुगतान हेतु बजट आवंटन लेखा शीर्ष 22-007(लेखन सामग्री) के अंतर्गत किया जाता है किन्तु स्टेशनरी के क्रय का भुगतान लेखा शीर्ष 22-008 (अन्य आकस्मिक व्यय ) में उपलब्ध बजट से किया गया ।

### कोषालय खण्डवा

4 कोषालय निरीक्षण दौरान नीचे दिये गये तालिकानुसार आहरण अधिकारी JILA KHEL YUVAK KALYAN ADHIKARI KHNADWA के प्रमाणकों की नमूना जांच में निम्नानुसार कम/निरंक कटौती किया जाकर ठेकेदार को अधिक भुगतान किया जाना परिलक्षित हुआ।

			Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS In Rs.	Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS) In Rs.	Remark
Vendor Name	V.NO/Month/Year	Gross Amount Rs.	IT-TDS 2%	IT-TDS 2%	
STERLING SPORTS INDUSTRIES MERUT	20-03/2023 25-06/2023	565285	2584	11306	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-C के अनुसार ठेकेदार को वित्तीय वर्ष के दौरान Single payment Rs.30,000/- or Aggregate payment Rs.1,00,000/- से अधिक भुगतान या क्रेडिट पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाना चाहिए एवं जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 अनुसार ठेकेदार को वित्तीय वर्ष के दौरान Contract Value (Excluding GST & Taxes) के राशि 2,50,000/- से अधिक होने की स्थिति में 2 प्रतिशत जीएसटी (1% CGST, 1% SGST or 2% IGST) कटौती (Deduct) किया जाना चाहिए। उक्त प्रमाणक में वेंडर्स STERLING SPORTS INDUSTRIES MERUT एवं RAVI SECURITY SERVICE PRIVATE
RAVI SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED	11-04/2023 9-07/2023	140755	Nil	2815	

					<p>LIMITED को क्रमशः ग्रॉस राशि रूपए 565285 /- तथा 140755 /- को भुगतान किया गया है जिसमे इनकम टैक्स टीडीएस नियमानुसार नहीं काटा गया</p> <p>अतः कोषालय अधिकारी पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त डी.डी.ओ द्वारा सभी वेंडरों से नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती की गणना कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करे।</p>
--	--	--	--	--	---

S.No.	V.NO/Month/Year	Remark
1	15 03/2024	<p>उक्त प्रमाणक के भुगतान स्वीकृति आदेश की जाँच के दौरान पाया गया कि मौसम गंगराड़े टैक्स एडवाइजर को जी एस टी टीडीएस के रिटर्न फाइल चार्ज हेतु राशि रूपए 7850 /- का भुगतान त्रुटिपूर्ण विस्तृत शीर्ष 31 -005 ,31 -006 से किया गया। लिस्ट ऑफ़ ऑब्जेक्ट एंड डिटेल्स हेड के अनुसार विस्तृत शीर्ष 31 -005 तथा 31 -006 कार्यालय एवं शासकीय संपत्ति की क्रमशः सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के लिए किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान के लिए अभिप्रेरित है।</p>
2	17 01/2024	<p>उक्त प्रमाणक की जाँच में पाया गया कि नॉन रेगुलर एनपीएस कर्मचारियों के वेतन बिलों में एनपीएस हेतु 14 % शासकीय अंशदान भी सर्विस हेड 2204 से ही किया जा रहा है जबकि लिस्ट ऑफ़ मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ़ एकाउंट्स के अनुसार एनपीएस हेतु शासकीय अंशदान के लिए मुख्य शीर्ष 2071 -01 -117 का संचालन किया जाना चाहिए।</p> <p>अतः कोषालय अधिकारी उक्त डीडीओं को इस प्रकार के समस्त बिलों के समीक्षा करवाकर सही लेखांकन प्रक्रिया का पालन करने हेतु निर्देशित करे</p>

**कोषालय विन्ध्याचल भवन**

Engineer in chief gram in Yantriki Sewa M. P. Bhopal (0515803001) के माह 09/2024 के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान निम्नानुसार विसंगतियां पाई गई:-

स.क्र.	BILL No. माह/ राशि/₹	जिसको भुगतान किया गया	विसंगतियों का विवरण
.1	185/30-अगस्त-24 50000/-	सर्विस स्टाम्प डाक टिकट	जिसके साथ चालान सलंग्न नहीं पाया गया है जबकि पोस्ट ऑफिस को अग्रिम भुगतान किया गया है।
.2	200019678305/29 - अगस्त24-3346141/-	मेसर्स मारुती इंटरप्राइजेज	Keyboard and mouse के क्रय के भुगतान हेतु बजट आवंटन लेखा शीर्ष 33-002 (मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण) के अंतर्गत किया जाता है किन्तु Keyboard and mouse के क्रय का भुगतान लेखा शीर्ष 22-008 (अन्य आकस्मिक व्ययमें ( उपलब्ध बजट से किया गया
.3	203/06-सितम्बर 24-	Telephone Instrument 1*1 plan system with installation	दूरभाष शिफ्टिंग का व्यय के भुगतान हेतु बजट आवंटन लेखा शीर्ष 22-002 (दूरभाष व्यय) के अंतर्गत किया जाता है किन्तु दूरभाष का भुगतान लेखा शीर्ष 22-008 (अन्य आकस्मिक व्ययमें (   उपलब्ध बजट से किया गया
.4	200019731794/2 5-सितम्बर 24-	मेसर्स नर्मदा आईटी सोल्युशन	कंप्यूटर उपकरण के मरम्मत हेतु के भुगतान हेतु बजट आवंटन लेखा शीर्ष 33-002 (मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण) के अंतर्गत किया जाता है कंप्यूटर उपकरण के मरम्मत का भुगतान लेखा शीर्ष 22-008 (अन्य आकस्मिक व्ययमें उपलब्ध ( बजट से किया गया

उक्त वाउचरों की जांच करने पर किसी भी वाउचर में वाउचर नंबर अंकित नहीं पाया गया न ही भुगतान एवं निरस्त कि तिरछि लाईन अंकित नहीं था जिससे उनके पुनः उपयोग की संभावना बनी रहती है। जो की आपत्तिजनक है।

**कोषालय इंदौर**

S. No.	DDO	Month-Year	MHCD	VOU NO.	NET AMOUNT	Remarks/Objections
1	CM&HO, INDORE	03 2024	2210	529	26,019/-	Purchase of UPS is done from detail head 33-002 instead of 27-005. In sub vouchers paid & cancelled seal not found.

2	CM&HO, INDORE	03	2024	2210	440	57,643/-	Purchase of consumable items of IT like toners, drum etc. is done from detail head 33-002 instead of 27-003. In sub vouchers paid & cancelled seal not found.
3	CM&HO, INDORE	03	2024	2210	203	20,000/-	Payment of medical service allowance is done from detail head 11-008 instead of 11-029. In sub vouchers paid & cancelled seal not found.
4	CM&HO, INDORE	03	2024	2210	215	80,046/-	Purchase of consumable items of IT like toners, drum etc. is done from detail head 33-002 instead of 27-003. In sub vouchers paid & cancelled seal not found.
5	DFO, INDORE	03	2024	4406	225	95139	Purchase of material items like tiles, granite, cement etc. is done from detail head 51 instead of 34-001. In sub vouchers paid & cancelled seal not found. Most of the sub vouchers less than Rs.20000 .Spilts purchasing shows because of continuous date of purchasing of same type of material.
6	DFO, INDORE	03	2024	2406	67	367233/-	Book printing is done from detail head 24-002 instead of 22-012. In sub vouchers paid & cancelled seal not found. Most of the sub vouchers less than Rs.20000 . Spilts purchasing shows because in sub vouchers continuous date of book printing. It is intentional split purchasing to avoid sanction limit and to escape from 20000 limit of uploading the sub vouchers .
After checking of all Voucher of above DDO for the month of 03/2024 it is observed that Paid and Cancelled not found in any of sub vouchers/Cash memos.							

### कोषालय धार

S. No	DDO	Month-Year		MHCD	VOU NO	AMOUNT Rs	Remarks/Objections
1	DEO (Excise) Dhar	03	2024	2039	14	1500	Paid and cancelled Not Mentioned on the Invoice, Voucher No. and date not mentioned on Voucher.
2	DEO (Excise) Dhar	03	2024	2039	13	1302000	Paid and cancelled Not Mentioned on the Invoice, Voucher No. and date not mentioned on Voucher. Payment of Contracted Vehicle has been given to Individual instead of Registered Firm. Classification Not mentioned on the Sanction Order

3	DEO (Excise) Dhar	03	2024	2039	12	15000	Paid and cancelled Not Mentioned on the Invoice, Voucher No. and date not mentioned on Voucher. Copy Of sanction order not sent to AGMP
4	DDVS Dhar	03	2024	2403	19	49992	IT TDS Deducted on net amount instead of gross amount.
5	DDVS Dhar	03	2024	2403	20	99934	IT TDS Deducted on net amount instead of gross amount.
6	DDVS Dhar	03	2024	2403	22	899950	IT TDS Deducted on net amount instead of gross amount. Payment To Sachdev Enterprises of amount 727636 in which only IT tds deducted @ 2% on net amount. GST TDS @ 2% amount Rs. 14552 not deducted.
7	DDVS Dhar	03	2024	2403	14	3023923	IT deducted from salary is in bulk amount.it should be deducted on monthly basis. Vikram Panwar- Rs. 107050 Pratibha Mandloi- Rs. 50,000 Rajendra Gulab Singh Damor-Rs. 76450 etc

नोट- DEO (Excise) Dhar द्वारा कर्मचारियों के वेतन देयक से मासिक रूप से प्रोफेशनल टैक्स की कटौति किया जाना नहीं पाया गया था।

### कोषालय शाजापुर

DDO Name &Code:-DISTT EDUCATION OFFICER SHAJAPUR(3802003001)				
स. क्र.	प्रमाणक क्र./माह एवं राशि₹	जिसको भुगतान किया गया	जी.एस.टी. काटे जाने के उपरांत राशि	2 % IT-TDS Not Deducted
1.	257/ March-2024 9274048/-	SAMAYA SCHOOL BUS TRANSPORTATION PRIVATE LIMITED	<b>185481/-</b> <b>GST NOT DEDUCTED</b>	185481/- (2 % IT-TDS Deducted)
2.	277/ March-2024 658875/-	MPCON LIMITED BHOPAL	<b>13177/-</b> <b>GST NOT DEDUCTED</b>	11167/- (2 % IT-TDS Deducted)
DDO Name &Code:-PRI J.N.S.COLLEGE SHUJALPUR(3803802006)				
3.	56/ MARCH-2023 247831/-	RUDRA ENTERPRISE S	-----	<b>4956/-</b> <b>(2 % IT-TDS Not Deducted)</b>
4.	352/ MARCH-2023 1499545/-	VAISHNAVI TRADERS GWALIOR	<b>29990/-</b> <b>GST NOT DEDUCTED</b>	<b>25416/-</b> <b>(2 % IT-TDS Not Deducted)</b>

DDO Name & Code:-PRINCIPAL B.S.N. COLLEGE SHAJAPUR(3803802001)				
5.	349/ MARCH-2023 679171/-	MADHYAPRA DESH HINDI GRANTH ACADEMY BHOPAL	13583/- GST NOT DEDUCTED	13583/- (2 % IT-TDS Not Deducted)
6.	347/ MARCH-2023 765778/-		15315/- GST NOT DEDUCTED	15315/- (2 % IT-TDS Not Deducted)

### कोषालय वल्लभ भवन

डी.डी.ओ. क्र. 0521003113 – डी.एफ.ओ., भोपाल के माह 03/2024 के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान निम्न विसंगतियां परिलक्षित हुई:-

S. No	Month/ Year	MHCD	VOU NO	AMOUNT Rs	Remarks/Objections
1	03/2024	4406	611	150000	GST Amount not added to the bill
2	03/2024	4406	500	381079	TDS @2% not deducted
3	03/2024	4406	648	130518	No GST bill attached
4	03/2024	4406	614	226257	Expenditure was made out from revenue detail head of accounts i.e. in detail Head 34 in the capital Major head. This type of discrepancy also occurs in other Vouchers.

### परिशिष्ट संख्या-31

#### (पैरा-3.9.6-ii)

कोषालयीन भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच में दर्शित विसंगतियां

### कोषालय राजगढ़

S.N O	DDO	MONTH_IN	YEAR_IN	VOU_NO	AMOUNT (In Rs. )	Remarks/Objections
1	30040046 6	06	2023	73	13860	Maintainance work has been classified under detail head 22-008 instead of 33-002
2	30040046 6	10	2023	20	11863	Maintainance work has been classified under detail head 22-008 instead of 33-002

### कोषालय नर्मदापुरम

कोषालय निरीक्षण दौरान पाया गया कि विविध आकस्मिक प्रभारों के भुगतान हेतु नियमानुसार स्थायी अग्रिम राशि व पद्धति को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा एवं किसी भी कर्मचारी द्वारा उक्त व्यय स्वयं भुगतान किये जाकर क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि प्राप्त की जा रही थी साथ ही विविध प्रकरणों में उक्त प्रकार के दावे/राशि ₹ 5,000/- से अधिक भी था। नमूना विवरण निम्नानुसार है:-

S.n.	Voucher No./Month	Amount in ₹	Officials who have been paid
1	05/03.2023	9170	Rs. 1170 paid to Shree S.C Raghuvanshi
2	04/01.2024	22873	Rs. 19020 paid to Shree S.K. Choubey
3	05/12.2022	17300	Rs. 8900 paid to Shree D P Dhurvey Rs. 6000 paid to Shree Manish Jain Rs. 2400 paid to Shree Lalit Raghuvanshi
4	10/03.2024	3800	Rs. 3800 paid to Shree Rajesh Tomar
5	11/03.2024	2800	Rs. 2800 paid to Smt Surekha Chawre
6	06/03.2024	2500	Rs. 2500 paid to Shree R.B. Goliya
7	07/03.2024	4625	Rs. 3425 paid to Shree R.B. Goliya Rs. 1200 paid to Smt Archana Dubey
8	02/11.2023	9537	Rs. 2500 paid to Shree D P Dhurvey
9	03/11.2023	1800	Rs. 1800 paid to Smt Archana Dubey
10	04/05.2023	14200	Rs. 5500 paid to Shree Naresh Manohar
11	02/05.2023	13190	Rs. 4460 paid to Smt Archana Dubey Rs. 1100 paid to Smt Surekha Chawre

❖ अन्य अनियमितताये।

S.n.	Voucher No./Month	Amount in ₹	Observations
1	05/11.2023	6600	स्वीकृति आदेश में विस्तृत शीर्ष 59-00 से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जबकि प्रमाणक में विस्तृत शीर्ष 31-007 से भुगतान किया गया था। साथ ही Paid by me आधार पर श्री राजेश सिंह तोमर को 3900/- रुपए का भुगतान किया गया था।
2	11/11.2023	6878	स्वीकृति आदेश में विस्तृत शीर्ष 31-006 से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जबकि प्रमाणक में विस्तृत शीर्ष 31-007 से भुगतान किया गया था।

**कोषालय अनूपपुर**

S.no.	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT (In. Rs.)	Objections
1	08	2023	2054	01	8,000/-	Payment of Legal fees of Advocate was wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
2	10	2023	2054	02	15,583/-	Payment of IT related items (Keyboard, mouse, Toner Cartridge) amounting to 3,080/- was wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
3	02	2024	2054	03	22,750/-	Payment of CA professional fees amounting to 12,750/- wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
4	12	2022	2054	02	3,040/-	Payment of Electrical items (e.g. Tube light, LED bulbs etc.) and others(Cartridge refill, Battery Water etc.) amounting to Rs. 2,720/- was wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
5	12	2022	2054	05	17,150/-	Payment of Furniture items purchasing was wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
6	12	2022	2054	06	2,400/-	Payment of Web cam purchase was wrongly debited to Obj. Head 27-003 in place of respective object head.
7	01	2023	2054	03	8,500/-	Payment of CA professional fees wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
8	01	2023	2054	04	4,838/-	Payment of Computer repairing and IT items (HP USB) was wrongly debited to Obj. Head 31-009 in place of respective object head.
9	03	2023	2054	01	4,454/-	Payment of Computer maintenance items was wrongly debited to Obj. Head 31-009 in place of respective object head.
10	03	2023	2054	10	4,250/-	Payment of CA professional fees wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
11	03	2023	2210	Bill No. 670	6,338/-	Payment of Electrical items (e.g. LED bulbs, Emergency Bulb, LED battery etc.) were wrongly debited to Obj. Head 33-002 in place of respective object head.
12	03	2024	2210	41	53,453/-	Payment of Computer and IT related items (e.g. Antivirus, cartridge refill, Pen drive, Drives, Drum, roller, speaker, UPS Battery etc.) were wrongly debited to Obj. Head 33-002 in place of respective object head.
13	03	2024	2210	70	3,00,000/-	Classification mismatch in the sanction order and Voucher
14	03	2024	2210	26	3,74,920/-	Payment of CA professional fees, building of gate, stationery related items amounting to 3,25,120/- were wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head. Further, Out of Rs. 3,25,120/- proper invoice (Rs. 79,399/-) was not attached.

15	03	2024	2210	24	2,88,778/-	Payment of Electrical items (e.g. Capacitor, MCV, Electrician Charges, LED, Battery, Sockets, Switch, Tube lights etc.) and others IT related Items (Mother Board, RAM, Drive, SNPS etc.) amounting to Rs. 17,758/- was wrongly debited to Obj. Head 33-002 in place of respective object head
16	03	2023	4406	336	5,527/-	Payment of publication fees was wrongly debited to Obj. Head 34-000 in place of respective object head.
17	03	2023	2406	121	3,000/-	Payment of CA professional fees wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
18	03	2023	2406	96	14,870/-	Payment of vehicle maintenance was wrongly debited to Obj. Head 34-001 in place of respective object head.
19	03	2023	2406	489	43,937/-	Requisite documents not attached and photocopy of Depot Receipt attached.
20	03	2024	4406	Bill No. 200018137146	5,040/-	Payment of stationery items (e.g. Register, stapler pin, whitener ,Marker, A5 size paper etc.) were wrongly debited to Obj. Head 34-000 in place of respective object head.
21	03	2024	4406	Bill No. 200018137915	14,986/-	Payment of IT related items (Drive, mouse, Toner Cartridge, Desktop Repairing etc.) were wrongly debited to Obj. Head 22-007 in place of respective object head.
22	03	2024	4406	Bill No. 200018140459	10,000/-	Payment of pesticides was wrongly debited to Obj. Head 34-001 in place of respective object head.

### कोषालय विदिशा

S.no.	Month- Year	MHCD	VOU NO	NET AMOUNT (In. Rs.)	Objections
1	03 2023	2054	03	1,645/-	Payment of CA professional fees wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head. Payment of Computer repairing and IT items (e.g. Display card repairing, Board repairing etc.) was wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
2	03 2023	2054	07	7,622/-	Payment of Computer repairing and IT items (e.g. Cartridge, Toner Refill etc.) amounting to 5,050/ was wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.

3	03	2024	2054	02	42,497/-	Payment of CA professional fees amounting to Rs. 1,104/- wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head. Payment of Computer and IT related items (e.g. Pen drive, Refill of Cartridge, Cannon Pickup Roller, Laptop and PC repairing etc.) amounting to Rs. 13,713/- were wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
4	03	2023	2039	18	3,827/-	Photocopied invoices amounting to Rs. 3,827/- have been attached instead of originals.
5	03	2023	2039	Bill No. 128	19,500/-	Payment of Computer, repairing and IT related items (e.g. Toner refilling, Printer repairing, computer repairing etc.) amounting to Rs. 19,500/- were wrongly debited to Obj. Head 33-002 in place of respective object head.
6	03	2023	2039	10	4,410/-	Photocopied invoices amounting to Rs. 4,410/- have been attached instead of originals.
7	03	2023	2039	08	1,770/-	Payment of printed forms amounting to Rs. 1,770/- was wrongly debited to Obj. Head 22-004 in place of respective object head.

### कोषालय सागर

S.no.	Month-Year		MHC D	VOU NO	NET AMOUNT In. Rs.	Objections
1	10	2024	2210	282	13,000/-	Payment of CA professional fees wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.
2	10	2024	2210	293	1,15,689/-	Payment of outsourced employee (Oxygen Technician) was wrongly debited to Obj. Head 31-010 in place of respective object head.
3	10	2024	2210	282	20,500/-	Payment of CA professional fees wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.

4	03	2024	2054	38	16,148/-	<p>Payment of fire refiling items (2 kg CO2 Type, 9 Litre Water CO2 Type) amounting to Rs. 3300/- wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective objects.</p> <p>Payment of CA professional fees amounting to Rs. 1500/- wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.</p> <p>Further, the Account head mentioned in the sanction order is wrong.</p>
5	07	2024	2054	30	8,884/-	<p>Payment of Computer, repairing and IT related items (e.g. LAN cable, Connector fitting and installation, cartridge refilling, computer servicing etc.) were wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.</p>
6	03	2024	2039	24	38,250/-	<p>Payment of CA professional fees amounting to Rs. 4000/- wrongly debited to Obj. Head 51-000 in place of respective object head.</p> <p>Payment of Computer related items (e.g. printer toner refiling etc.) wrongly debited to Obj. Head 51-000 in place of respective object head.</p>
7	03	2024	2039	26	11,355/-	<p>Payment of Computer, repairing and IT related items (e.g. LAN cable, RJ 45 D-Link, Installation etc.) were wrongly debited to Obj. Head 51-000 in place of respective object head.</p>
8	03	2024	2039	32	2,000/-	<p>Payment of CA professional fees amounting to Rs. 1500/- wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.</p>
9	03	2024	2039	31	3,600/-	<p>Payment of rent wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective object head.</p>

**परिशिष्ट संख्या-32**

(पैरा-3.9.7)

**विद्युत प्रभारों का विलम्ब भुगतान होने से विलम्ब भुगतान अधिभार पाया जाना**

स.क्र.	कोषालय	विलम्ब अधिभार भुगतान राशि ₹
1	मंदसौर	5405
2	कटनी	265
3	दतिया	31832
4	बालाघाट	42014
5	अनूपपुर	6433
6	श्योपुर	7179
7	छतरपुर	43578
8	गुना	10742
9	रीवा	2053
10	विदिशा	1384928
11	शाजापुर	19242
12	सागर	1260
13	छिन्दवाड़ा	99420
	<b>योग</b>	<b>1654351</b>

**परिशिष्ट संख्या-33**

(पैरा-3.9.8)

**वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जी.एस.टी. शीर्ष 8658-00-139 की प्राप्ति एवं व्यय में अंतर**

कोषालय	अवधि	वर्गीकरण	प्राप्ति ₹	व्यय ₹
मंदसौर	01.04.23 से 31.03.24	8658-00-139	4046136	3807875
उज्जैन	--	--	8040595	6519712
नीमच	--	--	1848328	1672362
कटनी	--	--	2680405	2421098
दतिया	--	--	3166267	2379696
टीकमगढ़	--	--	976325	551296
बालाघाट	--	--	7992599	6612405
नर्मदापुरम	01.04.23 से 31.03.24	--	3318751	2637778
अनूपपुर	--	--	1437015	674302
श्योपुर	--	--	3079038	2468602
छतरपुर	--	--	2656404	1650500
सीधी	--	--	1508300	814628
अशोकनगर	--	--	1936230	1270875
गुना	--	--	2482975	1765061
रीवा	--	--	3719134	6490742

भोपाल	--	--	7947252	2579774
खण्डवा	--	--	8250352	6805266
विन्ध्याचल	--	--	171871584	165112914
विदिशा	--	--	6174836	4938113
इंदौर	--	--	25919786	23347323
धार	--	--	5175238	4471061
छिन्दवाड़ा	--	--	8272010	5543131
खरगौन	--	--	3645847	3268066
वल्लभ भवन	--	--	284221880	236200811
ग्वालियर	--	--	23959875	23687181
<b>योग</b>			<b>594327162</b>	<b>517690572</b>

**परिशिष्ट संख्या-34**

(पैरा-3.9.9-(1))

**शीर्ष 8658-00-101 P.A.O. सस्पेंस में अनाधिकृत प्रविष्टियां/वर्गीकरण**

कोषालय	अवधि	वर्गीकरण	प्राप्ति ₹	व्यय ₹
नीमच	01.04.22 से 31.05.24	8658-00-101	31148	13704
कटनी	01.05.24 से 30.04.24	--	7775	00
टीकमगढ़	01.04.23 से 31.03.24	--	57895	178004
अशोकनगर	01.10.22 से 31.08.24	--	4161	217123
खण्डवा	01.04.23 से 30.11.24	--	20506	267053
विदिशा	01.01.23 से 30.11.24	--	281572	510495
खरगौन	01.02.24 से 31.01.25	--	15387	2390
<b>योग</b>			<b>418444</b>	<b>1188769</b>

**परिशिष्ट संख्या-35**

(पैरा-3.9.9-(2))

**मुख्य शीर्ष 8658-101 में राशि जमा एवं भुगतान करवाया जाना**

कोषालय	अवधि	वर्गीकरण	जमा ₹	रिफण्ड/भुगतान ₹
मंदसौर	01.04.22 से 31.05.24	8658-101	9716	13237
उज्जैन	01.04.22 से 31.05.24	--	117595	64436
राजगढ़	01.04.23 से 31.05.24	--	24296	00
दतिया	01.05.22 से 31.05.24	--	00	34594
बालाघाट	01.04.23 से 31.05.24	--	24008	4942
अनूपपुर	01.08.22 से 31.07.24	--	39295	00
श्योपुर	01.09.22 से 31.07.24	--	43369	00
छतरपुर	01.09.22 से 31.07.24	--	15217	00

शहडोल	—	—''—	24901	00
रीवा	01.11.22 से 30.09.24	—''—	12372	00
भोपाल	—	—''—	19563	44661
देवास	—	—''—	564987	00
शाजापुर	—	—''—	52299	20946
वल्लभ भवन	01.12.23 से 31.01.25	—''—	59661	22663
ग्वालियर	01.02.23 से 31.01.24	—''—	617926726	1075166088
<b>योग</b>			<b>618934005</b>	<b>1075371567</b>

**परिशिष्ट संख्या-36**  
**(पैरा-3.9.10)**

**बिना विभागाध्यक्ष स्वीकृति के Office supplies & equipment का क्रय किया जाना**  
**कोषालय सागर**

कोषालय निरीक्षण दौरान पाया गया था कि एक ही वित्त वर्ष में Office Supplies & Equipment पर राशि **Rs. 131262/-** का क्रय बिना विभागाध्यक्ष स्वीकृति के किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :

S.N	Vr. No./Date	Voucher Amount In. Rs.	Invoice Date	Invoice Amount In. Rs.	Vendor/Supplier Name	Items	Remarks
1	1/02.03.2022	103233/-	11.10.2021	9958/-	The Sagar paper and stationery stores	stationery	Office Supplies & Equipment's of amount 62686/-
			18.11.2021	7960/-			
			14.12.2021	19970/-			
			14.12.2021	11998/-			
			14.10.2021	5600/-	Mahavir Trader's	Furniture	
			03.02.2022	7200/-	Pushpanjali Enterprises	Curtains	
2	27/11.03.2022	7400/-	25.10.2021	7400/-	The Sagar paper and stationery stores	stationery	Office Supplies & Equipment's of amount 7400/-
3	24/11.03.2022	11210	04.03.2022	11210/-	sobhagya Furniture	Furniture	Office Supplies & Equipment's of amount 11210/-
4	25/03.09.2021	54906	19.8.2021	49966/-	The Sagar paper and stationery stores	stationery	Office Supplies & Equipment's of amount 49966/-
						Total	131262/-

**परिशिष्ट संख्या-37**

**(पैरा-3.9.11)**

**आकस्मिक प्रभारों के भुगतान हेतु अनियमित पद्धति अपनाये जाकर **Paid by me** आधार पर व बिना कोई राशि सीमा रखे किसी भी कर्मचारी को भुगतान किया जाना**

**कोषालय कटनी**

S.no.	Month-Year		MHCD	Bill No./ V. NO.	Voucher AMOUNT (In Rs.)	PAID BY ME AMOUNT
1	03	2023	2039	158	3,300/-	3,300/- (Paid to 1 employee)
2	03	2024	2054	003	100	100 (paid to 1 employee)
<b>Total</b>					<b>3400/-</b>	

**कोषालय अनुपपुर**

S. No.	Month.	Year	MHCD	V. NO.	PAID BY ME AMOUNT (In. Rs.)
1	03	2024	4406	Bill No. 200018137146	<b>5,040/- (Paid to 1 Employee)</b>

**कोषालय श्योपुर**

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT In Rs.	PAID BY ME AMOUNT In Rs.	PAID TO (Official Name)	Paid For (Description of Payment)
1	04	20.06.2023	2054	8500	8500	Shri Devendra Pratap Singh Dhakar	Transportation of Almirah from Vijaypur to Sheopur
2	10	18.08.2023	2054	16077	16077	Shri Devendra Pratap Singh Dhakar(1500) Shri Ashok Kumar Rathore(14127) Shri Prem Das Pachoria(450)	Paid For Miscellaneous Office Items
3	07	09.08.2023	2030	5295	5295	Shri Mohan Lal Jatav	Paid for petrol/stamp loading wages

**Table-2**

S. No.	V.No	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT In Rs.	PAID BY ME AMOUNT In Rs.	PAID TO (Official Name)	Paid For (Discription of Payment)
1	03	10.11.2023	2039	1600	1600	Shri. Sanjeev Kumar Dhruve (Excise Sub Ins. )	Paid For purchase of book for office use
1	08	28.11.2023	2039	2400	2400	Shri. Sanjeev Kumar Dhruve (Excise Sub Ins. )	Paid For purchase of book for office use

**कोषालय गुना**

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT In Rs.	PAID BY ME AMOUNT In Rs.	PAID TO (Official Name)	Paid For (Description of Payment)
1	09	31.01.2024	2054	13767	2220	Shri Mukesh Bheel-100 Shri Hanif Ahmad Khan-2000 Shri lochan chaubey-120	Stationary items
2	19	18.12.2023	2054	1655	400	Shri Hanif Ahmad Khan-400	Purchase of electronic item
3	03	18.10.2023	2054	5778	4678	Shri Naveen Chandra Gaud-4678	Office Expense
4	05	16.08.2023	2054	20518	6250	Smt. Sushma Topo-350 Shri Prakash singh jaiswar-400 Shri Jawed khan-5200 Shri Keshav verma-300	Office Expense
5	01	26.06.2023	2054	8200	2200	Smt. Chaya Mittal-2200	Transportation

**कोषालय रीवा**

DDO:Dy. Commissioner EX (Flying Scot), Rewa (3200504002)							
S. No.	V. NO. & Month	Month	MHCD	Voucher AMOUNT In Rs.	PAID BY ME AMOUNT In. Rs.	PAID TO (Official Name)	Paid For (Description of Payment)
1	11	September-24	2039	5739	5739	Shri Rajesh Kumar Patel	Telephone Bill
2	12	September-24	2039	3990	3990	Shri Ambuj Tripathi	Purchase of Books
3	13	September-24	2039	2658	2658	Shri Ambuj Tripathi-2000 Shri K.C. Avdhiya-538 Ms.Jyoti Singh-120	Photocopy
4	07	August-2024	2039	15200	15200	Shri Ambuj Tripathi-1900 Shri K.C. Avdhiya-2800 Shri Abhinav Kumar Maalviy-5500 Shri Matadin Shukl-5000	Office Expense
5	10	March-24	2039	42842	42842	Shri Rajesh Kumar Patel	Electricity Bill
6	11	June-2024	2039	35726	35726	Shri Rajesh Kumar Patel	Electricity Bill
7	6	June-2024	2039	5633	5633	Shri Rajesh Kumar Patel	Telephone Bill

**कोषालय विदिशा**

S. No.	Month.	Year	MHCD	V. NO.	PAID BY ME AMOUNT (In. Rs.)
1	03	2023	2054	06	Rs. 8,000/- (Paid to 1 Employee)
2	03	2024	2054	02	Rs. 4,860/- (Paid to 2 Employees)

**कोषालय छिन्दवाड़ा**

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID BY ME AMOUNT	PAID TO (Official Name)	Paid For (Discription of Payment)
1	0216	12/03/ 2024	2225	77000	<b>77000</b>	ओमप्रकाश जोशी	भोजन, नास्ता, पानी, परिवाहन
2	0055	05/03/2024	2210	59141	<b>59141</b>	लेखराम साइलवार डॉ. प्रमोद वासनिक गनपत सिंह बघेल संकेत अवस्थी	विविध व्यय

3	0158	06/03/2024	2225	234935	234935	राजेंद्र सिंह तोमर	भोजन, यात्रा, पोशाक, पुरस्कार
---	------	------------	------	--------	--------	--------------------	----------------------------------

**कोषालय ग्वालियर**

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT ₹	PAID BY ME AMOUNT ₹
1	42	20.11.2023	2225	226230	226230 (paid to 7 employees)
2	41	20.11.2023	2225	65579	65579 (Paid to 3 employees)
3	04	05.12.2023	2054	2080	550 (Paid to 2 employees)
4	71	20.12.2023	2054	2830	1180 (Paid to 2 employees)
5	35	31.12.2024	2225	267705	The payment of amount Rs. 15000, 6680, 15000, 34240, 10000, 16000, 6325 done on the basis of PAID BY ME.

**परिशिष्ट संख्या-38**

(पैरा-3.9.12)

ठेकेदारों को किये गये भुगतान देयकों से आयकर एवं जी.एस.टी. की नियमानुसार कटौती न किया जाना

**कोषालय मंदसौर**

						Amount ₹
Name of DDOs :- DIST. EXCISE OFFICER, MANDSAUR (2400504002)						
MHCD: 2039						
Name of the vendor Mr.	FVC BILL REF. NO.	AMOUNT (Paid in F.Y. 2023-24)	CGST 1%	SGST 1%	Deductions should be made on vouchers GST-TDS @2% (CGST+SGST)	
BHARAT DHANGAR	200016019243	459893	4598.93	4598.93	9198	
HARISH CHANDRAWAT	200016035709	458216	4582.16	4582.16	9164	
	200016793909					
SHANTILAL	200016763380	458229	4582.29	4582.29	9165	
AMAR SINGH	200018205639	459001	4590.01	4590.01	9180	
PAWAN KUMAR		279634	2796.34	2796.34	5593	
<b>TOTAL</b>						<b>42299</b>

कोषालय उज्जैन

“तालिका”

Dy. Commissioner Excise (डी.डी.ओ कोड-4300504001)

राशि ₹							
				Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers		Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS)	
Vendor Name	V.NO/Month/Year	MHCD	Gross Amount	GST-TDS @2% (CGST+S GST)	IT-TDS 2%	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%
भवन स्वामी	10, 12/2023	2039	567096	11400	-----	11400	11400
मंगल मूर्ति एग्री इफ़्रा	40, 03/2024	2039	567096	11400	-----	11400	11400

“तालिका”

Distt. Food Supply Controller Ujjain (डी.डी.ओ कोड-4302902001)

राशि ₹							
				Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers		Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS)	
Vendor Name	V.NO/Month/Year	MHCD	Gross Amount	GST-TDS @2% (CGST+S GST)	IT-TDS 2%	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%
हिमांशु मालाकार	34, 06/2023	2408	170000	3400		3400	3400
	10, 10/2023	2408	145000	2900		2900	2900
	18, 03/2024	2408	50000	1000		1000	1000
	23, 03/2024	2408	100000	2000		2000	2000

**कोषालय श्योपुर**

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax thereon								
Name of DDOs	Vendor Name	V.NO/Month/Year	MHCD	Gross Amount Rs.	Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers Rs.		Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS) Rs.	
					GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%
Distt. Excise Officer Sheopur	Shanu Dwivedi	06-09/2023 09-11/2023 06-02/2024	2039	336000	NIL	6720	6720	6720
Distt. Excise Officer Sheopur	Arun Kumar Dantare	01-10/2023 09-11/2023 05-02/2024 07-03/2024	2039	250800	NIL	5016	5016	5016
Distt. Excise Officer Sheopur	Vivek Singh Jadon	06-09/2023 09-11/2023 05-02/2024	2039	311200	NIL	6224	6224	6224
DFO Kuno Animal Division	Rahul Card & Stationary Sheopur	151-01/2024	2406	159722	NIL	NIL	NIL	3194
DFO Kuno Animal Division	Mamleshwar Mahadev Chat Bhandar	87-02/2024	4406	170100	NIL	NIL	NIL	3402

**कोषालय सीधी**

Name of DDOs -: DIST. EXCISE OFFICER, Sidhi (4100504001) MHCD: 2039							
Name of the vendor Mr.	FVC BILL REF. NO.	AMOUNT (Paid in F.Y. 2023-24)	IT-TDS Deducted	IT-TDS should be deducted @ 2%	AMOUNT must be paid with 2% IT-TDS (2023-24)	Deductions should be made on vouchers GST-TDS @2% (CGST+SGST)	
Udairaj Singh Chandel	0001/June-23 0009/August-23 0010/August-23 0011/August-23 0001/Sep-23 0006/Sep-23 0009/Sep-23 0004/Oct-23 0005/Oct-23	430650	4350 (LESS Deducted @ 1 %)	8700 (LESS Deducted 4350)	426300	8526	

Rajendra Yadav	0004/Dec-23 0005/Jan-24 0009/Jan-24 0014/Jan-24	338571	3419 (LESS Deducted@ 1 %)	6838 (LESS Deducted 3419 )	335152	6704
Sai Tours & Travels	0001/Feb-24 0008/Mar-24 0009/Mar-24	368676	3762 (Deducted@ 2 %)	3762	368676	7374
			TOTAL	7769) should be deducted(		22604

स.क्र.	प्रमाणक क्र माह/	राशि रु.	किया गया कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	2 % IT-TDS Not Deducted	GST-TDS Not Deducted @ 2% (Only 1340/- Rs. deducted as GST TDS) Residual amount of GST TDS which should be deducted
1.	99/ August 2024	1077689/-	इमारती काष्ठ के परिवहन हेतु।	श्रीमती मधुलता सिंह	21554/-	19783/-

### कोषालय गुना

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax thereon								
Name of DDOs	Vendor Name	V.NO/Month/Year	MHC D	Gross Amount Rs.	Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers Rs.	IT-TDS 2%	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2% Rs.
Dist. Excise Officer Guna	Maina Travels Guna	08-03/2024 04-03/2024 07-01/2024 01-01/2024 04-10/2023 05-08/2023 14-07/2023 07-07/2023 03-06/2023 01-05/2023	2039	1234658	NIL	24694	24694	24694
DFO GENERAL GUNA	Tanav Traders Shivpuri	07-01/2024 11-01/2024	4406	521318	9930	NIL	9930	10426
DFO GENERAL GUNA	Ridhima Stationery	54-01/2024	4406	5320	950	NIL	950	1064
DFO GENERAL GUNA	Greenhub Products Indore	53-01/2024	4406	248000	4724	NIL	4724	4960

नोट- Distt. Excise Officer Guna द्वारा उक्त वेंडर के भुगतान देयक की स्वीकृति आदेश पर किस माह हेतु भुगतान किया जा रहा है इसका उल्लेख नहीं पाया गया है ।

**कोषालय रीवा**

<b>DDO Name &amp;Code:-Divisional Forest Officer,Rewa(3201003001)</b>				
स. क्र.	प्रमाणक क्र./माह एवं राशि रु.	जिसको भुगतान किया गया	जी.एस.टी. काटे जाने के पूर्व राशि ₹	2 % IT-TDS to be Deducted In Rs.
1.	403/ March-2024 344085/-	भोला एग्रो.इंड.जबलपुर	327700/-	6554/-
2.	407/ March-2024 304500/-	भोला एग्रो.इंड.जबलपुर	290000/-	5800/-
3.	134/ September-2024 770527/-	Pawan Dwivedi	116973/-	2339/-
		Deepankar Dwivedi	206577/-	4131/-
<b>DDO Name &amp;Code:-Dy. Commissioner EX.(Flying Scot),Rewa(3200504002)</b>				
1.	6/ August-2024 1009938/-	Bansal Ware House	855879/-	17117/-

**कोषालय धार**

In Rs.								
Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax thereon								
					Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers		Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS)	
Name of DDOs	Vendor Name	V.NO/Month /Year	MHC D	Gross Amount Rs.	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%
CM & HO DHAR	ZEUS ENTERPRISES Bhopal	185-03/2024	2210	2275056	NIL	38562	45500	45500

CM & HO DHAR	ZEUS ENTERP RISES Bhopal	194-03/2024	2210	863999	NIL	14677	17280	17280
CM & HO DHAR	Shivam Bundela Security PVT LTD	11-02/2024	2210	460136	NIL	7800	9202	9202
CM & HO DHAR	Hoswin Incinerato r Pvt Ltd	12-02/2024	2210	408280	NIL	8170	8165	8165
CM & HO DHAR	Sachdev Agency	05-01/2024	2210	238800	NIL	NIL	4776	4776
CM & HO DHAR	(a)Sachd ev Agency (b)Rake sh Verma (c)Kaml esh Dhangar	126- 02/2024	2210	421300 41236 58600	NIL NIL NIL	8426 NIL NIL	8426 NIL NIL	8426 825 1172
CM & HO DHAR	(a)Sachd ev Agency (b)Darba r Indane (c)Shivji Dayaram	147- 02/2024	2210	1038300 35410 87200	NIL NIL NIL	20766 NIL NIL	20766 NIL NIL	20766 708 1744
CM & HO DHAR	(a)Mukti Kirana Store (b)Mahes h Malwiya (c)Nitu Jajme	10-02/2024	2210	199056 55900 45200	NIL NIL NIL	NIL NIL NIL	3981 NIL NIL	3981 1118 904

**कोषालय सागर**

Name of DDOs	voucher No/ Month	Name of the vendor	MHCD	Gross amt	Deductions should be made on vouchers (IT-TDS ) IT-TDS 2%
District Treasury, Sagar	0030 07/2023	Rajeev Enterprise Sagar	2054	Rs. 49552/-	Rs.991/-

<b>Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax thereon</b>							
(In Rs.)							
Name of DDOs	voucher No/ Month	MHC D	Vendor Name	Gross amt	Net Amount	GST-TDS @2% (CGST+SGS T)	IT-TDS 2%
Assistant Commissioner Excise District Sagar, M.P.	03 ,07/2022	2039	Silicons Systems , sagar	1364000	1155932.20	23118.60 (Not Deducted)	27280 (Not Deducted)
DDO Code 3300504004	16, 06/2022, 05, 08/2022, 11, 08/2022. 12, 08/2022, 15, 09/2022, 08, 10/2022, 05, 12/2022, 09, 02/2023, 22,03/2023, 25,03/2023	2039	Pradeep Thakur	288000	----	5760 (Not Deducted)	Deducted @1%
			Priyanka Singh	306276	----	6125 (Not Deducted)	Deducted @1%
			Sudheer Ghosi	287472	----	5749 (Not Deducted)	Deducted @1%
			Ram Narayan Raikwar	288000	----	5760 (Not Deducted)	Deducted @1%
CM & HO, Sagar DDO Code 3301704002	186, 03/2023	2210	Sai BABA Electronic System, Bhopal	85000	----	-----	1700 (Not Deducted)
	245, 03/2023	2210	Kant	99550	----	----	1991

			Publicit y, Sagar				(Not Deducte d)
	195, 03/2023	2210	Medica ment Jabalpur	228480	-----	-----	4567 (Not Deducte d)

**परिशिष्ट संख्या-39**

**(पैरा-3.9.13)**

**जी.एस.टी. की राशि का नियमानुसार समय पर जमा न किया जाना**

**कोषालय मंदसौर**

<b>Name of DDOs</b>	<b>Month and amount of GST deducted</b>	<b>Date/Month and amount of GST refunded</b>	<b>Remarks</b>
<b>SUPDT. OF POLICE, MANDSAUR</b>	12/2023, 10038/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
	01/2024, 38361/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
	02/2024, 5535/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2024
<b>E.E. GANDHI SAGAR DAM DIV. IRR. G.S. COLONY BHANPUR</b>	12/2023, 62666/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
	01/2024, 8800/-	27.03.2024, 8800/-	To be refunded by 10.02.2024
	02/2024, 3178/-	27.03.2024, 3178/-	To be refunded by 10.03.2024
<b>DIST. REGISTRAR, MANDSAUR</b>	01/2024, 4234/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
<b>CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICER, MANDSAUR</b>	12/2023, 102/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
	01/2024, 7015/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
	02/2024, 6990/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2024
<b>INSURANCE MEDICAL OFFICER, MANDSAUR</b>	01/2024, 6694/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
	02/2024, 22358/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2024

**कोषालय दतिया**

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Refunded Amount and Date	Remarks
Collector Datia	11/2023 33760/-	33760/- on 14.12.2023	To be refunded by 10.12.2023
Food Officer Datia	01/2024 1108/-	1108/- on 12.02.2024	To be refunded by 10.02.2024
Civil surgeon cum suptd dist hospital, datia	02/2024 20794	20794/- on 12.03.2024	To be refunded by 10.02.2024

**कोषालय बालाघाट**

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted (In Rs. )	Date/Month and amount of GST refunded (In Rs. )	Remarks
DIST. SPORT AND YOUTH WELFARE OFFICER BALAGHAT	12/2023, 1753/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
	01/2024, 1000/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
TEHSILDAR WARASEONI	01/2024, 1712/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
	01/2024, 1641/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
	02/2024, 220/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2024
PRIN. RANGER COLLEGE BALAGHAT	12/2023, 6615/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
	02/2024, 7663/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2024
	02/2024, 2600/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2024
	02/2024, 2873/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2024
Dy. DIRECTOR VETENARY SERVICE BALAGHAT	12/2023, 11898/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
	12/2023, 3000/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
	12/2023, 8999/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
DIST. REGISTRAR BALAGHAT	12/2023, 5631/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.01.2024
	01/2024, 6828/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
	01/2024, 1578/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024
	01/2024, 984/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.02.2024

	02/2024, 3789/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2024
DFO NORTH T.	02/2024,	28.03.2024 , 217550/- 30.03.2024 , 41262/-	To be refunded by 10.03.2024 (Late Payment Found)
DFO SOUTH PRODUCTION	02/2024,	28.03.2024 , 369783/-	To be refunded by 10.03.2024 (Late Payment Found)

### कोषालय बुरहानपुर

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted Rs.	Date/Month and amount of GST refunded Rs.	Remarks
S.P. Burhanpur	05/2024 3662/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
	06/2024 56879/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2024
District Forest Officer, Burhanpur	05/2024 33501/-	19/06/2024 (Late refunded) 33501/-	To be refunded by 10.06.2024
	06/2024 18062/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2024
District Excise Officer, Burhanpur	06/2024 9960/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2024
Dy. Director Vegerinary Services, Burhanur	06/2024 17848/-	25/07/2024 (Late refunded) 17848/-	To be refunded by 10.07.2024
Veternary Asstt Surgeonkey Village Scheme, Burhanpur	06/2024 1786/-	25/07/2024 (Late refunded) 1786/-	To be refunded by 10.07.2024

### कोषालय श्योपुर

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted in Rs.	Refunded Amount and Date in Rs.	Remarks
Chief Med and H.O. SHEOPUR	12/2023 4526/-	4526/- on 11.01.2024	To be refunded by 10.01.2024
Collector, Sheopur	12/2023 20089/-	Amount not refunded in January	To be refunded by 10.01.2024
Dy. Dir V.S.SHEOPUR	12/2023 29118/-	Amount not refunded in January	To be refunded by 10.01.2024
D F O Kuno Forest Animal Division Sheopur	12/2023 268145/-	Amount not refunded in January	To be refunded by 10.01.2024
D F O Sheopur	12/2023 219519/-	Amount not refunded in January	To be refunded by 10.01.2024

**कोषालय जबलपुर**

Name of DDOs	Month and amount of GST TDS deducted Rs.	Date/Month and amount of GST TDS refunded in Rs.	Remarks
Officer comm. 1 M.P. Artillery Reg. NCC. JBP	05/2024 1594/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
Collector Jabalpur	05/2024 84222/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
Dy. Director L.F.A. JBP	05/2024 1617/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
Sr. Sub Jail Supdt. Jailer sub jail Sihora JBP	05/2024 652/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
Supdt. Of Police JBP	05/2024 129247/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
Advocate General, MP, JBP	05/2024 7010/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
Insurance Medical officer I C JBP State Ins ser Empls	05/2024 26482/-	23/06/2024 (Late refunded) 26482/-	To be refunded by 10.06.2024
Civil Surgeon Cum Hospital Supdt Main Hosp JBP	05/2024 5361/-	14/06/2024 (Late refunded) 5361/-	To be refunded by 10.06.2024
Member Secretary- 2000011370	05/2024 2104/-	14/06/2024 (Late refunded) 2104/-	To be refunded by 10.06.2024

**कोषालय छतरपुर**

Name of DDOs	Amount ₹		Remarks
	Month and amount of GST deducted	Refunded Amount and Date	
C. E. O. JANPAD PANCHAYAT (BIJAWAR), CHHATARPUR	04/2023 19731/-	19731/- on 12.05.2023	To be refunded by 10.05.2023
C.E. O. JANPAD PANCHAYAT (LOUNDI), CHHATARPUR	04/2023 71745/-	No record found	To be refunded by 10.05.2023
C.E. O. JANPAD PANCHAYAT (LOUNDI), CHHATARPUR	05/2023 44224/-	No record found	To be refunded by 10.06.2023
C.E. O. JANPAD PANCHAYAT (LOUNDI), CHHATARPUR	07/2023 7305/-	No record found	To be refunded by 10.08.2023
C.E. O. JANPAD PANCHAYAT (LOUNDI), CHHATARPUR	07/2023 3409/-	No record found	To be refunded by 10.08.2023

**कोषालय सीधी**

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Date/Month and amount of GST refunded	Remarks
DIRCTOR SANJAY NATIONAL PARK,	06/2024, 26405/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2024

SIDHI	07/2024, 23261/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.08.2024
	08/2024, 55078/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2024
COLLECTOR, SIDHI	06/2024, 9726/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2024
	07/2024, 1340/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.08.2024
	08/2024, 34035/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2024
ASST. COMMISSIONER TRIBAL DV. SIDHI	07/2024, 51763/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.08.2024
CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICER, SIDHI	07/2024, 2922/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.08.2024

### कोषालय गुना

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted in Rs.	Refunded Amount and Date in Rs.	Remarks
Senior Suptt. Of police sub jail chachoda Guna	12/2023 500/-	500/- on 02.02.2024	To be refunded by 10.01.2024
Civil Surgeon Guna	12/2023 1042/-	1042/- on 27.02.24	To be refunded by 10.01.2024
Civil Surgeon Guna	01/2024 1404/-	1404/- on 27.02.2024	To be refunded by 10.02.2024
Civil Surgeon Guna	01/2024 2548/-	2548/- on 27.02.2024	To be refunded by 10.02.2024
Civil Surgeon Guna	12/2023 5340/-	5340/- on 27.02.2024	To be refunded by 10.01.2024
Civil Surgeon Guna	01/2024 23270/-	23270/- on 27.02.2024	To be refunded by 10.02.2024
DDVS Guna	12/2023 3676/-	3676/- on 14.03.24	To be refunded by 10.01.2024
PRI. Govt. Poly. Radhogarh Guna	01/2024 11284/-	11284/- on 22.03.24	To be refunded by 10.02.2024

### कोषालय रीवा

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Date/Month and amount of GST refunded	Remarks
SUPERINTENDENT CENTRAL JAIL REWA	04/2024, 54624/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2024
OFFICER COMMANDANT 3 MP BATALLION NCC	04/2024, 1502/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2024
	05/2024,	Amount not	To be refunded by

REWA	3621/-	refunded	10.06.2024
DY.COMMISSIONER EX.(FLYING SCOAT) REWA	04/2024, 17118/-	24/05/2024, 5432/-	To be refunded by 10.05.2024
	05/2024, 5432/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
ASSISTANT COMMISSIONER EX. REWA	05/2024, 15062/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2024
DY. DIR. L.F.A. REWA (M.P.)	06/2024, 3070/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2024
PRI.SCI.COLL. REWA	06/2024, 4826/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2024
JD CUM SUPTD. G.M.H. REWA	06/2024, 8665/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2024

### कोषालय विदिशा

Sl. No.	Name of DDO	Voucher No.	Month and amount of GST deducted (In. Rs.)	Date/Month of GST refunded	Remarks
1	Medical Officer for C.M.H.O., Vidisha	30	03/2024 28,994/-	10/2023 to 01/2024	To be refunded by 10 <sup>th</sup> of the consecutive month.

Sl. No.	Name of DDO	Month and amount of GST deducted (In. Rs.)	Date of GST refunded	Remarks
1	DFO, Vidisha	03/2023 75,203/-	13/04/2023	To be refunded by 10 <sup>th</sup> of the consecutive month.
2		04/2023 2,51,185/-	19/05/2023	--''--
3		05/2023 2,37,588/-	15/06/2023	--''--
4		08/2023 2,66,874/-	12/09/2023	--''--
5		11/2023 1,48,306/-	11/12/2023	--''--
6		01/2024 1,37,994/-	12/02/2024	--''--

**कोषालय देवास**

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted In Rs.	Date/Month and amount of GST refunded In Rs.	Remarks
DFO Division T Dewas	08/2024 149689/-	24.09.2024 (Late refunded) 149689/-	To be refunded by 10.09.2024
Commercial tax Officer Dewas	08/2024 2412/-	Amount not refunded.	To be refunded by 10.09.2024
Insurance Medical Officer Ujjain Road Dewas	08/2024 6420/-	Amount not refunded.	To be refunded by 10.09.2024
Distt. Excise Officer Dewas	08/2024 11760/-	Amount not refunded.	To be refunded by 10.09.2024
Distt. Registrar Dewas	08/2024 13293/-	Amount not refunded.	To be refunded by 10.09.2024
Tehsildar Kannoud	08/2024 1188/-	Amount not refunded.	To be refunded by 10.09.2024
DFO Division T Dewas	09/2024 183192/-	18.10.2024 (Late refunded) 183192/-	To be refunded by 10.10.2024
Suptd Sub Jail Sonkatch	09/2024 3989/-	22.10.2024 (Late refunded) 3989/-	To be refunded by 10.10.2024
Suptd Sub Jail Kannod	09/2024 3047/-	16.10.2024 (Late refunded) 3047/-	To be refunded by 10.10.2024

**कोषालय धार**

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted in Rs.	Status of Refunded	Remarks
PRIN. GOVT. Collage Manawar	09/2024 6604/-	Amount Not Refunded in next month	To be refunded by 10.10.2024
SUPDT CUM CIVIL SURGEON DHAR	09/2024 59253/-	Amount Not Refunded in next month	To be refunded by 10.10.2024
COMMANDANT SAF DHAR	09/2024 8174/-	Amount Not Refunded in next month	To be refunded by 10.10.2024
D.D.V.S DHAR	09/2024 17343/-	Amount Not Refunded in next month	To be refunded by 10.10.2024

D.F.O. DHAR	09/2024 7383/-	Amount Not Refunded in next month	To be refunded by 10.10.2024
EE OSO CANAL DIVISION DHAMNOD DISTT. DHAR	10/2024 50198/-	Amount Not Refunded in next month	To be refunded by 10.11.2024
PRIN. GOVT. Collage DHAR	10/2024 4228/-	Amount Not Refunded in next month	To be refunded by 10.11.2024

**कोषालय शाजापुर**

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted Rs.	Date/Month and amount of GST refunded	Remarks
<b>ASTT. REGIONAL TRANSPORT OFFICE, SHAJAPUR</b>	09/2024, 760/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.10.2024
	11/2024, 760/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.12.2024
<b>TAHSILDAR GULANA</b>	09/2024, 2000/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.10.2024
	10/2024, 1000/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.11.2024
	11/2024, 1000/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.12.2024
<b>DISTT. FOOD OFFICER SHAJAPUR</b>	10/2024, 4998/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.11.2024
	11/2024, 1443/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.12.2024
<b>Dy. Superintendent sub jail Shujalpur</b>	11/2024, 2660/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.12.2024
<b>ASTT EXCISE COMMISSIONER DIST SHAJAPUR</b>	11/2024, 3334/-	Amount refunded on 26.12.2024	To be refunded by 10.12.2024
<b>COMMERCIAL TAX OFF. SHAJAPUR</b>	11/2024, 322/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.12.2024

**कोषालय छिन्दवाड़ा**

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted Rs.	Date/Month and amount of GST refunded Rs.	Remarks
Block Education Officer (T.W.) Bichhua	01/2024 32902/-	<b>Amount not refunded</b>	To be refunded by 10.02.2024
	02/2024 23035/-	<b>Amount not refunded</b>	To be refunded by 10.03.2024

Manager Govt. Poltry Farm Imlikheda	05/2024 25375/-	<b>Amount not refunded</b>	To be refunded by 10.06.2024
	09/2024 7874/-	<b>Amount not refunded</b>	To be refunded by 10.10.2024
	12/2024 21304/-	<b>Amount not refunded</b>	To be refunded by 10.01.2025
Dist.Edn. Officer Chhindwara	01/2024 4222/-	<b>Amount not refunded</b>	To be refunded by 10.02.2024
	03/2024 56638 /-	<b>Amount not refunded</b>	To be refunded by 10.04.2024
Chief Medical And Health Officer CWA Chhindwara	05/2024 39065/-	03/07/2024 (Late refunded) 39065/-	To be refunded by 10.06.2024
DFO (South) Production Chhindwara	03/2024 100893/-	23/04/2024 (Late refunded) 100893/-	To be refunded by 10.04.2024
S.P.Chhindwara	03/2024 147190/-	28/05/2024 (Late refunded) 147190/-	To be refunded by 10.04.2024
	11/2024 224683/-	31/12/2024 (Late refunded) 224683/-	To be refunded by 10.12.2024

### कोषालय खरगौन

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Refunded Amount and Date	Remarks
CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICER KHARGONE	08/2024 57038/-	No record found	To be refunded by 10.09.2024
DISTRICT REGISTRAR KHARGONE	08/2024 7595/-	865/- date. 04/09/2024	Amount 6,730/- not refunded by 10.09.2024
SUPERINTENDENT OF POLICE KHARGONE	08/2024 12942/-	No record found	To be refunded by 10.09.2024
CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICER KHARGONE	09/2024 36737/-	No record found	To be refunded by 10.10.2024
DISTRICT EXCISE OFFICER KHARGONE	08/2024 23790/-	No record found	To be refunded by 10.09.2024

**कोषालय वल्लभ भवन**

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted Rs.	Refunded Amount and Date	Remarks
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 1924/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 936/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 690/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 2412/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 1515/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 2272/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 1002/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 788/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024
Principal Pt. Khushilal Sharma Ayurved College and institute Bhopal	06/2024 1543/-	No record found	To be refunded by 10.07.2024

**परिशिष्ट संख्या-40**

(पैरा-3.9.14)

**आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर कोषालय आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं पाया जाना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय का नाम
1	बालाघाट	4	शाजापुर
2	सीधी	5	खरगौन
3	धार		

**परिशिष्ट संख्या-41**

**(पैरा-3.9.15)**

**सायबर कोषालय के तहत जमा राशियों का सत्यापन न किया जाना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय का नाम
1	बुरहानपुर	4	सतना
2	जबलपुर	5	शाजापुर
3	सीधी		

**परिशिष्ट संख्या-42**

**(पैरा-3.9.16)**

**असफल ई-भुगतान के पुर्नभुगतान से संबंधित विसंगतियां**

**कोषालय बुरहानपुर**

Sl No	DDO Name	Month/Year/ Voucher No.	Amount ₹	Observation by Inspection Team
1	Civil Surgeon Cum Chief Hospital Superintendent Burhanpur	09/2022/0048	15267	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
2	Dy. Director Panchayat Social Justice, Burhanpur	10/2022/0005	200000	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
3	District Election Officer, Burhanpur	10/2022/0016	12591	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख
4	Distt. Women and Child Development Officer, Burhanpur	10/2022/0022	35750	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही कुल प्रगामी योग में वास्तविक राशि से भिन्न राशि (35750 के स्थान पर 35757) दर्ज होना पाया गया है।
5	Distt. Forest Officer, Burhanpur	06/2024/0006	102335	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
6	Distt. Forest Officer, Burhanpur	05/2024/0002	365262	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
7	Block Education Officer, Burhanpur	06/2024/0010	16165	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

### कोषालय जबलपुर

Sl No.	DDO Name	Month/Year/Voucher No.	Amount In Rs.	Observation by Inspection Team
1	Tehshildar Gorakhpur, JBP	12/2023/0112	400000	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है
2	Advocate General M.P. Jabalpur	12/2023/0137	39353	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त आदेश में भुगतान की राशि एवं vendor का नाम तथा वर्गीकरण में भिन्नता प्रतीत हो रही है।
3	District Program Officer Women and Child Development Jabalpur	12/2023/0146	26000	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है
4	Principal Government College Patan	12/2023/0170	65570	स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं है जिस कारण से असफल भुगतान के कारण एवं लाभार्थी की जानकारी अप्राप्त है जो की तर्कसंगत नहीं है
5	Supdt. Of Police Jabalpur	08/2024/0091	105628	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त लाभार्थी का Bank Account No. भी दर्ज नहीं है।
6	Superintendent Central Jail Jabalpur	08/2024/0123	267817	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों एवं लाभार्थियों के नाम एवं Bank Account No. का उल्लेख नहीं किया गया है
7	Supdt. Of Police Jabalpur	12/2023/0154	5609592	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त लाभार्थी का Bank Account No. भी दर्ज नहीं है साथ ही 12/2023 माह में एक ही लाभार्थी को समान राशि का दो बार भुगतान किये जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है।
	Supdt. Of Police Jabalpur	12/2023/0144	5609592	

### कोषालय शहडोल

Sl No.	DDO Name	Month/Year/Voucher No.	Amount in Rs.	Observation by Inspection Team
1	EE RES Shahdol	12/2022/0040	205541	स्वीकृति आदेश के स्थान पर एक्सेल शीट में केवल ठेकेदार का नाम एवं राशि
2	EXE ENG. PWD DIV. No. 1 SDL	12/2022/0036	952146	स्वीकृति आदेश के स्थान पर memorandum of payments upload किया गया है।
3	District Employment Officer SDL	12/2022/0052	17370	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त लाभार्थी का Bank Account No. भी दर्ज नहीं है।
4	Collector Bhoo Arjan SDL	12/2022 200014321314	272472	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

5	Principal Govt. Girls College SDI	12/2022/0115	78000	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
6	EXE ENG. PWD DIV. No. 1 SDL	12/2022/0124	356138	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त लाभार्थि का Bank Account No. भी दर्ज नहीं है।
7	BEO Beohari	12/2022/0132	28890	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त लाभार्थि का Bank Account No. भी दर्ज नहीं है।

### कोषालय सतना

SI No	DDO Name	Month/Year/ Voucher No.	Amount	Observation by Inspection Team
1	DFO SATNA	04/2024/0040	408840	स्वीकृति आदेश के स्थान पर वन विभाग द्वारा भुगतान हेतु कोषालय की ओर साधारण पत्र प्रेषित किया गया है जिसपर लाभार्थी का नाम एवं Bank Account No. दर्ज नहीं है जो , कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है
2		202/054/0016	272661	
3		202/054/0093	68349	
4	Block Education Officer, Majhagaon	05/2024/0026	413863	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त लाभार्थी का नाम एवं Bank Account No. दर्ज नहीं है ।
5	Block Education Officer, Majhagaon	05/2024/0139	233971	
6	Block Education Officer, Majhagaon	05/2024/0063	73164	
7	EE WRD Satna	05/2024/0122	51420	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त लाभार्थी का नाम एवं Bank Account No. भी दर्ज नहीं है ।

निम्नलिखित कोषालयों में असफल ई-भुगतानों के लिए राजस्व जमा शीर्ष 8443-00-101 का संचालन किया जा रहा था । जबकि विफल लेन-देन एक दावाकृत राशि होती है जो कि किसी

कारणवश हितग्राही के खाते में जमा नहीं हो पाती है जिसे सस्पेंस शीर्ष 8658-102 में अधिकतम 30 से 60 दिनों तक रखा जाना चाहिए जिसका पुर्नभुगतान समयावधि में न होने पर संबंधित प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।

#### कोषालय गुना

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू
01.05.2023.से 30.06.2024.	गुना	4911	9,21,89,038

#### कोषालय रीवा

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू में
01.10.2023से 30.09.2024	रीवा	316	425235632

#### कोषालय खण्डवा

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू में
01.04.2024से 30.11.2024	खंडवा	1366	41104411

#### कोषालय विन्ध्याचल भवन

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू
01.02.2024 से 30.11.2024	विन्ध्याचल	4042	2934612999

#### कोषालय धार

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू
01.04.2024 से 30.09.2024	धार	2106	8,49,43,102

#### कोषालय शाजापुर

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू
01.04.2024 से 31.12.2024	SHAJAPUR	103	24,59,72,68/-

#### कोषालय छिन्दवाड़ा

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू
01.02.2024 से 31.12.2024	छिन्दवाड़ा	7320	15,22,82,328

#### कोषालय खरगौन

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू
01.02.2024 से 31.01.2025	KHARGONE	911	70,85,53,670

#### कोषालय वल्लभ भवन

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि रू
01.12.2023 से 31.01.2025	Vallabh Bhawan	1412	61,51,58,303

**परिशिष्ट संख्या-43**

(पैरा-3.9.17)

**जी.एस.टी. की राशि की पार्किंग गलत मुख्य शीर्ष में कर भुगतान किया जाना**

**कोषालय सागर**

Sl. No.	DDO	Voucher No./8443-106	Date	Amount of GST refunded from PD account Rs.
1.	DFO South Sagar	0232	23.09.2024	16,52,330/-
2.	DFO South Sagar	0115	18.10.2024	6,56,639/-

**कोषालय छिन्दवाड़ा**

Sl. NO	DDO	Cheque No./ Voucher No.	Date	Amount of GST refunded from PD account Rs.
1.	DFO WEST PRO	0052	SEPT 24	11905811
2.	DFO WEST PRO	0041	OCT 24	9359480
3.	DFO WEST PRO	0043	NOV24	6976133
4.	DFO WEST PRO	0085	DEC 24	3886390
5.	DFO SOUTH P CWA	D070701528	28/02/2024	38124
6.	DFO SOUTH P CWA	D070701529	28/02/2024	16236
7.	DFO SOUTH P CWA	D070701530	16/03/2024	1620
8.	DFO WEST T DN CWA	D070701722	06/02/2024	21492
9.	DFO WEST T DN CWA	D070701723	05/03/2024	3348
10.	DFO WEST T DN CWA	D070701724	18/04/2023	1800

**परिशिष्ट संख्या-44**

(पैरा-3.9.18)

**प्रमाणकों में शामिल राजस्व प्राप्ति की कटौतियों का संबंधित राजस्व शीर्ष में शामिल न होना**

**कोषालय दतिया**

कमांक	माह	प्रमाणक कमांक	मुख्य शीर्ष	त्रुटिवश महालेखाकार अंतरण में दर्शाया गया प्राप्ति मुख्य शीर्ष	महालेखाकार अंतरण प्राप्ति शीर्ष की राशि ₹
01.	04 / 2024	02	2055	0070-800	750 / -
02.	04 / 2024	07	2055	0070-800	250 / -
03.	04 / 2024	12	2055	0070-800	750 / -
04.	04 / 2024	13	2055	0070-800	250 / -
05.	04 / 2024	21	2055	0070-800	500 / -
06.	04 / 2024	115	2055	0070-800	250 / -
07.	04 / 2024	120	2055	0070-800	750 / -
<b>कुल योग</b>					<b>3500 / -</b>

**कोषालय भोपाल**

क्रमांक	माह	प्रमाणक क्रमांक	मुख्य शीर्ष	त्रुटिवश महालेखाकार अंतरण में दर्शाया गया प्राप्ति मुख्य शीर्ष	महालेखाकार अंतरण प्राप्ति शीर्ष की राशि ₹
01.	01/2024	1	2055	0070-800	4500/-
02.	01/2024	2	2055	0070-800	250/-
03.	01/2024	221	2055	0070-800	250/-
04.	01/2024	222	2055	0070-800	250/-
05.	01/2024	287	2055	0070-800	500/-
06.	01/2024	289	2055	0070-800	500/-
07.	01/2024	291	2055	0070-800	4250/-
08.	01/2024	295	2055	0070-800	4500/-
09.	01/2024	303	2055	0070-800	250/-
10.	01/2024	304	2055	0070-800	2250/-
11.	01/2024	305	2055	0070-800	1250/-
12.	01/2024	308	2055	0070-800	750/-
13.	01/2024	318	2055	0070-800	250/-
14.	01/2024	148	2235	0070-800	250/-
15.	01/2024	134	2235	0070-800	250/-
16.	01/2024	15	2235	0070-800	250/-
17.	01/2024	3	2235	0070-800	250/-
<b>कुल योग</b>					<b>20,750/-</b>

**कोषालय शाजापुर**

क्रमांक	माह	प्रमाणक क्रमांक	मुख्य शीर्ष	त्रुटिवश महालेखाकार अंतरण में दर्शाया गया प्राप्ति मुख्य शीर्ष	महालेखाकार अंतरण प्राप्ति शीर्ष की राशि ₹
01.	12/2024	90	2055	0070-800	150/-
02.	12/2024	85	2055	0070-800	600/-
03.	12/2024	82	2055	0070-800	150/-
04.	11/2024	77	2055	0070-800	150/-
05.	11/2024	74	2055	0070-800	600/-
06.	11/2024	71	2055	0070-800	150/-
07.	10/2024	77	2055	0070-800	150/-
08.	10/2024	67	2055	0070-800	600/-
09.	10/2024	66	2055	0070-800	150/-
10.	09/2024	58	2055	0070-800	150/-
11.	09/2024	56	2055	0070-800	600/-
12.	09/2024	57	2055	0070-800	150/-
13.	08/2024	58	2055	0070-800	150/-
14.	08/2024	52	2055	0070-800	600/-

15.	08/2024	50	2055	0070-800	150/-
16.	07/2024	94	2055	0070-800	150/-
17.	07/2024	95	2055	0070-800	750/-
18.	07/2024	96	2055	0070-800	150/-
19.	06/2024	64	2055	0070-800	750/-
20.	06/2024	66	2055	0070-800	150/-
21.	06/2024	63	2055	0070-800	150/-

### कोषालय सागर

क्रमांक	माह	DDO Name	प्रमाणक क्रमांक	मुख्य शीर्ष	त्रुटिवश महालेखाकार अंतरण में दर्शाया गया प्राप्ति मुख्य शीर्ष	महालेखाकार अंतरण प्राप्ति शीर्ष की राशि
01.	03/2024	Tehsildar Jessenagar Dist. Sagar	02	2053	0070-800	Rs. 150/-
02.	03/2024	Tehsildar Jessenagar Dist. Sagar	01	2053	0070-800	Rs. 150/-
03.	03/2024	TEHLSILDAR, Sagar	01	2053	0070-800	Rs. 500/-
04.	09/2024	TEHLSILDAR, Deori	29	2053	0070-800	Rs. 150/-
05.	09/2024	TAHSILDAR RAHATGARH	01	2053	0070-800	Rs. 500/-
06.	07/2024	TAHASILADAR MAALATHAN DIST. SAGAR	20	2053	0070-800	Rs. 300/-

### परिशिष्ट संख्या-45

(पैरा-3.9.19)

राजस्व जमा के प्रारंभिक शेष व अंतिम शेष में अंतर

### कोषालय कटनी

वर्ष	प्रारंभिक शेष (राशि रु. में)	अंतिम शेष (राशि रु. में)
2020-21	17586423	17586423
2021-22	52831678	52831678
2022-23	59306214	58850748
2023-24	36450285	40667288

### कोषालय बालाघाट

वर्ष	प्रारंभिक शेष ₹	अंतिम शेष ₹
2020-21	....	13775486
2021-22	107194354	107102284
2022-23	107281627	106985276
2023-24	69473536	....

### कोषालय अनूपपुर

वर्ष	प्रारंभिक शेष ₹	अंतिम शेष ₹
2020-21	8473222	8473222
2021-22	43998777	43998777
2022-23	43887123	43887123
2023-24	37365774	41857010

### कोषालय सीधी

वर्ष	प्रारंभिक शेष ₹	अंतिम शेष ₹
2020-21	-----	10179794
2021-22	60092956	60090956
2022-23	84819997	84688373
2023-24	49945812	-----

### कोषालय सीवा

वर्ष	प्रारंभिक शेष ₹	अंतिम शेष ₹
2018-19	0	-40500
2019-20	0	-240773
2020-21	77094737	76822250
2021-22	269825227	269825227
2022-23	194666638	194584436
2023-24	430044023	441836546

### कोषालय शाजापुर

वर्ष	प्रारंभिक शेष ₹	अंतिम शेष ₹
2020-21	-----	3765979
2021-22	43150762	43145762
2022-23	44856715	44759895
2023-24	34132854	-----

### कोषालय सागर

वर्ष	प्रारंभिक शेष ₹	अंतिम शेष ₹
2020-21	26058761	26058761
2021-22	215107437	213367827
2022-23	453943922	452837829
2023-24	287643029	221972854

कोषालय छिन्दवाड़ा

वर्ष	प्रारम्भिक शेष ₹	अंतिम शेष ₹
2020-21	33629091	33618435
2021-22	289643317	289572017
2022-23	246753888	246268892
2023-24	147218954	163005691

कोषालय ग्वालियर

वर्ष	प्रारम्भिक शेष ₹	अंतिम शेष ₹
2021-22	42855146	42834311
2022-23	200046658	199636987
2023-24	66293099	66161796

परिशिष्ट संख्या-46

(पैरा-3.9.21)

विभाग / कार्यालय द्वारा निविदा हेतु अनियमित टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुये वाहन किराये पर लिया जाना

कोषालय नर्मदापुरम

जिला कोषालय होशंगाबाद के निरीक्षण दौरान जिला आबकारी अधिकारी होशंगाबाद के के प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 06 किराये के वाहनों का भुगतान किया जाना पाया गया जिसके लिए विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित की गई जिसके एवज में कुल 06 ऑफर ही प्राप्त हुए व उक्त सभी आफरों को स्वीकृत किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष 2022-23

क्रं	निविदादाता का नाम	वाहन का निर्माण वर्ष	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार
1	Mr. Brijesh Semil	2019	MP 04 TB 2906	Scorpio S-3
2	Mr. Kamal Singh	2019	MP 05 T 7865	Bolero
3	Mr. Sandeep Yadav	2019	MP 05 T 2074	Bolero
4	Mr. Murali Lal Chaure	2019	MP 05 T 2072	Bolero
5	Mr. Vishal Vastawar	2020	MP 09 WE 5638	Bolero
6	Mr. Sachin Kaurav	2022	MP 05 T 2160	Bolero

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 06 किराये के वाहनों का भुगतान किया जाना पाया गया जिसके लिए विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित की गई जिसके एवज में कुल 07 ऑफर ही प्राप्त हुए

व उनमे से 01 ऑफर को आवेदन के साथ वाहन सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण निरस्त कर शेष सभी आफरों को स्वीकृत किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है—

**वित्तीय वर्ष 2023–24**

क्रं	निविदादाता का नाम	वाहन का निर्माण वर्ष	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार
1	Shree Mes. Semil Brothers	2022	MP 05 ZA 1378	Ertiga Smart H
2	Mr. Sumit Patel	2023	MP 04 ZG 7996	Bolero
3	Mr. Vishal Vastawar	2020	MP 09 WE 5638	Bolero
4	Mr. Sachin Kaurav	2022	MP 05 T 2160	Bolero
5	Mr. Kamal Singh	2019/2020	MP 05 T 7865	Bolero
6	Mr. Sachin Kaurav	2023	MP 05 ZB 4387	Bolero
7	Mr. Sumit Uikey	Disqualified		

उपरोक्त टेडर प्रक्रिया में निम्नानुसार विसंगतियां पायी गयीं—

01. मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के अनुसार खुली निविदा अर्न्तगत निविदा प्रस्तुत किये जाने हेतु कम से कम 21 दिवस एवं विशेष परिस्थितियों (लिखित की जावें) हेतु न्यूनतम 14 दिवस का समय दिया जाना अनिवार्य है जबकि उक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए निविदा विज्ञप्ति दिनांक 20.05.2022 जारी करते हुए दिनांक 30.05.2022 दोपहर 02 बजे तक कुल 10 पूर्ण दिवस तथा वर्ष 2023–24 के लिए निविदा विज्ञप्ति दिनांक 18.05.2023 जारी करते हुए दिनांक 30.05.2023 दोपहर 02 बजे तक कुल 12 पूर्ण दिवसों तक टेंडर आमंत्रित किये गये जो कि नियमानुसार नहीं है।
02. खुली निविदा हेतु ई-टेंडरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाना अनिवार्य है अतः मध्य प्रदेश ई-टेंडर व्यवस्था <https://mptenders.gov.in> उपलब्ध होने के उपरान्त भी उक्त विज्ञप्ति को प्रसारित नहीं किया गया।
03. खुली निविदा अंतर्गत ई-पोर्टल के अतिरिक्त व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना चाहिए एवं निविदा का विस्तृत विवरण उक्त पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसका पालन नहीं किया गया। उक्त कार्यालय द्वारा सिर्फ पीपुल्य समाचार अपना भोपाल में विज्ञापित प्रकाशित की थी।
04. उक्त निविदा आमंत्रणों में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 06 निविदा प्रपत्र ही प्राप्त हुए एवं उक्त 06 को ही स्वीकृत कर लिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 07 निविदा प्रपत्र ही प्राप्त हुए एवं एक निविदा को दस्तावेज न लगे होने के आधार पर निरस्त करते हुए शेष सभी 06 को ही स्वीकृत कर लिया गया जो कि तर्कसंगत नहीं दिख रहा था।
05. कार्यालय द्वारा जारी आदेशों में वित्तीय वर्ष 2022–23 में सरल क्रमांक 2 तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में सरल क्रमांक 5 पर एक ही वाहन क्रमांक MP 05 T 7865 (वाहन स्वामी—श्री कमल सिंह) के क्रमशः 2019 एवं 2020 भिन्न भिन्न मोडल वर्ष बताया गया।

### कोषालय खण्डवा

जिला कोषालय निरीक्षण दौरान जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय खंडवा के प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान कुल 05 किराये के वाहनों का भुगतान किया जाना पाया गया जिसके लिए विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित की गई जिसके एवज में कुल 05 ऑफर हीं प्राप्त हुए व उक्त सभी आफरों को स्वीकृत किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु

क्र.	निविदा दाता का नाम	वाहन क्रमांक
1	श्रीमती वैशाली पाटिल	MP 10 ZB 6011
2	श्री संजय सिंह मौर्या	MP 12 ZB 8964
3	श्री दिगपाल सिंह	MP 12 T 1815
4	श्री गोपाल तिरोले	MP 12 T 1817
5	श्री इंद्रकुमार सावले	MP 12 T 1812

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु

क्र.	निविदा दाता का नाम	वाहन क्रमांक
1	श्रीमती वैशाली पाटिल	MP 10 ZB 6011
2	श्री संजय सिंह मौर्या	MP 12 ZB 8964
3	श्री दिगपाल सिंह	MP 12 ZE 2744
4	श्री रविंद्र पटेल	MP 12 ZE 2994
5	श्री इंद्रकुमार सावले	MP 12 ZE 2997

उपरोक्त टेंडर प्रक्रिया में निम्नानुसार विसंगतियां पायी गयी:-

01. मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के अनुसार खुली निविदा अन्तर्गत निविदा प्रस्तुत किये जाने हेतु कम से कम 21 दिवस एवं सिर्फ विशेष परिस्थितियों हेतु न्यूनतम ( लिखित की जावे) 14 दिवस का समय दिया जाना अनिवार्य है जबकि उक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए निविदा विज्ञप्ति दिनांक 17.05.2023 जारी करते हुए दिनांक 30.05.2023 सायं 02 बजे तक कुल 13 पूर्ण दिवस तथा वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम निविदा विज्ञप्ति दिनांक 24.05.2024 जारी करते हुए दिनांक 30.05.2024 दोपहर 12 बजे तक कुल 06 पूर्ण दिवसों तक टेंडर आमंत्रित किये गये जोकि नियमानुसार नहीं है।
02. खुलि निविदा हेतु ई टेंडरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाना अनिवार्य है-अतः मध्यप्रदेश ई <https://mptenders.gov.in> उपलब्ध होने के उपरान्त भी उक्त विज्ञप्ति को प्रसारित नहीं किया गया।
03. खुलि निविदा अन्तर्गत ई पोर्टल के अतिरिक्त व्यापक-परिचालन वाले कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना चाहिए एवं निविदा का विस्तृत विवरण उक्त पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसका पालन नहीं किया गया ।
04. उक्त निविदा आमंत्रणों में कुल 05 निविदा प्रपत्र हीं प्राप्त हुए एवं उक्त 05 को हीं स्वीकृत कर लिया गया जो स्वयं खुलि निविदा नियमों के अन्तर्गत नियमाकुल नहीं था ।

**परिशिष्ट संख्या-47**

**(पैरा-3.9.22)**

**मुख्य शीर्ष 8658-123(All India Service Officers-GIS) में अन्य विभाग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण राशि जमा किया जाना**

**कोषालय बुरहानपुर**

Sl. No.	Name of DDOs	Month	Amount ₹
1.	Tehshildar, Khaknar	Sep-2023	400/-
		Oct -2023	400/-
		Oct- 2023	200/-
2.	Principal Govt. Ayurvedic College, Burhanpur	Sep-2023	1200/-
		Oct-2023	1200/-
		Mar-2024	1200/-
3.	E.E Water resources DIV Burhanpur	Sep-2023	60/-
		Oct-2023	60/-
		Feb-2024	60/-
4.	Tehshildar, Neapanagar	Oct-2023	100/-
		Oct-2023	100/-
		Mar-2024	100/-
5	EE, PWD, Burhanpur	Oct-2023	60/-
		Oct-2023	60/-
		Mar-2024	60/-
6	District Excise Officer, Burhanpur	Mar-2024	200/-

**कोषालय जबलपुर**

Sl. No.	Name of DDOs	Month	Amount
1.	Tehshildar, Majholi	Oct-2023	Rs. 200/-
		Oct -2023	Rs. 200/-
2.	EE PWD Bridge constr. DN JBP	Oct -2023	Rs. 200/-
		Oct -2023	Rs. 200/-
		July-2024	Rs. 200/-
3.	Advocate General M.P. JBP	Oct-2023	Rs. 200/-
		Oct-2023	Rs. 200/-
4.	Tehshildar, Adhartal	Oct-2023	Rs 200/-
		Oct-2023	Rs. 400/-
		July-2024	Rs. 400/-
5.	E E, Narmda Dev DN No 4 JBP	Oct-2023	Rs. 600/-
		June-2024	Rs. 200/-
6.	Principal Govt. Ranjhi JBP	Oct-2023	Rs. 400/-
		June-2024	Rs. 400/-
7.	E.E. R.E.S. Jabalpur Dn. JBP	Oct-2023	Rs. 60/- & 400/-
		June-2024	Rs. 60/- & 400/-
		July-2024	Rs. 400/-

8.	Block Education Officer Panager JBP	Oct-2023 July-2024	Rs. 200/- & 200/- Rs. 200/- & 200/-
9.	Block Education Officer JBP	Oct-2023 June-2024 Aug-2024	Rs. 200/- Rs.200/-& 400/- 200/-
10.	Tehshildar Tehshil Panager Dist. JBP	Oct-2023	Rs. 200/-
11.	E.E. PWD Bandr DN No.1 JBP	Oct-2023	Rs. 60/-
12.	E.E. PWD E/M DN JBP	Oct-2023	Rs. 60/- & 100/-
13.	E.E. Hiran Water Resources Div. JBP	Oct-2023	Rs. 400/-
14.	Tehshildar Kundam JBP	Oct-2023	Rs. 200/-
15.	Tehshildar, Patan	June-2024	Rs. 200/-
16.	C E P H Deptt. JBP Zone Jabalpur	Aug-2024	Rs. 400/- & 200/-

### कोषालय शहडोल

Sl. No.	Name of DDOs	Month	Amount
1.	SE Rural engg services circle shahdol	Apr-2024 May -2024	Rs. 200/- Rs. 200/-
2.	EE RES SDL	Apr -2024	Rs. 400/-
		Apr -2024	Rs. 200/-
		Apr -2024	Rs. 400/-
3.	NCC Officer SDL	Apr -2024 May -2024	Rs. 200/- Rs. 200/-
4.	EXE Engg PWD Div no.1 SDL	Apr -2024 Apr -2024 May-2024	Rs 60/- Rs. 60/- Rs. 60/-
5.	Distt Ayush officer SDL	Apr -2024 Apr -2024 May-2024	Rs. 1500/- Rs. 200/- Rs. 1500/-
6.	Distt Education officer SDL	Apr -2024 May-2024	Rs. 100/- Rs. 100/-
7.	E.E. PHED SDL	Apr -2024 May-2024	Rs. 60/- Rs. 60/- & 60/-
8.	CMHO SDL	Apr -2024 May-2024	Rs. 263000- Rs. 2600/- &200/-
9.	Commercial Tax Officer SDL	Apr -2024 June-2024 May-2024	Rs. 200/- Rs. 200/- Rs. 200/-
10.	Tehsildar Jaisinghnagar	June-2024	Rs. 3800/-
11.	Collector SDL	Apr- 2024 May- 2024 Jun - 2024	Rs. 400/- Rs. 400/- Rs. 400/-

**कोषालय सतना**

No.	Name of DDOs	Month	Amount
1.	E.E NVD Amarpatan (Temp Div Maihar)	Apr-2024	Rs. 60/-
2.	EE ND DN No.7 Satna MP	Apr -2024	Rs. 60/-
3.	PRI. Govt. Poly. Satna	Apr -2024	Rs. 200/-
4.	CEO Janpad Panchayat (Rampur Baghelan) Satna	Apr -2024	Rs. 300/-
5.	EE ND DN no.1 Nagod Satna MP	Apr -2024	Rs. 60/-
6.	BEO (Nagod) Satna	Apr -2024	Rs. 400/-
7.	Block Education Officer Maghagaon	Apr -2024	Rs. 100/-
8.	CEO Janpad Panchayat Sohawal	Apr -2024	Rs. 200/-
9.	Block Education Officer Sohawal	Apr -2024	Rs. 100/- Rs. 200/-
10.	Tehsildar (Rampur Beghelan) Satna	Apr -2024	Rs. 100/- Rs. 200/-
11.	EE ND No.9 Maihar MP	Apr -2024	Rs. 60/-
12.	Tehsildar Unchehara	Apr -2024	Rs. 200/- Rs. 100/-
13.	EE WRD Satna	Apr -2024	Rs. 60/-
14.	EE PHE Satna	Apr -2024	Rs. 60/-
15.	CEO Janpad Amarpatan	Apr -2024	Rs. 400/- Rs. 200/-
16.	Suptd. Sub Jail Maihar	Apr -2024	Rs. 200/-

**कोषालय देवास**

Sl. No.	Name of DDOs	Month	Amount in Rs.
1.	CEO Janpad Panchayat Sonkachha	Nov -2024 Dec -2024	Rs. 400/- Rs. 400/- & Rs. 400/-
2.	Distt Ayush Officer Dewas	Nov -2024 Dec -2024	Rs. 400/- & Rs.200/- Rs. 400/- & Rs.200/-
3.	EE Water Resources Dewas	Nov -2024 Dec -2024	Rs. 60/- Rs. 60/-
4.	EE PWD Bandr Divn Dewas	Nov -2024 Dec -2024	Rs. 60/- Rs. 60/-
5.	CEO Janpad Panchayat Dewas	Nov -2024	Rs. 200/-
6.	Tehsildar Kannoud	Nov -2024 Dec -2024	Rs. 400/- Rs. 200/- & 400/-
7.	EE PHE Dewas	Nov -2024 Dec -2024	Rs. 60/- Rs. 60/-
8.	DOTW Dewas	Nov -2024 Dec -2024	Rs. 100/- Rs. 100/-
9.	Astt Electrical Inspector Kannoud	Dec -2024	Rs. 200/-
10.	Tehsildar Dewas	Dec -2024	Rs. 200/- & 200/-

### कोषालय धार

Sl. No.	Name of DDOs	Month	Amount
1.	EXECUTIVE ENG., PWD, NVDA, ISP,Dn 2, DHARAMPURI, DHAR	Dec-2024	Rs. 60/-
2.	E.E. R.E.S. DHAR	Dec -2024	Rs. 60/-
3.	E.E. P.W.D. (B AND R) DHAR	Dec -2024	Rs. 60/-
4.	E.E. E/M L.M. GATES DHAR	Dec -2024	Rs. 60/-
5.	E.E.P.H.E.D. DHAR	Dec -2024	Rs. 60/-

### कोषालय सागर

S.No	DDO	Amount (Rs.)
1.	E.E.P.H.E. SAGAR	720/- (@60/-)
2.	E.E.WATER RESOURCES DIV. NO.1 SAGAR	660/- (@60/-)
3.	E E (PWD)BRIDGE CONSTRUCTION SAGAR	720/- (@60/-)
4.	E.E.GEOHYDROLOGIST G.W.S.UNIT NO.3.SAGAR	720/- (@60/-)
5.	EE RES NO 2 SAGAR	660/- (@60/-)
6.	EE. PHE. DIV.KHURAI DIST. SAGAR	600/- (@60/-)
7.	EE RES SAGAR	660/- (@60/-)
8.	E E E M H M WR SAGAR	300/- (@60/-)
9.	A S C O SAGAR	400/- (@200/-)
10.	E E (PWD) N.H.DIVISION SAGAR	420/- (@60/-)
11.	EE PWD E AND M SAGAR	420/- (@60/-)

### कोषालय छिन्दवाड़ा

Sl. No.	Name of DDOs	Month	Amount
1.	Executive Engineer Water Resources Chhindwara	Feb-2024	Rs. 60/-
2.	Tahasiiladaar Harraai	Feb-2024	Rs. 200/-
3.	Ee Res No 1 Chhindwara	Mar -2024	Rs. 60/-
4.	Executive Engineer P.H.E.No 1 Chhindwara	Mar -2024	Rs. 60/-
5.	Tahsildar Parasia	Aug -2024	Rs. 200/- Rs. 200/- Rs. 200/- Rs. 200/- Rs. 200/-
6.	Executive Engineer Water Resources Chhindwara	Apr -2024	Rs. 60/-

7.	Executive Engineer P.H.E.No 1 Chhindwara	Apr -2024	Rs. 60/- Rs. 60/-
8.	Executive Engineer Water Resources Chhindwara	May -2024	Rs. 60/-
9.	Executive Engineer P.H.E.No 1 Chhindwara	May -2024	Rs. 60/-
10.	Executive Engineer Water Resources Chhindwara	June -2024	Rs. 60/-
11.	Tahasiiladaar Harraii	July- 2024	Rs. 200/-
12.	Executive Engineer P.H.E.No 1 Chhindwara	July- 2024	Rs. 60/-
13.	Executive Engineer Water Resources Chhindwara	Aug- 2024	Rs. 60/- Rs. 60/-
14.	Tahsildar Parasia	Sep- 2024	Rs. 200/-
15.	Executive Engineer Water Resources Chhindwara	Sep- 2024	Rs. 60/-
16.	Executive Engineer Water Resources Chhindwara	Oct- 2024	Rs. 60/-

**परिशिष्ट संख्या-48**

**(पैरा-3.9.23 i)**

**मुख्य शीर्ष 2075 (Miscellaneous General Service) से Refund of Revenue के माध्यम से  
विभिन्न फर्म/लाभार्थी को की जाने वाली भुगतान संबंधी विसंगतियां**

**कोषालय बुरहानपुर**

स. कं	माह/वर्ष	प्रमाणक कमांक	रिफण्ड वर्गीकरण / डी.डी.ओ. नाम	जमा वर्गीकरण	राशि ₹	रिमांक
01	04/2024	0005	2075-00-900 Asstt. Comm. Tribal, Burhanpur	0235-60-800	1268517	संलग्न स्वीकृति आदेश में संबंधित सुरक्षा निधि की राशि कहीं भी मुख्य शीर्ष 2075 से विकलनीय होना दर्ज नहीं पाया गया है।
02	01/2023	0001	2075-00-900 Asstt. Comm. Tribal, Burhanpur	0235-60-800	261171	तदैव
03	01/2024	0005	2075-00-900 Distt. Supply Officer, Burhanpur	1475-00-106 साइबर चालान के अनुसार	8000	रिफंड संबंधी स्वीकृति आदेश संलग्न न होकर केवल नोटशीट प्रति संलग्न पायी गयी है।
04	06/2023	0003	2075-00-900 EE RES, Burhanpur	0515-00-800 एम.पी.टी.सी. 44 के अनुसार	19723	संलग्न स्वीकृति आदेश में संबंधित सुरक्षा निधि की राशि मुख्य शीर्ष 30-2515-00-800-0101-1208-33-001 से रिफंड किया जाने का उल्लेख किया गया है यद्यपि उक्त राशि का रिफंड मुख्य शीर्ष 2075 से किया गया। साथ ही उक्त कार्यालय आदेश में मैनुअली पेन से सुधार किया जाना पाया गया है जो कि तर्कसंगत नहीं है।

05	04 / 2024	0003	2075-00-900 Pri Govt. Ayurvedic College, Burhanpur	0216-01-106 -0000-0168	27500	आयकर की राशि त्रुटिवश मुख्य शीर्ष में 0216 में जमा की गयी थी जबकि रिफंड 2075-900 से किया जाना पाया गया है साथ ही संलग्न स्वीकृति आदेश में रिफंड के स्थान के अंतरण प्रविष्टि संबंधी उल्लेख किया गया था।
----	-----------	------	--	---------------------------	-------	--

### कोषालय जबलपुर

स. कं.	माह/वर्ष	प्रमाणक कमांक	रिफंड वर्गीकरण / डी.डी.ओ. नाम	जमा वर्गीकरण	राशि रूपये में	रिमार्क
01	04 / 2024	0003	2075-00-900 Supdt. Of police, JBP	0055-00-102	45000	संलग्न स्वीकृति आदेश में संबंधित राशि मुख्य शीर्ष 0055 में प्राप्त किया गया है यद्यपि उक्त राशि का रिफंड मुख्य शीर्ष 2075 से किया गया था।
02	08 / 2024	0028	2075-00-900 Supdt. Of police, JBP	0055-00-102- 9687	13640	
03	08 / 2024	0006	2075-00-900 Registrar General High Court, JBP	0075-00-800 -0150	27000	भरण पोषण भते की राशि का भुगतान लाभार्थी को संबन्धित पे बिल के साथ अलग से वेंडर क्रिएट कर भुगतान किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष से 2075 भुगतान के पश्चात संबन्धित शीर्ष में अनावश्यक व्यय प्रतीत होगा
04	08 / 2024	0007	2075-00-900 Dist Ayush Officer JBP	दर्ज नहीं है	10000	
05	07 / 2024	0002	2075-00-900 Dist. And Session Judge, JBP	दर्ज नहीं है	685600	भुगतान संबंधी स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं पाया गया केवल voucher for refund of fine or payments out of the time of compensation form संलग्न था। साथ ही उक्त form में मैनुअली पेन से सुधार किया जाना पाया गया था जो कि तर्कसंगत नहीं है।

### परिशिष्ट संख्या-49

#### (पैरा-3.9.23 ii)

### Refund of Revenue के माध्यम से विभिन्न फर्म/लाभार्थी को की जाने वाली भुगतान संबंधी विसंगतियां

#### कोषालय बुरहानपुर

स. कं.	माह/वर्ष	प्रमाणक कमांक	रिफंड वर्गीकरण / डी.डी.ओ.	जमा वर्गीकरण	राशि ₹	रिमार्क
01	08 / 2024	0006	8443-00-106 Collector, Burhanpur	दर्ज नहीं है।	1985680	रिफंड संबंधी स्वीकृति आदेश में संबंधित प्रयोजन एवं स्वीकृति आदेश को बिल तैयार करते समय IFMIS में upload नहीं किया गया था। IFMIS में केवल लाभार्थी विवरण संलग्न पाया गया।

02	05 / 2023	0004	2040-0940 Commercial Tax Officer, Burhanpur	दर्ज नहीं है।	464910	भुगतान संबंधी आदेशों में पूर्ण विवरण जैसे राशि किस मद के लिये पूर्व में प्राप्त की गई थी तथा संबंधित राशि का पुर्नभुगतान किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा, आदि विवरण दर्ज नहीं पाया गया था। साथ ही स्वीकृति आदेश संख्या एवं दिनांक भी दर्ज नहीं पाया गया था।
03	01 / 2024	0008	2040-0940 Commercial Tax Officer, Burhanpur	दर्ज नहीं है	693663	तदैव
04	02 / 2024	0001	2040-0940 Commercial Tax Officer, Burhanpur	दर्ज नहीं है	726410	तदैव
05	06 / 2024	0012	8443-00-104 District and Session Judge, Burhanpur	दर्ज नहीं है	110400	तदैव

### कोषालय जबलपुर

स.कं.	माह/वर्ष	प्रमाणक क्रमांक	रिफण्ड वर्गीकरण/डी.डी.ओ.	जमा वर्गीकरण	राशि रूपये में
01	08 / 2024	0180	2406-01-203-0535-51-000 DFO (T) Division JBP	0406-01-203-0 213	120000
	09 / 2023	0005	2406-01-203-0535-51-000 DFO (T) Division JBP	दर्ज नहीं पाया गया।	950000
	02 / 2024	0039	2406-01-203-0535-51-000 DFO (T) Division JBP	0406-01-203-0 213	1254080
02	07 / 2024	0020	2029-0940 Tehshildar Jabalpur	दर्ज नहीं था।	12115
	07 / 2024	0019	2029-0940 Tehshildar Jabalpur	0029-00-107-0 007	8860
03	05 / 2024	0005	2040-0940 Dy. Commissioner Commercial Tax Officer, Jabalpur	दर्ज नहीं था।	974483
	07 / 2024	0010	2040-0940 Dy. Commissioner Commercial Tax Officer, Jabalpur	दर्ज नहीं था।	1776055

**कोषालय सतना**

क्र.	माहवर्ष/	प्रमाणक क्रमांक	रिफंड वर्गीकरण / .ओ.डी.डी	राशि	रिमार्क
01	08/2024	0006	035-2851-00-101- 0101-6750-33-004 G.M.D.T.I.C SATNA	105567/-	उक्त रिफंड योजना शीर्ष 6750-33-004 से किया गया है जिस कारण संबंधित शीर्ष में व्यय अधिक हो रहा है। जबकि नियमानुसार उक्त refund से किया जाना है 900-2851 साथ ही as per Budget Manual Vol-II, 33-004 should include charges for maintenance of electricity.
	09/2024	0003	035-2851-00-101- 0101-6750-33-004 G.M.D.T.I.C SATNA	64294/-	
02	10/2024	0091	2014-00-102-0940 Distt. And Sessions Judge Satna	101000/-	भुगतान संबंधी आदेशों में पूर्ण विवरण जैसे राशि किस मद के लिये पूर्व में प्राप्त की गई थी तथा संबंधित राशि का पुर्नभुगतान किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा था आदि विवरण दर्ज नहीं पाया गया था ।
	09/2024	0070	2014-00-102-0940 Distt. And Sessions Judge Satna	100000/-	
03	06/2024	0010	2039-00-001-0940 Distt. Excise Officer, Satna	372524/-	अर्नेस्ट मनी की राशि को प्राप्त शीर्ष में जमा किया गया है जबकि 0039 नियमानुसार उक्त राशि का जमा एवं से किया 103-8443 भुगतानजाना चाहिए , इसके अतिरिक्त स्वीकृति आदेश पर पूर्ण लेखा वर्गीकरण दर्ज नहीं था ।
04	01/2024	0002	2040 0940-001-00- .DyCommissioner Commercial Tax Officer, Satna	4093725/-	विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष एवं 15-2014 -042 हेतु 17-2016प्रवेश करवैट कर -040/ राशि को अत्यधिक विलम्ब से भुगतान किया जाना तर्कसंगत नहीं है इसके अतिरिक्त स्वीकृति आदेश पर पूर्ण लेखा वर्गीकरण दर्ज नहीं पाया गया है
	08/2024	0001		2144100/-	

**कोषालय देवास**

क्र.	माह/वर्ष	प्रमाणक क्रमांक	रिफंड वर्गीकरण/ डी.डी.ओ.	राशि ₹ में	रिमार्क
01	07/2024	0009	2851-00-101-0101-6750-33-004 G.M.D.T.I.C Dewas	1285812/-	उक्त रिफंड योजना शीर्ष 6750-33-004 से किया गया था जिस कारण संबंधित शीर्ष में व्यय अधिक हो रहा था। जबकि नियमानुसार उक्त refund MH 2851-900 से किया जाना था । साथ ही as per Budget Manual Vol-II, Object head 33-004 should include charges for maintenance of electricity.
	06/2023	0003	2851-00-101-0101-6750-33-004 G.M.D.T.I.C Dewas	29337/-	
02	01/2023	0006	2075-00-900 BEO Dewas	196051/-	ब्याज की राशि का भुगतान मुख्य शीर्ष 2075 से किया जाना आपतिजनक है, पेनल इन्टरेस्ट हेतु MH 2049 निहित किया गया है, इसके अतिरिक्त स्वीकृति आदेश में अधिक भुगतान वसूली राशि ब्याज सहित आदि का उल्लेख नहीं पाया गया था ।
03	05/2023	0082	2406-01-203-0535-C-51 DFO Production CD Dewas	379905/-	उक्त रिफंड योजना शीर्ष 0535-C-51 से किया गया है जिस कारण संबंधित शीर्ष में व्यय अधिक हो रहा था । जबकि नियमानुसार उक्त refund MH 2406-900 से किया जाना है। साथ ही as per Budget Manual Vol-II, Object head 51 is classified for other charges.

**कोषालय छिन्दवाड़ा**

क्र.	माह/वर्ष	प्रमाणक क्रमांक	रिफंड वर्गीकरण/ डी.डी.ओ.	राशि ₹	रिमार्क
01	07/2024	0057	8443-00-106	5795984/-	आई.एफ.एम.आई.एस. पर स्वीकृति आदेश सलग्न नहीं किया गया था ।
02	12/2024	0208	8443-00-106	858674/-	आई.एफ.एम.आई.एस. पर स्वीकृति आदेश सलग्न नहीं किया गया था ।
03	12/2024	0081	8443-00-106	1880890/-	आई.एफ.एम.आई.एस. पर स्वीकृति आदेश सलग्न नहीं किया गया था ।

04	11/2024	0076	8443-00-106	4076985/-	आई.एफ.एम.आई.एस. पर स्वीकृति आदेश सलग्न नहीं किया गया था।
05	11/2024	0016	8443-00-106	766154/-	आई.एफ.एम.आई.एस. पर स्वीकृति आदेश सलग्न नहीं किया गया था।

**परिशिष्ट संख्या-50**

**(पैरा-3.9.24)**

**सरकारी कर्मचारियों के वेतन से आयकर की राशि का कटौत नियमानुसार न किया जाना  
कोषालय शहडोल**

Name of DDOs	Name of Employee	PAN of the Employee	Month / Year	Amount of income tax in Rs.
DFO south Shahdol	Umesh Kumar Shukla	EBNPS3179A	March 2024	54,266
	Nagendra Prasad Verma	AOPPV1245P	Dec 2023 Feb 2024	10000 35214
	Ramnaresh Vishwakarma	AXXPR6275N	Dec 2023 Feb 2024	27000 23100
	Avaydulla Khan	DMRPK8857B	Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024	10000 15815 15815
Superintendent of Police Shahdol	Ganga Prasad Bansal	BEAPP8436C	Feb 2024	40000
	Kumar Prateek	AWGPP4956Q	Feb 2024	108520
	Savita Sohaney	AGFPS8501H	Feb 2024	184588
DFO North Shahdol	Dinesh Kumar Patel	BWNPP0309K	March 2024	52609
	Krishnakant Gautan	BDGPG2810G	March 2024	39379

**कोषालय सतना**

Name of DDOs	Name of Employee	PAN of the Employee	Month / Year	Amount of income tax in Rs.
DFO Satna	ANJANI KUMAR PATEL	BGJPP6089A	Mar 2024	46446
	VIPIN KUMAR PATEL	CNCPP6973Q	Jan 2024 Mar 2024	32000 40810
	ASHOK KUMAR NIGAM	ABVPN3300M	Mar 2024	46961
	DHARM RAJ PATEL	AFRPP1800R	Mar 2024	54912
	MOTILAL PATEL	BVWPP4126Q	Mar 2024	40240
	SHEKHRAJA MOHAMMAD	AFSPM7673N	Mar 2024	43338

	SHYAMLAL CHARMKAR	ANVPC2521J	Mar 2024	44596
	KASHI PRASAD TIWARI	ABTPT1669A	Jan 2024 Mar 2024	25000 25315
Superintendent of Police Satna	ADITYA SEN	CSRPS3529R	Feb 2024	50000
	ARUN KUMAR SONI	BCTPS5808Q	Feb 2024	56000
	ASHOK KUMAR GARG	ATDPG1979N	Feb 2024	59000
	ASHOK KUMAR PANDEY	AXVPP4455C	Feb 2024	60000
	BHARTENDU BHUSHAN SHARMA	ANHPS9687B	Feb 2024	141000
	MAHENDRA SINGH CHOUHAN	AGJPC6184E	Feb 2024	104500
	MAKARDHWAJ PANDEY	BVUPP2779M	Feb 2024	72000
	PAWAN KUMAR SHUKLA	FKKPS7939M	Feb 2024	44500
	RAMA SHANKAR PANDEY	AJLPP2422P	Feb 2024	111000

### कोषालय देवास

Name of DDOs	Name of Employee	PANof the Employee	Month /Year	Amount of income tax In Rs.
CS cum Supdt Dist Hospital Dewas	ANAND DESHMUKH	BBEPD5248R	Mar 2024	33780
	DIMPAL PAL	AXUPR4955Q	Dec 2023 Jan 2024 Mar 2024	25000 25000 23770
	DR SADHNA VERMA	AHQPA0748J	Jan 2024 Feb 2024	110000 77967
	DR SURESH KUMAR KHARE	AHYPK7970L	Jan 2024 Mar 2024	100000 150960
	MANOHAR KUMAR JOSHI	AHUPJ0871F	Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024	110000 160000 160000
	NEETA PANDIT	ABOPP7353G	Jan 2024 Mar 2024	175000 140980
	DFO Division T Dewas	ANIL JOSHI	APTPJ8115P	Jan 2024 Feb 2024
BISAN SINGH MOURYA		BOPPM4839B	Jan 2024 Feb 2024	20000 21710
SHEELA PARIHAR		ADZPP7771R	Jan 2024 Feb 2024	20000 25790
SOBAL SINGH BHATI		AIUPB2011J	Jan 2024 Feb 2024	15000 22570
Dist. Treasury Officer	NEHA KALCHURI	BWEPK0260M	Feb 2024	50000
	VINITA SOLANKI	Not mentioned	Feb 2024	47794
	SURESH CHANDRA CHANDRAVANSHI	AJDPC6106G	Feb 2024	32754
	AJAY TOKKAR	Not mentioned	Feb 2024	30231
	KELASH CHANDRA SHARMA	CXJPS9612L	Feb 2024	24660

### कोषालय धार

Name of DDOs	Name of Employee	PAN of the Employee	Month / Year	Amount of income tax Rs.
BEO DHAR CODE-1102506061	MADHAVI MUDGAL	CLZPM2794R	FEB 2024	47469
	Seema Solanki	--	FEB 2024	54384
	Sanjay Oak	AAQPO7888L	FEB 2024	46414
	Mukesh Kumar Kochale	--	FEB 2024	46650
	Naimuddin Sheikh	DYBPS0405R	FEB 2024	53341
	Mohammad Asif Khan	CDDPK5162P	FEB 2024	56169
	Jyoti Koshti	BQUPK7898B	FEB 2024	48693
D.E.O. Excise Dhar Code-1100504002	Raj Kumar Shukla	BPWPS7252G	Mar 2024	30145
	Shambhudayal Singh Jatav	AMPPJ7975A	Mar 2024	44095
	Akanksha Garg	APEPG6169F	Mar 2024	65000
	Babita Rajesh Hatkar	DCBPS7948D	Mar 2024	40652
	Amritlal Megaya	AKCPM6567G	FEB 2024	50738
	Rajendra Panwar	ALCPP9172F	FEB 2024	51490
	Balvirsingh Chainsingh Rathore	AGWPR0566N	FEB 2024	41505
	Jitendra Rathore	AGXPR3269B	FEB 2024	39450

### परिशिष्ट संख्या-51

(पैरा-3.9.25)

व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाताधारकों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक देयक तैयार, उत्सादित, प्रस्तुत एवं पारित करने की प्रक्रिया में विसंगतियां

### कोषालय सतना

कोषालय निरीक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत/शैक्षणिक खातों की नमूना जाँच के दौरान निम्नलिखित प्रशासकों द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण कोषालय स्तर पर देयकों की जाँच सही तरीके से नहीं हो पा रही है:-

Sl no.	Name of DDOs	Month & Year	Voucher no.	Amount	Classification	Remark
1.	Collector, Satna	11/2024	0036	42181845/-	8443-00-106	भुगतान संबंधी स्वीकृति आदेश जिस पर प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक खाता विवरण, देय राशि, पूर्ण वर्गीकरण दर्ज रहता है को IFMIS पर अपलोड नहीं किया गया है साथ ही प्रमाणक/उपप्रमाणकों की Scan प्रति भी Upload नहीं की गयी है जो कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020के परिशिष्ट 3 के विरुद्ध था ।
		11/2024	0037	3414400/-	8443-00-106	
		11/2024	0085	19104416/-	8443-00-106	
2.	PriGovt. College, Maihar	10/2024	0094	136880/-	8443-00-123	प्रमाणक/उपप्रमाणकों की Scan प्रति Upload नहीं की गयी थी जो कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020के परिशिष्ट 3के विरुद्ध था ।
	PriGovt. College, Maihar	05/2024	0003	93205/-	8443-00-123	स्वीकृति आदेश के अनुसार ई.डी. खाते से महाविद्यालय के क्रीडाधिकारी डॉ सुनील मुंडेर के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाना पाया गया था जो कि आपत्तिजनक था ।
3.	PriGovt. Girls College, Satna	2024/11	0001	-/6774762	8443-00-123	संलग्न स्वीकृति आदेश के अनुसार ए एफ मद में उक्त राशी का एफ डी करवाने हेतु आहरण किया गया है। विभाग के किस आदेशानुसार उक्त राशि का आहरण शैक्षणिक खाते से किया जाकर एफ डी करवाया गया था। सम्बंधित विवरण दर्ज नहीं पाया गया था।

**परिशिष्ट संख्या-52**

**(पैरा-3.9.26)**

**विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण एवं अनुरक्षण कार्यों का भुगतान सीधे निर्माण एजेंसी को न कर अधीक्षक छात्रावास के माध्यम से किया जाना**

**कोषालय देवास**

कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि जनजातीय कार्य विभाग, देवास द्वारा अनुसूचित जनजाति के 20 छात्रावास/आश्रमों में परिसंपत्तियों के संधारण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु विभागीय संस्थाओं (अधीक्षक छात्रावास) के खातों में कुल राशि रु.56,52,000/- का भुगतान किया गया है, जबकि उक्त भुगतान नियमानुसार निर्माण एजेंसी को किया जाना चाहिए था। विवरण निम्नानुसार है:

Sl. no	Classification/ Voucher No.	Name of Hostel	IFSC Code/Acctt. No.	Amount In Rs.
01	33-2225-01-001-0101-9545-33-001 Vr.no.0047 for the month of 03/2023	सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास उदयनगर	SBIN0030165 38455747907	240000/-
02		सीनियर बालक छात्रावास, पुजापुरा	SBIN0030324 38436252792	203000/-
03		आदिवासी कन्या आश्रम शाला बागली	SBIN003008 38445167598	161000/-
04		सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बागली	SBIN003008 38453929558	180000/-
05		आदिवासी कन्या आश्रम शाला पलासी	SBIN0030324 38436030176	200000/-
06		सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पिपरी	SBIN0030165 3844716608	265000/-
07		आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास, कनौद	SBIN0030010 38449428515	215000/-
08		आदिवासी बालक सामुदायिक कल्याण केंद्र सुनदेल	SBIN0030010 38449585691	355000/-
09		आदिवासी कन्या आश्रम शाला कुसमानिया	SBIN0030010 38449584926	280000/-
10		आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास, सुनदेल	SBIN0030010 38449585169	340000/-
11		आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास, लोहारदा	SBIN0030010 38449428707	385000/-
12		आदिवासी बालक आश्रम शाला मुहाई	SBIN0030010 38449585410	255000/-
13		आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास, कनौद	SBIN0030010 38449363305	350000/-
14		आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास, खातेगांव	SBIN0030011 34419756404	265000/-
15		आदिवासी बालक आश्रम शाला बरखेड़ी	SBIN0030011 34231885556	385000/-
16		आदिवासी बालक आश्रम शाला नेमावर	SBIN0030011 34419756743	240000/-
17		आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास, अजनास	SBIN0030011 34420291352	220000/-

18	आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास, हरगांव	SBIN0030011 38450921754	498000/-
19	आदिवासी बालक छात्रावास विक्रमपुर	SBIN0030010 38450728092	405000/-
20	आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास, खतेगांव	SBIN0030011 34231887586	210000/-